पंचम माला, खड 46, ग्रंक 11 बुधवार, 27 नवम्बर, 1974/6 अग्रहायण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLVI, No. 11 Wednesday, November 27, 1974/Agrahayana 6, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 46 में ग्रंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 11, बुद्धवार 27 नवम्बर, 1974/6 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 11, Wednesday, Nov. 27, 1974/Agrahayana 6, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
224. उड़ीसा को पांचवीं योजना का परिव्यय	Fifth Plan Outlay for Orissa ...	1–3
227. भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण विषयक, प्रतिवेदन की समीक्षा	Review reports on the working of Cement Corporation of India ..	3–4
229. भारतीय चलचित्रों की विदेशों को तस्करी	Smuggling of Indian Films to Foreign Countries	4–8
230. फीचर फिल्मों के वितरण कार्य का सरकारीकरण	Take over of distribution of Feature films	8–10
231. नई दिल्ली में आयोजित फिल्मी कलाकारों के क्रिकेट मैच के लिये बेचे गये जाली टिकट	Sale of Fake Tickets for Film Star Cricket Match held in New Delhi	10–12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS***	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
222. मध्य प्रदेश में उच्च खनिज विकास प्रयोग शाला स्थापित करना	Setting up of Advance Mineral Development Laboratory in Madhya Pradesh	13
223. क्षेत्रीय आधार पर, चलचित्र उद्योग के विकास के बारे में सर्वेक्षण	Survey regarding growth of Film Industry on Regional basis ..	13
225. कोयला खानों में दुर्घटनाओं के कारण नष्ट हुआ कोयला	Loss of Coal due to accident in Coal Mines	13
226. कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के एपेक्स और मंडल कार्यालयों के लिए जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति	Recruitment of P.R.Os. for Apex and Divisional Officers of CMA..	13–14
228. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पद	Post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	14
232. नाईट्रिक एसिड बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Plant to manufacture Nitric Acid	14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1 |Lok Sabha/75—1

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
233.	उत्तर पूर्व सर्किल में दूर संचार सेवायें	Tele Communication Services in N.E. Circle	15-16
234.	दिल्ली में डाक पेटियों के चोर	Mail Box thieves in Delhi	16
235.	कारों को चलाने के लिए गैस के कारबुरेटर और रेग्युलेटरों का तैयार किया जाना	Development of a Gas Carburettor and regulators to run Cars	16
236.	देश में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियों पर भारत की चिन्ता	India's concern on CIA Activities in the country	16-17
237.	पुरातन वस्तुओं के तस्कर की खोज	Hunt for Antiques Smuggler	17
238.	दिल्ली टेलीविजन पर भोजपुरी फिल्म का दिखाया जाना	Showing of Bhojpuri Film on Delhi T.V.	17
239.	चंडीगढ़ में कानून परामर्शी (लीगल रिमेम्ब्रेन्सर) का पद	Post of Legal Remembrancer in Chandigarh	17-18
240.	भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of CIA in India	18
242.	जम्मू और काश्मीर के स्तर में परिवर्तन	Change in the Status of Jammu and Kashmir	18
243.	भारत के परमाणु कार्यक्रम में संशोधन	Modifications in India's Nuclear Programme	18-19
244.	कलकत्ता में डाक सेवायें	Postal Services in Calcutta	19

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

U. S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
2201	राजधानी में लूटे गये पेट्रोल पंप	Looting of petrol pumps in the capital	19-20
2202.	श्री जे० पी० कौशिक का लापता लड़का	Missing boy of Shri J. P. Kaushik	20
2203	कोयला खान प्राधिकरण द्वारा व्यय का आयोजन	Planning of Expenditure by Coal Mines Authority	20
2205.	प्रतिभा पलायन	Brain Drain	20 22
2206.	पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पर्यटक यातायात	Tourist traffic to Eastern and North Eastern Region	22
2207.	विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा में अवैध रूप से लेनदेन किया जाना	Illegal transactions in foreign exchange by Foreign Missionaries	22-23
2208.	वर्ष 1974-75 में मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन	Coal production in M. P. during 1974-75	23
2209.	औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए उड़ीसा से मिले आवेदन पत्र	Applications from Orissa for Industrial Licences	23
2210.	तस्करों के टेलीफोन कनेक्शन काट देना	Disconnection of the Telephones of Smugglers	23
2211.	एल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद द्वारा स्कूटरों का उत्पादन	Production of Scooters by Allwyn Metal Works, Hyderabad	24

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2212.	स्कूटर रजिस्ट्रेशन पुस्तिका पर स्कूटर टायर	Scooter Tyres against Scooter Registration Books	24
2213.	उड़ीसा में जिला योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of District Plans in Orissa	24
2214.	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा राज्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया	Procedure laid down for Union Ministers for obtaining information from States	24-25
2215.	इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण	Training of Engineering Supervisors	
2216.	पांचवीं योजना में टेलीविजन के विस्तार पर पूंजी निवेश	Investment in Expansion of T.V. during Fifth Plan	25
2217.	देश में आयोजित बंद	Bandhs in the country	25–29
2218.	तस्करी और कालेधन के विरुद्ध अभियान का चलचित्र उद्योग पर प्रभाव	Impact of the drive against smuggling and black money on Film Industry	26
2219.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए "पेटेंट" रिलीज किया जाना	Patents released by CSIR Laboratories for Commercial purposes ...	26–27
2220.	राज्यों को और केन्द्रीय मंत्रालयों को चल रही तथा नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिय अनुदेश	Instructions to States and Central Ministries for Furnishing Information about continuing and New Projects	27
2221.	ओबरा तापीय विद्युत संयंत्र के लिये रूस से मशीनें	Machinery from Russia for Obra Thermal Power Plant	27
2222.	लघु उद्योगों की प्रगति	Progress of Small Scale Industries ..	27–28
2223.	नेपा मिल्ज द्वारा सप्लाई किये गये अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Newsprint supplied by NEPA Mills ..	29
2224.	अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा को दिये गये लाइसेंस	Issue of Licences to Orissa vis-a-vis Other States	29
2225.	गणेश आटो मोबाइल, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा लेम्ब्रेटा स्कूटर की डिलीवरी और बुकिंग में कथित अनियमितताएं	Alleged Irregularities in the delivery and booking of Lambretta Scooter by Ganesh Automobile, Udaipur (Rajasthan)	29–30
2226.	पश्चिम बंगाज के लिए 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी कार्यक्रम	Half a Million Jobs Programme for West Bengal	30
2227.	त्रिपुरा में औद्योगिक 'एस्टेटस तथा शेड्स'	Industrial Estates and Sheds in Tripura	30
2228.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पांच लाख लोगों के लिये रोजगार संबंधी कार्यक्रम	Half a million jobs programme in North and Eastern Region ..	30–31
2229.	आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में आग	Fire in INA Colony, New Delhi ..	32

ता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2230.	विदेशी मुद्रा की धोखाधाड़ी में अन्तर्ग्रस्त सरकारी अधिकारी	Government Officials involved in Foreign Currency Rackets ..	32
2231.	केरल सरकार को विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Government of Kerala for Developmental Programmes	33
2232.	तस्करों की गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ	Foreign Powers behind Activities of Smugglers	33
2233.	तलवाड़ा में व्यास बांध परियोजना के श्रमिकों की प्रस्तावित छंटनी	Proposed Retrenchment of Workers of Beas Dam Project at Talwara ..	33
2234.	पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के भ्रमण पर प्रतिबंध में छूट	Relaxation in Restrictions on Travel of Foreign Tourists to Eastern Region	34
2235.	दोहरी नागरिकता	Dual Citizenship ..	34
2237.	ब्रिटिश माइनिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसियशन का भारत का दौरा	Visit to India by Association of British Mining Equipment Exporters	34
2238.	पश्चिम बंगाल के वर्धवान जिले में कोयले के अनछुए निक्षेप	Virgin Coal Bearing Area in Burdwan District of West Bengal ..	35
2239.	विश्रामपुर और चिरमिरी कोयला खानों में कोयले का उत्पादन	Coal Production in Vishrampur and Chirmiri Coal Mines	35
2240.	बिजली के संकट के कारण कोयले के उत्पादन में कमी	Drop in Coal Production due to Power Crisis	35–36
2242.	मध्य प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Madhya Pradesh	36–37
2243.	रानीगंज कोयला खानों में सितम्बर, 1974 में कोयले का उत्पादन	Production of Coal in Raniganj Coal Mines during September, 1974	37
2244.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sick Textile Mills	37
2245.	कोयले का लाभात्मक प्रयोग	Seminar on Economical use of Coal	37–38
2246.	कन्नानूर जिले के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट का तस्करों के साथ संबंध होने का आरोप	Representation alleging links of Cannanore District Superintendent of Police with Smugglers ..	38
2247.	सेवा निवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश खोसला को सौंपे गये कार्य	Assignments given to Justice Khosla since his retirement	38
2248.	कलकत्ता में पाकिस्तानी जासूसी के मामले में अतिरिक्त सेशन जज द्वारा निन्दात्मक अभ्युक्ति	Judge's strictures in a Pakistan espionage case in Calcutta ..	38–39
2249.	दिल्ली में 1 नवम्बर, 1974 को लाल किले पर हुई प्रधान मंत्री की सभा में महिलाओं द्वारा नारे लगाये जाना	Raising of Slogans by Women at meeting addressed by Prime Minister on November 1, 1974 at Red Fort Delhi	39

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2250.	सर्चलाइट तथा प्रदीप में प्रकाशित विज्ञापनों की अदायगी का बंद किया जाना और ट्रिब्यून और मदरलैंड को विज्ञापन न देना	Stoppage of Payment for Advertisements Published in Search Light and Pradeep and Non Release of Advertisements to Tribune and Motherland	39–40
2251.	दामोदर घाटी निगम की पारेषण लाइन में खराबी के कारण हानि	Loss incurred due to fault in Transmission Line of DVC	40
2252.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खर्चे में वृद्धि	Increase in Expenditure on CRP	40–41
2253.	इंदौर में 25 पैसे के लिफाफों की कमी	Shortage of 25 paise Envelopes in Indore	41
2254.	आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्ज की भर्ती	Recruitment of Programme Executives in A.I.R.	42
2255.	कागज तथा अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Paper and Newsprint	42
2256.	औद्योगिक विकास दर	Industrial Growth Rate ..	43
2258.	समाचारपत्रों प्रकाशकों द्वारा अखबारी कागज की चोरबाजारी	Blackmarketing of Newsprint by Newspaper Publishers ..	43
2260.	पांडिचेरी में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station at Pondicherry ..	43
2261.	वर्ष 1975-76 के लिये राज्यों के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for States for 1975-76..	43–44
2262.	इलेक्ट्रोनिकी व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम की स्थापना	Setting up of an Electronics Trade and Technology Development Corporation	44
2263.	मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य	Relief Work in Flood affected Districts of Madhya Pradesh ..	45
2265.	बिहार में डाकघरों और टेलीफोनों को क्षति	Damage to Post Offices and Telephones in Bihar	45
2266.	वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में विद्युत के उत्पादन में गिरावट को पूरा करने की योजनायें	Plans to overcome Shortfall in productions of Electricity during 1974-75 and 1975-76	45–46
2267.	एक करोड़ एवं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Regions with population of ten Millions and above	46
2268.	हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद	Border dispute between Haryana Delhi and U.P..	46–47
2269.	जेलों में तस्करों के पास धनराशि	Possession of Money by Smugglers while in Jails	47
2270.	औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमताओं पर नियंत्रण	Control on production capacities of Industrial Units	47–48
2271.	चुनींदा वस्तुओं का उत्पादन और उनका वितरण	Production and Distribution of Selected Basic Commodities	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2272.	दिल्ली में अपराधों के मामले और पुलिस पर व्यय	Incidence of Crimes and Expenditure on Police in Delhi ..	49
2273.	अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships S.C. and S.T. Students	49
2274.	केन्द्रीय बलों को राज्यों में तैनात करना	Stationing of Central Forces in States	49–51
2275.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिकों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Class IV Employees as L.D.Cs.	51
2276.	मैसर्स शार्प एज्ज लिमिटेड	M/s Sharpe Edge Limited ..	51
2277.	अत्यावश्यक वस्तुओं की सरकार द्वारा नियंत्रित मात्रा की प्रतिशतता	Percentage of Essential Commodities handled by Government.. ..	51
2278.	बिहार सर्किल में डाक तार अधिकारियों पर लगाए गए आरोप	Charges against P & T Officers in Bihar Circle	52–53
2279.	परमाणु रिएक्टर के विषय में भारत सीरिआई वार्ता	Indo-Syrian Talks on Nuclear Reactors —	53
2280.	डाक घरों में "टेलर" पद्धति	"Teller" System in Post Offices ..	53–54
2281.	कागज निर्माताओं/डीलरों द्वारा काफी मात्रा में उपरि धन लिये जाने के बारे में शिकायतें	Complaint against paper Manufacturers/Dealers for charging large Element of on-Money	54
2282.	लोअर पेरियार और पेरिन्जा-कुट्टी हाइड्रो-इलैक्ट्रिक योजनाओं के बारे में केरल में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report from Kerala on Lower Periyar and Perinjankutty Hydro-Electric Schemes	54
2283.	डी० इ० टी० के कार्यालय	D.E.T. Offices	55
2284.	केन्द्रीय जांच ब्यौरो द्वारा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के एक निम्न श्रेणी लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Probe into Corruption charges against an L.D.C. of Ministry of Information and Broadcasting by CBI .. — — ...	55
2285.	भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र संगठन (आई० इ० एन० एस०) के प्रधान द्वारा समाचार पत्र उद्योग की जांच का सुझाव	Suggestion of IENS president for probe into Newspaper Industry ..	55
2286.	दिल्ली में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज पर खर्च	Expenditure on Electronic Telephone Exchange in Delhi	56
2288.	पांचवीं योजना में विद्युत प्रजनन के लिये परिव्यय	Outlay in Fifth Plan for Power ..	56
2289.	कोहिमा में व्यापार करने की स्वतंत्रता के लिये परमिट जारी किये जाना	Issue of Permits for Freedom of Trade in Kohima	56
2290.	राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण के लिये किया गया कार्य	Welfare work done by Rajasthan Government for Scheduled Castes/Tribes	56–57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2291.	उत्तर प्रदेश में पारीछा तापीय बिजली योजना के लिये कोयले की सप्लाई	Supply of Coal for Parichha Thermal Power Scheme in U.P. — ..	57
2292.	परमाणु ऊर्जा आयोग में काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या	Scientists and Engineers Working under Atomic Energy Commission	57
2293.	फाजिलका के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा	Facility for Imparting Education to Children to Fazilka in their Mother Tongue	57
2294.	कोटा में स्थापित किये जाने वाले तापीय विद्युत-घर (थर्मल पावर स्टेशन) को उत्तर प्रदेश ले जाया जाना	Shifting of Thermal Power Station proposed to be set up in Kota to Uttar Pradesh	57
2295.	ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में करेरा तहसील के ग्राम दिनारा में बिजली लगाना	Electrification of Village Dinara, Tehsil Karera in Madhya Pradesh by Rural Electrification Corporation	57–58
2296.	राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of villages of Bhilwara district of Rajasthan	58
2297.	कोककर कोयला खानों में उत्पादन	Production in Coking Coal Mines ..	58–59
2298.	मध्य प्रदेश में लघु (मिनि) कागज उद्योग	Mini Paper Industry in M.P.	59
2299.	वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना में वेजगुड्स स्कीम को प्राथमिकता	Priority to Wage Goods Scheme in annual plan for 1975-76 ..	59
2300.	बिहार बन्द के कारण केन्द्रीय सरकार के भवनों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हुई क्षति	Loss to Central Government buildings and Central Government Employees due to Bihar Bandh ..	59–60
2301.	बिहार तथा अन्य राज्यों में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यक्तियों को तैनात किया जाना	Deployment of BSF and C.R.P. in Bihar and other States	60
2302.	उड़ीसा में जल विद्युत परियोजनाओं के जल स्तर के गिरने के कारण बिजली उत्पादन पर प्रभाव	Power generation affected by the fall in water level of Hydel Projects in Orissa	60
2303.	सी० आई० ए० एजेंटों की गतिविधियां	Activities of CIA agents	60–61
2304.	नागा जनजाति नेताओं द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 को वापस लेने की मांग	Demand by Naga Tribal Leaders for withdrawal of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967	61
2305.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत की राशनिंग का प्रभाव	Effect of Power Rationing on Industrial Production in West Bengal ..	61
2306.	दूसरे देशों में भारतीय इलेक्ट्रोनिक सामान की मांग	Demand for Indian Electronic Goods in other countries — ..	61–62
2307.	सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की द्वारा आवास निर्माण	Construction of Houses by CBRI Roorkee ..	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2308.	पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशनों और शिक्षा संस्थानों के लिये छपाई का कागज प्राप्त करने की योजना	Scheme to Procure Printing Paper of Text Books Publishers and Educational Institutions ..	62
2309.	पश्चिम बंगाल में 'बाटेनिकल गार्डन' का सुधार	Improvement of Botanical Garden in West Bengal	62-63
2310.	वन विकास संबंधी प्रचार	Forest Development Publicity	63
2311.	राजस्थान सीमा पर सशस्त्र पाक सैनिक द्वारा भारतीय भेड़ बकरियों को ले जाया जाना	Indian Sheep and Goats Driven Away by Pak Armed Men on Rajasthan Border .. — —	63
2312.	दार्जिलिंग जाने के लिये विदेशियों को अनुमति पत्र देना	Permits to Foreigners visiting Darjeeling	63-64
2313.	तेल की खोज के लिये खुदाई उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Drilling Equipment for Oil Exploration	64
2314.	तीसरे देशों में भारत-हंगरी परियोजनाएं	Indo-Hungarian Projects in Third Countries	64-65
2315.	शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Shalimar Works Ltd. Calcutta	65
2316.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को राज सहायता संबंधी रियायत प्रदान करना	Providing of Subsidy Concession to Hill Districts of U.P.	65
2317.	भिलाई इस्पात संयंत्र में रूसी डिजाइन की मोटर के स्थान पर डी० सी० मिल मोटर का निर्माण	Manufacture of D.C. Mills Motor to replace Russian Designed Motors at Bhilai Steel Plant ..	65
2318.	गुजरात को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Gujarat	65-66
2319.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये राजस्थान से आवेदन पत्र	Application from Rajasthan for Industrial Licences	66
2320.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये गोआ से आवेदन पत्र	Applications from Goa for Industrial Licences	66
2321.	बिहार में नल कूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग	Utilisation of unspent amount sanctioned by REC for tubewells and Electrification of villages in Bihar	66-67
2322.	उत्तर प्रदेश में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Paper Plants in U.P.	67
2323.	स्विटजरलैंड के सहयोग से घड़ियों के कारखाने की स्थापना करना	Setting up of Watch Factory in Collaboration with Switzerland ..	67
2324.	दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र	Applications for new Telephone Connections in Delhi	67
2325.	जासूसी तथा तोड़ फोड़ की गतिविधियां के लिये गिरफ्तारियां	Arrests for Spying and subversive Activities	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2326.	तस्करी के घोटालों में सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सांठगांठ होना	Involvement of BSF Personnel in Smuggling Rackets	68
2327.	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों की गिरफ्तारियां	Arrests of Hoarders under MISA ..	68
2328.	मोटर वाहनों के मूल्यों पर नियंत्रण समाप्त करना	Lifting of Price Control on Automobiles	69
2330.	कोका कोला की बोतल भरने वाले संयंत्र	Coca Cola Bottling Plants.. ..	69
2331.	गोआ में जिला योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of District Plans in Goa	70
2332.	गोआ में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industrial Units in Goa	70
2333.	गोआ में उद्योगों पर कोयला, ईंधन आदि की कमी का प्रभाव	Effect on shortages on industries in Goa	70
2334.	विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के लिए चलचित्र वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned by film finance corporation for films in various languages	70–71
2335.	केरल में सिगरेट परियोजना में स्वदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग	Use of indigenous know how in cigarette project in Kerala ..	72
2336.	इद्दिकी परियोजना के लिये केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial assistance sought by Kerala for Idikki Project	72
2337.	केरल में परियोजनायें स्थापित करने में केन्द्रीय सरकार के कारण विलंब	Delay in setting up of Projects in Kerala due to delay by Central Government	72–73
2338.	हमीरपुर जिले के कांगू स्थान पर सी० ओ० की स्थापना	Installing of C.O. at Kangoo in Hamirpur District	73
2339.	अमृतसर के निकट तरन तारन में बाथ गांव में हरिजन कृषि श्रमिकों की हत्या	Shooting Down of Harijan Agricultural Labourers at Bath Village in Taran Taran Near Amritsar ..	73
2340.	पंजाब में बिजली सप्लाई की नई योजना	New Power supply schemes in Punjab	73–74
2341.	औद्योगिक एककों में अनधिकृत क्षमता को नियमित करना	Regularisation of unauthorised capacity in industrial units	74
2342.	उत्तर प्रदेश में शस्त्रास्त्र कारखाने का पता लगाया जाना	Unearthing of an arms factory in Central U.P.	74
2343.	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव/सहायक केन्द्र निदेशक/केन्द्र निदेशक का तैनात किया जाना	Posting of programme executives/ ASD/SD at Delhi Station of AIR	74–75
2345.	मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के कस्बों तथा गांवों में सार्वजनिक टेलीफोनों का लगाया जाना	Opening of P.C.Os. in towns and villages of drug district M.P. ..	75

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Peges
2346.	नागपुर, अकोला और बुल्डाना जिले के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी देना	Grant of Pension to freedom fighters from Nagpur, Akola and Buldana Districts	75
2347.	पांचवीं योजना का पुनरीक्षण	Revision of Fifth Plan	75
2348.	दिल्ली यातायात पुलिस में कथित भ्रष्टाचार	Alleged corruption in Delhi Traffic Police	75-76
2349.	सीमेंट का उत्पादन	Production of cement	76-77
2350.	वर्ष 1974 के दौरान जम्मू और काश्मीर में गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों की संख्या	Increase in number of Pakistani spies arrested in Jammu and Kashmir during 1974	77
2351.	चलचित्र उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों पर औद्योगिक कानून लागू करना	Application of Industrial Laws to Workers engaged in film Industry	77
2352.	दामोदर निगम घाटी द्वारा सप्लाई की जा रही .बिजली की दर में वृद्धि	Increase in Power Tariff by DVC ..	77-78
2353.	कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्तियों को सुविधाये	Facilities to persons engaged in Cottage Industries	78
2354.	गरीबी से निम्न स्तर पर जीवन बिताने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को बढ़ाने की विशेष योजना	Special scheme to raise the standard of living of people living below poverty line	78-79
2355.	लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन	Production in Small Scale industries	79-80
2356.	नरेला, दिल्ली के निकट औचन्दी गांव में भूमि संबंधी झगड़ा	Land dispute in village Ochandi near Narela in Delhi	80
2357.	पंजाब के डाक-घरों में बचत बैंक खोते की सुविधायें	Savings Bank Account Facilities in Post Offices in Punjab	80-81
2358.	ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए बिहार कृषि उद्योग निगम को आशय-पत्र	Letter of intent to Bihar Agro-Industries Corporation for manufacture of tractors	81
2359.	उड़ीसा में बिजली की कटौती का प्रभाव	Effect of Power Shedding in Orissa	81
2360.	हीराकुंड पन बिजली घर और तालचेर तापीय बिजली उद्योग समूह में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in Hirakund Hydro Electric Station and Talcher Thermal Power Complex ..	81
2361.	पूर्वी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं की स्थापना	Setting up of Hydel Power Plants in Eastern Regions	82
2362.	कोयला आदि की कमी के कारण उड़ीसा में उद्योगों पर प्रभाव	Effect of Shortages on industries in Orissa	82
2363.	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Orissa	82-83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2364.	उड़ीसा में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें	National Research Laboratories in Orissa	83
2365.	लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक सलाहकार	Industrial consultants for development of Small Scale, Rural and Cottage Industries	83
2366.	पश्चिम बंगाल में रसीदी डाक टिकटों की कथित कमी	Reported shortage of Revenue Stamps in West Bengal	83
2367.	श्रीनगर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों का सम्मेलन	Conference of Scientists of Regional Research Laboratories and National Laboratories in Srinagar	84
2368.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विद्युत संयंत्र	Power Plants manufactured by BHEL	84
2369.	राजस्थान में वस्तुओं की कमी के कारण उद्योगों पर प्रभाव	Effect of shortages on industries in Rajasthan	85
2370.	राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Rajasthan	85
2371.	सीमेंट के मूल्य में कमी	Fall in Prices of Cement	85
2372.	रेडियो तथा टेलीविजन कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Third Pay Commission for Radio and T.V. Employees	86
2373.	मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित बिजली घर स्थापित करने के बारे में अनुरोध	Request for setting up of coal Based Power Houses in Madhya Pradesh	86
2374.	ईस्ट चम्पारन, बिहार के जिला मजिस्ट्रेट के बंगले का घेराव	Gherao of Bungalow of District Magistrate of East Champaran, Bihar .. — — ..	86
2375.	त्रिपुरा सरकार द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र को विज्ञापन शुल्क न दिया जाना	Non payment of advertisement dues to a Daily Paper by Tripura Government	86–87
2376.	कोयला-खान श्रमिकों में क्षय रोग और फिलेरिया रोग के मामलों में वृद्धि	Increase in the incidence of T. B. and Filaria among coal mine workers	87
2377.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in coal price	87
2378.	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Coir Board Employees ..	87
2379.	सीमेंट और कागज परियोजनाओं में ईरान द्वारा पूंजी निवेश	Investment in cement and paper projects by Iran	87–88
2380.	वर्ष 1974–75 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य	Coal production target for 1974 75	88
2381.	पांचवीं योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य	Fifth Plan Target of coal production	88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2382.	कोयला खान क्षेत्रों में कथित भ्रष्टाचार का जारी रहना	Alleged continuance of corruption in coal mine areas	88–89
2383.	तेल में परिवर्तनीय कोयला रिजर्व	Coal Reserve Suitable for conversion into oil	89
2384.	अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण	Distribution of Essential Commodities	89–90
2385.	मंत्रियों द्वारा राज्यों की यात्रा	Tours of Ministers to States	90
2386.	वर्ष 1973–74 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण हेतु मध्य प्रदेश द्वारा सहायता की मांग	Assistance sought by Madhya Pradesh for Electrification of Villages during 1973-74	90
2387.	आसामी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाना	Replacement of Assamese Script by Roman Script	90-91
2388.	'कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिये योजना निकाय' शीर्षक से छपा समाचार	News report captioned 'Plan Body for Coal Based Fertiliser Plants'	91
2389.	तेल उत्पादन के लिए कोयले के हाईड्रोजनीकरण के बारे में परियोजना रिपोर्ट	Project Report on Hydrogenation of Coal for producing oil ..	91–92
2390.	उड़ीसा में कोयला भंडार बनाने का प्रस्ताव	Setting up of coal Dumps in Orissa	92
2391.	उड़ीसा के पुरी जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in Puri District in Orissa	92–93
2392.	दरभंगा के टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें	Complaints of Darbhanga Telephone Users	93
2393.	आल इंडिया पी० एंड टी० कैजुअल एंड मस्टर रोल मजदूर यूनियन की मांगें	Demands made by All India P & T Casual and Muster Roll Mazdoor Union	93–94
2394.	बिहार में मधुबनी जिले के राजनगर खंड के कैशानी गांव में एक हरिजन की हत्या के बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने का आरोप	Alleged police inaction against the murderer of a Harijan in Kaishani village of Rajnagar block in Madhubani District of Bihar ..	94–95
2395.	नारियल जटा बोर्ड के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of Coir Board	95
2396.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकरण	Working of Indian Telephone Industries Ltd.	95
2397.	आकाशवाणी दिल्ली से भोजपुरी गीत	Bhojpuri Songs from A.I.R. Delhi	95
2398.	आकाशवाणी, दिल्ली से भोजपूरी भाषा में प्रसारण	Use of Bhojpuri language from AIR Delhi	96
2399.	बिजली की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना	Setting up of National Power Grid to overcome Power Shortage ..	96
2400.	श्री जय प्रकाश नारायण के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत	P.M's. talks with Shri Jaya Prakash Narayan	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2401.	गुजरात में जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Hoarders, Profiteers and Black Marketeers in Gujarat ..	97
2402.	सौराष्ट्र तट से पाकिस्तानी कार्मिकों को पकड़ने के बारे में समाचार	News item regarding picking up of Pakistani personnel from Saurashtra Coast	97
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	97
	आयात लाइसेंस कांड	Import Licences case ..	97–101
	सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	101–103
	अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	103
	महरौली (दिल्ली) में जौनपुर गांव में मजदूरों की झुग्गियों में कथित आगजनी और आग लगाये जाने के फलस्वरूप दो शिशुओं की मृत्यु	Reported arson and setting on fire of Labourers' Jhuggis at Jaunpur village in Mehrauli (Delhi) resulting in the death of two infants ..	103–106
	समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	106
	इलायची बोर्ड	Cardamom Board	106
	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Sick Textile undertakings (Nationalisation) Ordinance 1974 (Ordinance No. 12 of 1974) and Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill	107
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	107
	श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta	107
	श्री एस०एन० सिंह	Shri Shive Nath Singh ..	108
	श्री इरास्मुद सेकेरा	Shri Erasmo de Sequeira	108
	श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ..	109
	श्री पी०जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	109
	श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni ..	110
	श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri ..	111
	श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R.S Pandey ..	112
	श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhary ..	112
	श्री एच०के०एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat ..	112

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee ..	113
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ..	113
श्री धामनकर	Shri Dhamankar ..	114
श्री बी०ग्रार० शुक्ल	Shri B.R. Shukla ..	114
श्री सी०एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen ..	114
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	115
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma ..	115
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	115
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Sawarn Singh Sokhi ..	116
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya	116
ग्राधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion ..	116
रेल हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति का वक्तव्य	Former President's Statement on Railway Strike	116–120

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 27 नवम्बर, 1974/6 अग्रहायण, 1896 (शक)
Wednesday, November 27, 1974/*Agrahayana* 6, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा की पांचवीं योजना का परिव्यय

***224. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अब तक अपनी पांचवीं योजना का अन्तिम प्रारूप भेज दिया है ;

(ख) क्या वह अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के लिए अनुमोदित अंतिम परिव्यय कितना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अनुमोदित अंतिम प्रारूप को सभा पटल पर रखने का है ?

योजना मंत्री (श्री डी०पी० धर) : (क) से (घ) जुलाई, 1973 में उड़ीसा सरकार ने 836 करोड़ रु० की राशि के पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों के प्रारूप प्रस्तुत किए थे । इन प्रस्तावों पर पहले तो विभिन्न कार्यकारी दलों, जिनमें योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे, में और अन्त में राज्य के राज्यपाल के साथ विचार किया गया । उड़ीसा सहित राज्यों की पांजवीं योजनाओं के आकार तथा विषयवस्तु को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है । जैसे ही उड़ीसा की पांचवीं योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा उसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सब चर्चाओं के पश्चात अनुमानतः यह निर्णय किया गया है कि पांचवीं योजना अवधि के लिए उड़ीसा की योजना का परिव्यय 1836 करोड़ रुपये होगा अथवा क्या इसे कम कर दिया गया है ? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

श्री डी० पी० धर : जैसा कि मैंने बताया है, उड़ीसा सरकार ने योजना आयोग को 836.09 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तुत की थी । इसके पश्चात हमें विभिन्न कार्यकारी दलों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों

से बातचीत करके यह निर्णय किया कि योजना 567 करोड़ रुपये के आकार की होगी और अब यही राशि निर्धारित है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या 1974–75 की वार्षिक योजना के लिए 71.44 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था और क्या इसमें योजना आयोग द्वारा और कटौती की जा रही है ? योजना आयोग का अध्ययन दल जो उड़ीसा में सूखे की स्थिति तथा वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों का अध्ययन करने गया था उसने बताया है कि इस स्थिति है में 71.40 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में कटौती करने से उड़ीसा के विकास के संबंध में उड़ीसा को काफी कठिनाई हो जाएगी। क्या योजना आयोग इस बात से सहमत है कि जो भी संसाधन हों, उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कराये जायें ताकि वर्ष 1974–75 के मूल योजना परिव्यय में कटौती न करनी पड़े।

क्या इस तथ्य के बावजूद भी कि उड़ीसा की एक तिहाई से भी अधिक जनसंख्या आदिवासियों और हरिजनों की है और 65 प्रतिशत लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर पर जीवन-यापन करते है योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार से परामर्श करके वहां के वर्ष 1975–76 के योजना परिव्यय में कटौती करने का निर्णय किया है ? क्या योजना मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री डी०पी० धर : निःसन्देह यह सच है कि संसाधनों की कमी के कारण वार्षिक योजना में कुछ कटौती करने का सुझाव दिया गया है। वास्तव में योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की व्यवस्था करने के प्रश्न पर संयुक्त रूप से विचार किया। इस संदर्भ में राज्य को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सुझाव दिए गए। उड़ीसा की आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार से बातचीत की जा रही है और भारत सरकार उड़ीसा की अधिकाधिक सहायता करने का प्रयास कर रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या 577 करोड़ रुपये की यह राशि अभी तक अनन्तिम है और क्या इसमें आदिवासियों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा रखी गई उप योजना भी सम्मिलित है ?

श्री डी०पी० धर : मैंने बताया है कि 150 करोड़ रुपये की राशि, जो पांचवीं योजना का कुल योजना परिव्यय है, अनन्तिम है। परन्तु उड़ीसा को इसके अतिरिक्त आदिवासियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिए विशेष सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उड़ीसा में पांचवी योजना में प्रति व्यक्ति नियोजन अनुमानतः कितना होगा और अन्य राज्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति होगी ?

श्री डी० पी० धर : मैं तत्काल ये आंकड़े बताने की स्थिति में नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यदि वह उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे कुछ नहीं पूछना है।

श्री डी० पी० धर : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं। परन्तु इसी समय ये आंकड़े मैं बता सकने की स्थिति में नहीं हूं। उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय और व्यय के आंकड़ों का अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना इस समय संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसके लिए उन्हें नोटिस की आवश्यकता है।

प्रो० मधुदंडवते : मैं उनके लिए आंकड़े निकालूंगा।

श्री डी० पी० धर : मैं कठोर नहीं बनना चाहता।

श्री पी० गंगादेव : मैं योजना मंत्री से यह बात जानना चाहता हूं कि आयातित तथा स्वदेशी दोनों प्रकार की मशीनों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से केन्द्र के अन्तिम परिव्यय से उड़ीसा राज्य के भौतिक लक्ष्य किस सीमा तक प्रभावित होंगे और पांचवीं योजना के अन्त तक एक हजार की आबादी वाले गांवों को सभी

ऋतुओं में सुविधाजनक सड़कें तथा गांवों में पीने के पानी संबंधी सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, जो अत्यधिक आवश्यक हैं, को पूरा करने के लिए राज्य को सहायता देने हेतु मंत्री महोदय का क्या विचार है ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री डी० पी० धर : जहां तक पांचवीं योजना की अन्तिम स्थिति पर मूल्यों के प्रभाव का प्रश्न है, इसका अध्ययन किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए जिसमें सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पीने के पानी की सप्लाई भी सम्मिलिति हैं, 149.38 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, आप भी उड़ीसा के मामले में हाथ रखते हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं उड़ीसा के सन्निकट पश्चिम बंगाल से आया हूं ।

मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि सड़कों के निर्माण पीने के पानी की सप्लाई के लिए 149 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

श्री डी० पी० धर : 149 करोड़ रुपये की राशि मैंने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पूंजीनिवेश करने के लिए बताई है । उड़ीसा राज्य में भौगोलिक आधार पर राशि वितरण के सही आंकड़े सभा को बता पाना मेरे लिए कठिन है । परन्तु उड़ीसा के वार्षिक बजट में निश्चित रूप से ये आंकड़े दिये गए हैं ।

भारतीय सीमेन्ट निगम के कार्यकरण विषयक, प्रतिवेदन की समीक्षा

***227. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखापरीक्षा बोर्ड ने भारतीय सीमेंट निगम के कार्यकरण के प्रतिवेदन पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Shri Bhogendra Jha : In view of the fact that the report has not been received so far. May I know from the Government the time by which the report is expected to be received ? Also, in view of the fact that the cement producers and wholesale dealers are in collusion and are creating scarcity of cement, which is leading to blackmarketing, may I know whether the Government propose to nationalise the cement industry ?

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यरूप देने के किए एक सुझाव माना जाएगा ।

Shri Bhogendra Jha : I have asked the time by which the report is expected to be received.

Shri B. P. Maurya : This was discusred in April, 1972. I agree that sufficient time has passed by. I would like to assure the House through you that the report will be laid on the Table in near future.

Shri Bhogendra Jha : May I know the points given to Audit Board for verification and whether it has also been included in those point that in view of the production and distribution of cement, will nationalisation of this industry is more profitable or the present system ?

Shri B. P. Maurya : All the problems regarding the cement industry will be touched. The hon. Member should wait for the report.

Mr. Speaker : The hon. Minister should think carefully before he gives the time limit.

Shri Bhogendra Jha : At present he has said it after giving it due thought. He may be pressurised by the owners later on.

Mr. Speaker : He is a young man. I thought I should advise him.

भारतीय चलचित्रों की विदेशों को तस्करी

\+
*229. श्री सुखदेव प्रशाद वर्मा :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय चलचित्रों की बड़े पैमाने पर विदेशों को होने वाली तस्करी का पता है;

(ख) क्या इस गैर कानूनी व्यापार में सरकार के किन्हीं उच्च अधिकारियों का हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो चलचित्रों की तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharambir Sinha) : (a) During the period from July 1973 to August, 1974, 21 Feature Films worth 5,26,000 were seized while being smuggled from our country.

(b) The Government have no information regarding the involvement of certain High Officials of the Government in this illegal trade; and

(c) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

The steps taken to prevent smuggling of goods including films out of the country

Some of the steps taken are systematic collection and follow up of information and keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircraft, and preventive operations in vulnerable sector along the coast and the land frontiers. Additional launches and vessels are being provided for effective interception, prevention, etc. Some senior officers of the rank of Collectors of Customs, Additional Collectors of Customs and Assistant Collector of Customs have been posted in vulnerable areas to look after anti-smuggling work exclusively. Extra vigilance is exercised in examination of suspected baggage and parcels sent out of the country. Recently, the Customs Act, 1962 has been further amended to provide more severe punishment for smuggling offences and to plug loopholes.

A comprehensive scheme for establishment of Coast Guard Mobile Preventive Parties on the West Coast and Tamil Nadu Coast has been sanctioned. In addition to it, the Government has also sanctioned a scheme for a wireless communication net-work covering the West Coast and the Tamil Nadu Coast. This should provide speedy, reliable and secret means of communication for our anti-smuggling staff. Over one hundred places will be connected by this net-work.

Government have placed orders for 20 fast sea-crafts for checking smuggling out of which two crafts have arrived and started functioning since October, 1974. The balance of the requirement will be built abroad and/or in India by M/s. Garden Reach workshops, Calcutta in collaboration with the Norwegian firm.

The anti-smuggling staff has been augmented. The position is kept under constant review.

The various measures, both administrative and legal, taken by Government from time to time to prevent smuggling of goods into or out of India and to check diversion of foreign exchange from official channels have been under constant review. Unless the links which facilitate violations of foreign exchange regulations and smuggling activities are disrupted by immobilising by detention the persons engaged in these operations, anti-smuggling measures would not have a substantial impact. Hence, on the 17th September, 1974, the President of India had promulgated the maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1974 to provide for preventive detention of persons acting in any manner prejudicial to conservation of foreign exchange, smuggling goods, or abetting others to smuggle goods or dealing in smuggled goods. On the 25th November, 1974, the Conservation of Foreign Exchange-and Prevention of Smuggling Activities Bill, 1974 has been introduced in the Parliament to replace the Ordinance to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister in his reply has said that the value of films seized is Rs. 5 Lakh. In this connection, I would like to know the number of the film smugglers arrested, their names and addresses. The hon. Minister has also said that the information as to whether certain Government officials are involved or not, has not been received. I would like to know the names of those persons who are responsible for handing over these films to those smugglers. How it has been possible to smuggle one these films to foreign countries in view of the arrangements made by the Government to check smuggling of films ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उससे माननीय सदस्य को पता चलेगा कि फिल्मों की तस्करी को अन्य वस्तुओं की तस्करी से अलग नहीं रखा जा सकता। तस्करी की वस्तुओं में फिल्में भी आती हैं। इस प्रकार की तस्करी चल रही थी जिसे सरकार की दृढ़ कार्यवाही ने रोक दिया है। मैंने पकड़ी गई फिल्मों का ब्यौरा दिया है। परन्तु व्यक्तियों का विवरण जानने के लिए माननोय सदस्य को प्रश्न राजस्व आसूचना विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछना होगा, मुझ से नहीं।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : Sir, I have asked a specific question but the hon. Minister has not given a satisfactory reply to that. It has been stated in the statement that the Government has agreed to the formation of a preventive force and persons and equipments have also been arranged for various acts. May I know the time by which the scheme approved by the Government is proposed to be enforced ? I wanted to know the names of those from whom these films were recovered as well as the names of those who recovered these films. May I know whether the Government have made any enquiry about the suspects in smuggling and whether any action has been taken against such suspects ?

Shri I. K. Gujral : As I have submitted, the scope of the smugglers is not confined to the smuggling of films only but many other things are also included in smuggling.

there may be certain smugglers, involved in the smuggling of films and against whom action has been taken by the Government. I am not in a position to give the details about the person arrested because the responsibility of arresting the smugglers is that of the revenue intelligence. This question may be asked from the Minister incharge of revenue intelligence. As regards persons arrested, we have collected information. This requires a separate notice.

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : क्या सरकार का ध्यान इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि इंडियन मोशन पिक्चर एक्सेपोर्ट कारपोरेशन उन देशों को फिल्मों का निर्यात करने में असफल रहा है जिनमें भारतीय चलचित्रों की बहुत अधिक मांग है और क्या इससे तस्करों को उन देशों को अधिक फिल्मों की तस्करी करने के मामले में प्रोत्साहन मिला है; और यदि हां, तो क्या ऐसा 'इम्पैक' के अधिकारियों की सांठ-गांठ से नहीं होता है ? मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि वह फिल्मों की तस्करी के लिए जिम्मेवार लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते । लेकिन यह प्रश्न का एक भाग है । मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि देश से 21 फिल्मों की तस्करी की गई है । फिल्मों की तस्करी के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है—क्या वह निर्माता हैं, वितरक आदि हैं और क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री आई० के० गुजराल : फिल्मों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतया राजस्व आसूचना विभाग की है। वह कुछ फिल्में पकड़ने में सफल हुआ है । जैसाकि आपको विदित है, हाल ही में तस्करों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की गई है । यह कहना कठिन है कि इन वस्तुओं की तस्करी कौन कर रहे हैं । इसके लिए माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं । जहां तक 'इम्पैक' का संबंध है, दुर्भाग्य से हमारा प्रयोग सफल नहीं रहा है । अतः हम 'इम्पैक' को समाप्त करने और फिल्मों का आयात और निर्यात करने तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Nawal Kishore Sharma : The hon. Minister has stated that their experiment regarding IMPEC has not been successful and so they are thinking of setting up a National Films Development Corporation. In such circumstances, I would like to know what is the position of the Film Finance Corporation ? I want to know whether the Film Finance Corporation will also be associated with Film Development Corporation or it will work as a holding Company ?

Mr. Speaker : He has simply said that they are thinking of establishing a corporation and you have begun asking questions regarding that.

Shri Nawal Kishore Sharma : The present question arises out of the answer given by him.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता । मंत्री महोदय ने कहा कि वह ऐसे निगम की स्थापना के बारे में विचार कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय सभा को इस बारे में संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि फिल्मों की बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी इसका एक अंग है । मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि गत सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार किया था कि लोक प्रिय फिल्म 'बॉबी' के अनेक प्रिन्टों की तस्करी की गई थी, मैं नहीं जानता कि क्या आपने यह फिल्म देखी है......

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे फिल्म देखने के लिए समय ही नहीं देते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस फिल्म के अनेक प्रिन्ट इस तर्क के आधार पर खुले आम ब्रिटेन भेजे गए थे कि उन्हें 'कलर प्रोसेसिंग' के लिए भेजा जा रहा है । लेकिन तब यह पता लगा कि उक्त फिल्म की मूलतः रंगीन फिल्म भारत में ही तैयार की गई थी । इस तर्क के आधार पर वे प्रिन्ट ब्रिटेन भेजे गए थे और वहां से किसी ने उनको अन्य देशों को तस्करी की व्यवस्था की । यह ऐसा मामला है जिसका सामान्य तस्करी से कोई संबंध नहीं है । इसके लिए कोई व्यक्ति अवश्य दोषी होगा ।

क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और इस बात का पता लगा है कि इस फिल्म के प्रिन्ट गलत ढंग से अन्य देश को भेजने, जहां से उनको चोरी-छिपे अन्य स्थान पर भेजा जाएगा, के लिए कौन दोषी है ? इस समस्त मामले की जांच के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि जैसे ही हमें इस मामले की जानकारी हुई हमने इस मामले को जांच के लिए राजस्व आसूचना विभाग को भेज दिया था । वह इस बात की जांच कर रहा है । हमें उनसे पता लगा है कि वे इसकी जांच कर रहा है । हमें उनका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा बहुत पहले हुआ था । उक्त फिल्मों को खुले आम बाहर कौन भेज सकते थे ?

श्री आई० के० गुजराल : इस बारे में केवल यह बात संभव थी कि हम इसे राजस्व आसूचना विभाग की जानकारी में लाते । मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता कि वह इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और उसे इसमें कितना समय लगता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको इसकी जानकारी कैसे हुई ?

श्री आई० के० गुजराल : मैंने ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ा है । जैसे ही समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि उक्त फिल्म को चोरी-छिपे दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया था, हमने कानूनी कार्यवाही की और इस आधार पर हमने शीघ्र अपनी कार्यवाही आरम्भ कर दी । हमने उक्त मामला राजस्व आसूचना विभाग को सौंप दिया है । इस मामले में जांच की जा रही है । उक्त मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । मैं माननीय मित्र को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले से संबद्ध सामने आने वाली सब बातों की जांच करते हैं । कुछ फिल्मों की अफगानिस्तान को तस्करी की गई थी । जैसे ही हमें इस वात की जानकारी मिली, हमने इस संबंध में एक अधिकारी को वहां भेजा और अफगान सरकार से फिल्म को जब्त करने का आग्रह किया था । अफगान सरकार ने भी अपने एक स्थानीय तस्कर पर मुकदमा चलाया जिसका इस मामले से संबंध था ।

श्री रामसहाय पाण्डे : 'इम्पैक' की स्थापना अन्य देशों को फिल्मों के निर्यात को नियमित करने के लिए की गई थी । माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि सरकार का अनुभव 'इम्पैक' के बारे में संतोषजनक नहीं रहा है और उसका विचार इसे नियमित करने के कार्य को किसी और ऐजेंसी को सौंपने का है । 'इम्पैक' के बारे में सरकार का वास्तविक अनुभव क्या रहा है ? मैं इस बारे में उनका ध्यान श्री तारिक के वक्तव्य की ओर भी दिलाना चाहूंगा । उन्होंने स्पष्टतया यह उल्लेख किया है कि निर्माताचोरी-छिपे फिल्मों को बाहर भेजने का कार्य करते हैं और इस कारण हमने करोड़ों रुपये की हानि उठाई और हम अभी भी करोड़ों रुपये की हानि उठा रहे हैं ।

श्री एस०ए० शमीम : श्री तारिक पर भी तस्करी करने का आरोप लगाया गया है ।

श्री आई० के० गुजराल : हमारा 'इम्पैक' के बारे में अनुभव दुर्भाग्यपूर्ण रहा है क्योंकि उसने अपने कार्य काल के दौरान भारी धनराशि की हानि उठाई है । जैसाकि सेवानिवृत्त होने वाले अध्यक्ष ने पूछा था, हम भी 'इम्पैक" के कार्यकरण के बारे में प्रारम्भिक जांच कर रहे हैं । जांच के परिणाम की ओर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इसमें और जांच की आवश्यकता है ।

श्री रामसहाय पाण्डे : सरकार और कौन सी एजेंसी गठित करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : इस बारे में जांच की जा रही है कि उक्त सौदे क्या थे, 'इम्पैक' को इतनी अधिक हानि क्यों हुई तथा क्या उक्त सौदे वास्तविक थे आदि ।

श्री भोगेन्द्र झा : इस विषय के संबंध में छः या सात प्रश्न है । आप इन सबका एक प्रश्न क्यों नहीं बना देते ?

अध्यक्ष महोदय : वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह सच है कि श्री तारिक पर तस्करी को बढ़ावा देने के आरोप लगाये गए थे और क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या यह राजस्व आसूचना विभाग का

कर्तव्य है कि वह इस बात का विशेष रूप से पता करे कि किन लोगों ने उनके विरुद्ध आरोप लगाये और तस्करी को कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : 'इम्पैक' के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें की गई थीं और जैसा मैंने अभी बताया, इस बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है। जांच प्रतिवेदन की जांच की जा रही है और जांच के परिणाम के बारे में हम बाद में निर्णय लेंगे ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या यह सच है कि "इम्पैक" के भूतपूर्व अध्यक्ष ने विदेश व्यापार मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विरुद्ध यह आरोप लगाये हैं कि "इम्पैक" उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है जिस प्रकार से उसे काम करना चाहिए और उसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त न करने का एक कारण यह था कि सब मंत्रालय मिलकर "इम्पैक" के अध्यक्ष को उचित रूप से कार्य करने नहीं देते ?

श्री आई० के० गुजराल : यह सच है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने ऐसा एक वक्तव्य दिया था। लेकिन उक्त वक्तव्य तथ्य पर बिल्कुल आधारित नहीं है। प्रारम्भिक जांच से विपरीत बातों का बोध होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

फीचर फिल्मों के वितरण कार्य का सरकारीकरण

*230. **श्री भान सिंह भौरा** : +

श्री वयालार रवि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फीचर फिल्मों के वितरण का कार्य अपने हाथ में लेने का निर्णय किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्मों के वितरण माध्यम का प्रश्न विचाराधीन है ।

Shri Bhan Singh Bhaura : Has it come to your notice that many smugglers have tried to convert their black money into white money through their distributors—it has been reported in the press ? If so, why is there delay in taking over the distribution ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri I. K. Gujral) : In my reply I have stated that we are considering to take over the distributors. We are thinking over the pattern. He has mentioned about the black money. These are the facts which would be taken into account while evolving a scheme.

Shri Bhan Singh Bhaura : When would you do that ?

Shri I. K. Gujral : We want to do it very soon.

श्री वयालार रवि : सब जानते हैं कि देश में फिल्म वितरण फिल्म उद्योग में काला धन प्राप्त करने का स्रोत है। फिल्म वितरक भी काले धन को सफेद धन में बदलने के काम में लगे हैं तथा साथ ही वे काले धन का प्रसार भी कर रहे हैं। काले धन का यह एक मुख्य स्रोत हे। इस पृष्ठभूमि में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जबकि सरकार वृत्त चित्रों के निर्यात तथा आयात व्यापार में पदार्पण कर चुकी है, क्या सरकार का विचार नये निर्माताओं की सहायता करने का भी है ? अनेक नये निर्माता बैंकों तथा फिल्म वित्त निगम की सहायता से कम पैसा हाथ में लेकर उद्योग में आ रहे हैं। क्या सरकार का विचार अपनी निजी वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह प्रश्न अनेक कारणों से पूछा जाता है। एक कारण यह है कि हम यह चाहते हैं कि कुछ धन एकत्रित किया जाये जोकि फिल्म निधि का एक अंग बने और जिससे फिल्म-निर्माताओं को सहायता दी जाए। दूसरा कारण यह है कि इस उद्योग में विद्यमान कतिपय कदाचारों को समाप्त किया जाए। तीसरे, फिल्म वितरण समूचे फिल्म उद्योग की गतिविधियों का केन्द्र है, उसकी जान है। यदि हम इसे सुनियोजित कर पाते हैं तो शायद हम समूचे फिल्म उद्योग में ही एक स्वस्थ वातावरण पैदा कर सकेंगे।

Shri Mohd. Jamilur-rehman : From the hon. Minister's statement just now, it appears that he wants to canalise the film distribution. I want to know whether Government has asked the distributors to furnish the number of films they get from the producers for distribution, so as to put a check on the smuggling of films ?

Shri I. K. Gujral : I could not exactly follow his question. Does he mean that we should write a letter to the distributor asking him to tell as to how much black-money does he earn ?

Shri Jamilur-rehman : How many films do they get from the producers ?

Shri. I. K. Gujral : After examining all the aspects, the Government has reached at only one conclusion that this should be canalised and we are heading towards that and examining all the relevant details. Let me make it clear that the decision of canalising the system of distribution has been taken by the Government on their own and not at any body's instance. We have yet to work out certain procedures, details as also the machinery; and all that would take some time.

Shri Atal Behari Vajpayee : The fact remains that there is an acute shortage of cinema houses to exhibit films. As a result thereof, good films do not get theatres and certain producers and distributors cunningly make arrangements to run their films at some theatres for a very long time. I want to know the progress so far made in the directors of building theatres by Government for art films ? Why is there delay in failing the conspiracy of the producers, distributors and the theatre-owners, not allowing any film to run for more than 6 weeks or for any period so prescribed, and also in providing opportunity to the cine-goers to see all the films ?

श्री आई० के० गुजराल : यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं और श्री वाजपेयी किसी बात पर तो सहमत हों। फिल्म वितरण को सुनियोजित करने की इस योजना के पीछे एक ध्येय यह भी है कि हम प्रदर्शकों को अच्छी फिल्में प्रदर्शित करने को बाध्य भी कर सकें। अन्यथा उनको बाध्य करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वस्तुतः बहुत बड़ी संख्या में सिनेमा गृहों की जरूरत है। मैंने एक बार यहां कहा था कि देश भर में इस समय कुल 8,000 छविगृह हैं। इसकी तुलना में सोवियत संघ में, जहां कि हम से चौथाई जनसंख्या है, 1,40,000 सिनेमागृह हैं। दिल्ली में उससे कहीं कम छविगृह हैं जितने कि होने चाहियें। मैं अधिक संख्या में सिनेमाघरों का हिमायती हूं। सौभाग्य से कुछ राज्य सरकारों ने यह अनुभव कर लिया है तथा उन्होंने निगम बनाये हैं। परन्तु मैं एक बात का अपने मित्र श्री वाजपेयी को विश्वास दिला सकता हूं कि जब वितरण के सुनियोजन की योजना लागू हो जायेगी तो उसका एक आधारभूत पहलू यह भी होगा कि वर्तमान छविगृहों के माध्यम से बढ़िया फिल्में दिखाई जाया करेंगी।

Shri Nawal Kishore Sinha : Keeping in view the fact that the problem is not of distribution but is that of making objectionable films, how can the Government solve this problem of making objectionable films simply by taking over the distribution thereof ? Is it not desirable that the Government should care more to curb the production of objectionable films ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अधिग्रहण के बारे में है फिल्म उत्पादन के बारे में नहीं।

Shri Nawal Kishore Sinha : The question does relate to taking over the distribution and the hon. Minister wants to canalise that. But before distribution, there is a problem of producing bad films. How to stop that ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let him be asked as to which film he saw and found objectionable.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार वृत चित्रों के वितरण को सुनियोजित करना चाहती है। क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र सरकार पर ठोस सहायता विशेषकर वित्तीय सहायता देने के लिये, जोर दे रही है ताकि वह बेहतर फिल्में प्राप्त कर सके जबकि प्रतिभाशाली लोगों को अपने अवसर बनाने के लिये अन्य राज्यों में जाना पड़ता है ?

श्री बसन्त साठे : यह प्रश्न भी उतना ही असंबंधित है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह बिल्कुल संबंधित प्रश्न है। यह प्रश्न फिल्मों के वितरण के बारे में है।

श्री आई० के० गुजराल : यह सच है कि फिल्म उद्योग एक लम्बे समय तक कठिनाईयों में रहा है और भारत सरकार ने उसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। अब बंगाल के फिल्म उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार का एक मिलाजुला कार्यवाही-दल गठित किया गया है। अब मूल प्रश्न यह है कि बंगाल के फिल्म उत्पादन की क्या कठिनाई है। धन का उपलब्ध न होना। जब तक धन उपलब्ध नहीं होता तब तक इस फिल्म उद्योग की अर्थ संबंधी तथा उत्पादन की किस्म संबंधी समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

श्री के० लकप्पा : मैं फिल्म उद्योग की सहायता के लिये उठाये गये कदमों के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। परन्तु क्षेत्रीय भाषायी क्षेत्र में फिल्म उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। दक्षिण भारत में सशस्त्र फिल्म निर्माता तस्करों के साथ मिलकर विभिन्न दिशाओं में अपना धन्धा चला रहे हैं और इस दृष्टि से, तथा फिल्म उद्योग को उभारने इसे युक्तिसंगत आधार प्रदान करने और क्षेत्रीय फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये क्या सरकार समूचे तौर पर फिल्म वितरण का, तथा उन सिनेमाघरों का जोकि तस्करों के साथ साठगांठ करके काफी बड़ी राशि खर्च करके निर्मित किये गये हैं, अधिग्रहण करने के बारे में विचार करेगी ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक फिल्मों के प्रदर्शन की बात है सो वह राज्यों का विषय है और राज्य सरकारों ने ही यह सोचना है कि वे सिनेमाघरों को अपने अधिकार में लें अथवा नहीं। यह हमारे कार्य क्षेत्र का विषय नहीं है। जहां तक वितरण की बात है उसके बारे में मैंने सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has admitted that the film industry is facing acute difficulty. Is it a fact that the main reason for this is that the actors charge exorbitant amount. Will you put any restriction on this amount?

Shri I. K. Gujral : This is also one reason. But there are many other reasons also. Unless a comprehensive policy is formulated there will be no use to put bar on the actor not to take more than one film or not to accept more than a fixed amount.

Shrimati Sahodrabai Rai : Absurd films are produced which have a wrong effect on the mind of young boys and girls. Will the Government make arrangement that such absurd films are not produced.

Shri I. K. Gujral : It is correct that some films are objectionable. I had stated at that time of discussion on the Censor board bill that the structure of the Censor board is being reshaped and this will bring some result. But there are two main things which will have effect on it. Firstly, the atmosphere in the country should be such that people do not like seeing such pictures and secondly at present there are such financiers who have nothing to do with the standard of films and their only aim is to earn profits. That is why I am stressing that unless a film fund is formulated, nothing will come out.

नई दिल्ली में आयोजित फिल्मी कलाकारों के क्रिकेट मैच के लिए बेचे गए जाली टिकट

*231. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि प्रधान मंत्री राहत कोष के लिये नई दिल्ली में हाल में आयोजित फिल्मी कलाकारों के क्रिकेट मैच के दौरान जाली टिकट बेचे गये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितने जाली टिकटों को जब्त किया है; और

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई गिरफ्तारी की है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दस रुपये के मूल्य वाले 727 जाली टिकट पुलिस के द्वारा पकड़े गये।

(ग) आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने बताया है कि 727 जाली टिकट जब्त किए गए हैं। इस से पता चलता है कि वहां कितनी बड़ी संख्या में जाली टिकट थे। इसको दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इस क्रिकेट मैच से प्रधान मंत्री राहत कोष को कितना शुद्ध लाभ हुआ और कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री धर्मवीर सिंह : यह सच है कि वहां जाली टिकट बेचे जा रहे थे तथा पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति में बताया है कि बेचे जा रहे अग्रिम टिकटों के फोटो लेकर 10 रुपये के मूल्य के हजारों टिकट छापे गये थे। दिल्ली पुलिस को शाबाशी दी जानी चाहिए कि उन्होंने उसी शाम अपराधियों को गिरफ्तार कर सकी है, जहां तक आय का संबंध है, टिकटों की बिक्री द्वारा 2,79,790 रुपये की शुद्ध आय हुई है तथा 13,500 रुपये व्यय किए गए हैं, यह अनुमानित व्यय है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा इसका लेखापरीक्षा किया जायेगा, इसके अतिरिक्त एक फिल्म संगठन ने एक लाख रुपया दिया था तथा अन्य फिल्मी हस्तियों ने 30,000 रुपये दिये थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस शो में आने वाले फिल्मी कलाकारों की यात्रा और दिल्ली में उनके रहने पर होने वाला खर्च किसने उठाया है ?

राज्यवार किन फिल्मी कलाकारों को टेलीविजन पर दिखाया गया जब कि इतनी बड़ी संख्या में फिल्मी कलाकार मीसा के डर के बिना उसमें शामिल हुए ? क्या यह भी सच है कि फिल्मी कलाकारों ने किराया अथवा अपनी यात्रा में होने वाले व्यय और दिल्ली में ठहरने का व्यय करने के लिये कोई धन की मांग नहीं की है ?

श्री धर्मवीर सिंह : मैंने 13,150 रुपये के आंकड़े दिये हैं। यह पैसा उगाहे गए 2,79,790 रुपये में से व्यय किया गया था। हमें फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया सहित अनेक संगठनों और इस मैच का आयोजन करने वाले तथा यहां पहुंचे फिल्म कलाकारों का विमान किराया तथा होटल व्यय देने वाली फर्म से भी सहयोग मिला।

फर्म का नाम दिल्ली बोटलिंग कम्पनी है। जहां तक टेलीविजन के इंटरव्यू का संबंध है माननीय सदस्य तथा कलाकार इसमें कही गई बातों में हास्य को समझेंगे।

श्री वसंत साठे : हमारे वास्तविक क्रिकेट के वर्तमान स्तर को देखते हुए क्या सरकार फिल्म कलाकार क्रिकेट को वास्तविक क्रिकेट के स्थान पर रखेगी ? आप इससे और अधिक धन जमा कर सकते हो।

श्री धर्मवीर सिंह : चूंकि यह फिल्म कलाकार क्रिकेट मैच था, इससे हमें आय हुई है, कुछ लोगों ने भी हमारे लिये पैसा उगाहा है। हमें क्रिकेट मैच द्वारा एक अच्छे लक्ष्य के लिये पैसा उगाहने के लिये किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। निश्चय ही यह क्रिकेट एक खेल के रूप में नहीं है।

Shri Shankar Dayal Singh : The Film Star Cricket match has benefitted in a lot. Will you make arrangement for broadcsating running commentary for Film Star Cricket match as is done in the case of real cricket test match ? It was demanded by the public.

Shri Dharam Bir Sinha : Shri Shankar Dayal Singh is a hindi scholar. He can become a good commentator.

Shri Shankar Dayal Singh : I have asked whether arrangement for commentary will be made ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि इस क्रिकेट मैच से एक अच्छे उद्देश्य के लिये आय हुई है तो क्या वही मंत्रालय खुले मैदान में संसदीय वाद-विवाद कराने का इंतजाम करेगा ताकि लोगों को यह पता चले कि वे संसद में किस प्रकार कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार में यह इस प्रवृत्ति को रोकने में सहायक होगा

श्री एस० ए० शमीम : क्या यह सच है कि इस क्रिकेट मैच में भाग लेने वाले अनेक फिल्मी कलाकारों पर करापवंचन का अभियोग लगाया गया है तथा उन पर काला धन कमाने का खुला आरोप लगाया गया है ? जब उनको आमंत्रित किया गया था और राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीरें खींची गई तो क्या उनको वह आदर दिया गया है जो आम तौर पर उन्हें नहीं मलना चाहिए ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह के क्रिकेट मैच इस देश की सार्वजनिक नैतिकता पर बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे तथा क्या केवल 2 लाख रुपये वसूल करने के लिये इस प्रकार के आयोजनों को त्यागा नहीं जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : यद्यपि मुझे आश्चर्य हुआ है, मुझे दुख है कि मेरे माननीय मित्र ने इसे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या यह सच नहीं है कि राजकपूर, दिलीप कुमार तथा अन्य व्यक्तियों ने, जिन पर करापंवचन के अभियोग लगाये गये हैं, राष्ट्रपति के साथ फोटो खिचवाये हैं और क्रिकेट मैच खेला है जिससे उन्हें वह सम्मान मिला है जिसके वे पात्र नहीं हैं ? इसमें सही परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे मित्र ने नाम बताए हैं, इसमें न तो समझदारी है और न यह सच है, प्रश्न पूछते समय वे यह भूल जाते हैं, वे दूसरों को आचरण संहिता अपनाने की बात करते हैं । मैं चाहता हूं कि जब उन्होंने हाजी मस्तान के साथ समय बिताया तो इस बात का ध्यान रखा था **(व्यवधान)** ।

श्री एस० ए० शमीम : मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है, मन्त्री महोदय यह आरोप लगाते समय भूल जाते हैं कि संसद में आने के बावजूद भी मैं पेशे से पत्रकार हूं यह पत्रकार का काम है कि वह किसी से भी मिलकर इस सच का पता लगाये कि मंत्री हाजी मस्तान से पैसा ले रहे हैं, इस सच का पता लगाये कि मुख्य मंत्री हाजी मस्तान से पैसे ले रहे हैं और हाजी मस्तान फिल्म निर्माताओं को पैसा दे रहा है और वे फिल्मों के प्रीमियर में शामिल हो रहे हैं **(व्यवधान)** ।

Shri Shankar Dayal Singh : There is no truth in it. These accusations are totally unfounded......

श्री एस० ए० शमीम : मैंने हाजी मस्तान से सच का पता लगा लिया है । उसने आप सब को सावधान कर दिया है **(व्यवधान)** ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Shamim has levelled very serious allegations. He said that Shri Gujral attended such films which were produced with the money financed by Haji Mastan. He may admit it or counter it.

श्री आई० के० गुजराल : मुझे ऐसे किसी फिल्म प्रीमियर के बारे में मालूम नहीं है जहां मैं गया था, मैं आम तौर पर किसी फिल्म प्रीमियर में नहीं गया हूं । मैं नहीं जानता हूं कि वे मेरे विरुद्ध मनमाने आरोप क्यों लगा रहे हैं । माननीय सदस्य ऐसे आरोप लगाते समय मुझे पहले सूचना दिया करें ।

श्री एस० ए० शमीम : मुझे सच का पता लगाने के लिए किसी से भी मिलने का अधिकार है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको नहीं बुलाया है । कृपया बैठ जाइये, वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं ।

डा० कैलाश : आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होने की अनुमति मत दीजिए ।

श्री एस० ए० शमीम : मैं एक लेख के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री आई० के० गुजराल : क्या मैं उनका उत्तर दूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है, वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे थे ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया
Not recorded.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मध्य प्रदेश में उच्च खनिज विकास प्रयोगशाला स्थापित करना

*222. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में उच्च खनिज विकास प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय आधार पर चलचित्र उद्योग के विकास के बारे में सर्वेक्षण

*223. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा चलचित्र उद्योग के क्षेत्रीय आधार पर विकास का अनुमान लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-सा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पीछे है; और

(ग) गत कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में कई फिल्म स्टुडियो बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पश्चिम बंगाल का फिल्म उद्योग 1971 में अनिश्चित स्थिति में था जब कुछ स्टुडियो के मालिकों ने अपने स्टूडियो बन्द कर दिये थे ।

Loss of Coal due to accidents in coal mines

*225. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) The number of fire and other accidents in the coal mines, mine-wise, during the last three years and the quantity of coal lost as a result thereof; and

(b) the action taken by Government against persons responsible for this loss?

The Minister of Energy (Shri K. C. Pant) : (a) A statement giving the names of the coal mines in which fire accidents occurred during 1971, 1972 and 1973 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 8587/74]**. It has been estimated that the average quantity of coal lost a as result of these fires is about 0.4 million tonnes per annum. The loss of coal due to other accidents is not appreciable.

(b) In every case of a fire accident, an enquiry is made, and appropriate action taken thereafter. Most fires are however, the result of spontaneous heating of coal.

कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के एपेक्स और मंडल कार्यालयों के लिए जन सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति

*226. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के एपेक्स और मंडल कार्यालयों के लिए जन सम्पर्क अधिकारियों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनका वेतन-मान क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयला खान प्राधिकरण के एपेक्स और डिवीजन कार्यालयों में 4 जन सम्पर्क अधिकारियों को रु० 1100-1600 के वेतनमान में नियुक्त किया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पद

*228. **श्री पी० एम० सईद:** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन बनाया गया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद अगस्त 1970 से जलाई, 1971 तक रिक्त रहा; और

(ख) यदि हां, तो संविधान के अधीन बनाये गये इस पद को इतने लम्बे समय तक रिक्त रखने के क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) इससे पहले के आयुक्त ने 21-9-1970 को अपने कार्यालय का कार्यभार छोड़ा था । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण की संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार इस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सहानुभूति रखने तथा उनके कल्याण कार्यों में सक्रिय रुचि रखने के लिये प्रख्यात हो । संसदीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 13-7-1971 को श्री शंकर राव माने के नाम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया था । उनको 14-7-71 को उनके चयन की सूचना दी गई थी । उन्होंने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 31-7-1971 को अपना कार्यभार संभाल लिया ।

नाइट्रिक एसिड बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना

*232. **श्री किशन मोदी :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नाइट्रिक एसिड बनाने हेतु सरकारी क्षेत्र में एक अन्य संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ध्यान आवश्यक दवाइयों की कमी को पूरा करने हेतु तीन नाइट्रिक एसिड संयंत्रों की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर कोई अन्तिम निर्णय लिया है ;

(घ) क्या अभी केवल एक ही संयंत्र से नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है; और

(ङ) संयंत्र की क्षमता की तुलना में नाइट्रिक एसिड का उत्पादन कितना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां । सरकार ने ट्राम्बे विस्तार कार्यक्रम के अधीन फार्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन वाले नाइट्रिक एसिड संयत्र के स्थापित किये जाने की, स्वीकृति प्रदान कर दी है । वे ट्राम्बे स्थित कान्सेन्ट्रेटेंड नाइट्रिक एसिड संयंत्र के प्रति वर्ष 20,000 मीट्रिक से बढ़ाकर 30,000 मीट्रिक टन विस्तार किये जाने पर भी विचार कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फर्टीलाईजर कारपोरेशन आफ इंडिया को नाइट्रिक एसिड की जरूरतों को पूरा करने के लिये कहा गया है । इस बीच नाइट्रिक एसिड से अत्यावश्यक दवायें बनाने के लिये मध्यवर्ती पदार्थों के आयात की अनुमति दी जा रही है ।

(घ) उर्वरक एवं विस्फोटक सामग्री बनाने के लिये इसके सीमित प्रयोग हेतु नाईट्रिक एसिड मुख्य रूप से 8 सयत्रों द्वारा तैयार किया जाता है । फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया का केवल ट्राम्बे एकक ही संकेन्द्रित नाइट्रिक एसिड बनाता है ।

(ङ) ट्राम्बे में संकेन्द्रित नाइट्रिक एसिड का उत्पादन 20,000 मी० टन की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में, 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 5730 मी० टन और 4856 मी० टन रहा है । इस वर्ष 31 अक्तूबर, 1974 तक उत्पादन 3,510 मी० टन रहा है । आशा है कि ट्राम्बे संयंत्र का उत्पादन फरवरी, 1975 तक काफी बढ़ जायेगा ।

उत्तर पूर्व सर्किल में दूर संचार सेवाएं

***233. श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूरसंचार सेवाओं की स्थिति उत्तर पूर्व सर्किल में अत्याधिक खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

उत्तर पूर्वी सर्किल में मौजूदा दूरसंचार सेवाएं मुख्य रूप से माइक्रोवेव प्रणाली पर दी जाती हैं जिसमें तिनसुकिया डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, शिलांग, गोहाटी जुड़े हुए हैं । शिलांग के बाद इस प्रणाली का कूच बिहार, टाइगरहिल, कांटहार और उसके बाद कलकत्ता तक विस्तार किया गया है । (1) शिलांग-सिलचर (2) शिलांग-अगरतला (3) डिब्रूगढ-दुलियांजन (4) तुर्रा-कूच बिहार (5) सिलचर-एंजल (6) जोरहाट-उत्तरी लखीमपुर मार्गों पर मल्टी चेनल वी० एच० एफ० लिंक भी दिए गए हैं । इनके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी सर्किल में कई एच० एफ० स्टेशन काम कर रहे हैं ।

जोरहाट-दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, और शिलांग, सिलचर, अगरतला मार्गों पर माइक्रोवेव प्रणालियों की स्थापना का काम भी चल रहा है । पूर्वी इलाके की कलकत्ता के साथ जोड़ने के लिये चौड़ी पट्टी की माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने की भी योजना है ।

माइक्रोवेव/वी० एच० एफ० नेटवर्क के अतिरिक्त इस इलाके में खुली तार लाइनों का एक विस्तृत नेटवर्क है जोकि कई स्थानों को जोड़ता है । इन लाइनों पर केरियर टेलीग्राफ और ट्रंक टेलीफोन प्रणालियां प्रचालन कार्य करती हैं ।

इस समय उत्तर पूर्वी सर्किल में 203 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 507 डाक-तार घर काम कर रहे हैं । इन में एक्सचेंज स्टेशनों के वे सार्वजनिक टेलीफोनघर शामिल नहीं हैं जहां ट्रंक कालें स्वीकार की जाती हैं । डाक-तार विभाग अविकसित और पहाड़ी इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोनघरों और संयुक्त डाक-तार घरों की व्यवस्था करने के लिये उदार नीति का पालन करता है । इस नीति के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन ये सुविधाएं घाटा उठा कर भी दी जाती हैं ।

शिलांग और गोहाटी के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दे दी गई है । 5वीं योजना में शिलांग में 800 लाइनों का एक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है । ट्रैफिक की संभावना और एक्सचेंजों के स्वचालित बन जाने के आधार पर ही दूसरे स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा देने के संबंध में विचार किया जायेगा । इनमें शिलांग, तेजपुर, इम्फाल, कोहिमा और अगरतला को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के जरिये जोड़ने का प्रस्ताव है । इसके साथ ही 6ठी योजना के दौरान शिलांग और कलकत्ता के बीच चौड़ी पट्टी के माइक्रोवेव लिंक के चालू हो जाने पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा कलकत्ता और दिल्ली तक दे देने का भी प्रस्ताव है । उत्तर पूर्वी सर्किल में दो टेलेक्स एक्सचेंज हैं । इनमें से एक गौहाटी में है जिसमें 100 लाइनों की क्षमता है और दूसरा शिलांग में, जिस में 20 लाइनों की क्षमता है । डिब्रूगढ़, इम्फाल अगरतला और जोरहाट में टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने के लिये भी योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है । उपस्कर मंगाने के लिये आर्डर भी दे दिये गये हैं ।

इस समय उत्तर पूर्वी सर्किल में 180 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं । इनमें से 142 एक्सचेंज आटोमेटिक हैं । इन एक्सचेंजों के उपस्करों की कुल क्षमता 30930 लाइनों की है और इनमें 24592 सीधी एक्सचेंज लाइने (इनमें पी० बी० एक्स जंक्शन भी शामिल हैं) काम कर रही हैं ।

गोहाटी के मुख्य एक्सचेंज के लिये 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं । शिलांग के मुख्य एक्सचेंज में 1000 लाइनों के विस्तार का कार्यक्रम जुलाई, 1974 में पूरा कर दिया गया है । इनके अतिरिक्त कुछ एम० ए० एक्स०-II, एम० ए० एक्स०-III और मैनुअल एक्सचेंजों के विस्तार कार्यक्रम भी स्वीकृत

किये गये है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, इम्फाल और अगरतला के प्रमुख नगरों के मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाने के कार्यक्रम भी बनाए गए हैं ।

उत्तर पूर्वी सर्किल में 31-3-74 को 33 ट्रंक केन्द्र और उनमें 124 ट्रंक बोर्ड काम कर रहे थे । 5वीं योजना के अन्त तक यहां ट्रंक केन्द्रों को बढ़ाकर 46 करने और उनमें 153 ट्रंक बोर्ड करने का भी प्रस्ताव है ।

उत्तर पूर्वी सर्किल में तीन टेलीग्राफ ट्रेफिक डिवीजन हैं जिनके मुख्यालय गोहाटी, शिलांग और जोरहाट में हैं। 9 विभागीय तारघर है जिनमें से 2 राजपत्रित अधिकारियों के चार्ज में हैं और 500 संयुक्त डाक-तारघर हैं । विषम भूभाग के कारण कई टेलीग्राफ सर्किट माइक्रोवेव प्रणालियों पर, जोकि प्रमुख स्टेशनों को जोड़ते हैं, रेडियो लिंकों पर दिये गये हैं । इस इलाके में कई स्थानों के बीच कई बेतार मोर्स सर्किट भी हैं ।

दिल्ली में डाक पेटियों के चोर

***234. श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में डाक पेटियों के चोरों के एक गिरोह का पता लगाया है और उनसे चैक और ड्राफ्ट्स भी बरामद किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस गिरोह की कार्यप्रणाली क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) दिल्ली पुलिस ने जनपथ उप डाकघर के बाहर लगे लेटर-बक्स की तारीख 11/12 अक्तूबर, 1974 की रात में तोड़कर खोलने वाले अपराधियों का पता लगाया और उनसे कुल मिलाकर 562 पत्र आदि बरामद किये । ये पत्र जनता द्वारा डाक में डाले गये थे । इनमें से कुछ में चैक थे ।

(ख) पुलिस ने इस मामले में (1) श्री सईमुद्दीन, और (2) श्री ललित कुमार को गिरफ्तार किया है ।

(ग) इस मामले में कार्य प्रणाली यह थी कि अपराधी तीन पहियों वाले एक स्कूटर में आए और उन्होंने उस लेटर-बक्स का ताला तोड़ कर उसे खोला और उसमें से पत्र आदि निकाले ।

कारों को चलाने के लिए गैस के कारबुरेटर और रेग्युलेटरों का तैयार किया जाना

***235. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि श्री भूपेन्द्रपाल नामक एक व्यक्ति ने पैट्रोल या गैस या दोनों के समिश्रण से कार चलाने के लिये गैस कारबुरेटर और रेग्युलेटर तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जानकारी का प्रयोग करने और देश में पैट्रोलियम की बचत के लिये इसे लोकप्रिय बनाने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि सरकार को इस यंत्र की विशेषताओं के बारे में कोई सलाह नहीं दी गई है इस लिये इस अवस्था में पहले ही यह बता सकना सम्भव नहीं है कि परीक्षण के पश्चात कौन से कदम उठाने आवश्यक होंगे ।

देश में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियों पर भारत की चिन्ता

***236. श्री बीरेन एंगती :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 11 सितम्बर, को कांग्रेसी संसद सदस्यों की बैठक में यह चेतावनी दी थी कि कुछ ताकतें देश के अन्दर और बाहर राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने अमरीकी विदेश मंत्री को यह चेतावनी दी थी कि चिली में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियों ने भारत में अमरीकी नीति के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी के अत्याधिक संदेहास्पद एवं वास्तविक आशंका को दृढ़ कर दिया है;

(ग) क्या अमरीका स्थित भारतीय राजदूत ने कहा था कि उसे भारत में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गंभीर गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और बाद में उन्होंने यह कह कर स्पष्टीकरण दिया कि उन्हें अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियों के बारे में भारत की अत्याधिक चिन्ता के बारे में जानकारी नहीं है; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): (क) कांग्रेसी संसद सदस्यों में भाषण देते हुए प्रधान मन्त्री ने वर्तमान आर्थिक स्थिति और उन शक्तियों का भी उल्लेख किया जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

(ख) सरकार ने इस संबंध में भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा वाशिंगटन के भेजे गये तथाकथित केबल के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ग) तथा (घ) 13 सितम्बर, 1974 को अमेरिकी प्रेस के साथ एक बैठक में वाशिंगटन में भारतीय राजदूत से पूछा गया था कि क्या भारत में भारत सरकार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सी० आई० ए० की तोड़फोड़ की गतिविधि सक्रिय है। उन्होंने इसके उत्तर में कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी विदेशी आसूचना एजेन्सी को देश में किसी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गतिविधि न करने दी जाए काफी मजबूत, काफी स्थायी और शक्तिशाली है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरीका के राज्य सचिव द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यदि उनके ध्यान में ऐसे मामले लाये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर वापस बुला लिया जायेगा।

पुरातन वस्तुओं के तस्कर की खोज

***237. श्री डी० के० पंडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने पुरातन वस्तुओं के उस तस्कर को ढूंढने के बारे में कोई कार्यवाही की है जो नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग के निकट अपर रिज की घनी झाड़ियों में 30 से अधिक दुर्लभ वस्तुओं को छोड़ गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान्।

35 परित्यक्त पुरातन वस्तुएं पाई गई थीं न कि 30। सारे भारत में पुलिस को पाई गई पुरातन वस्तुओं का विशेष विवरण देते हुए और उनसे यह अनुरोध करते हुए संदेश भेज दिये गये थे कि इन पुरातन वस्तुओं के बारे में यदि चोरी का कोई मामला दर्ज किया गया हो तो दिल्ली पुलिस को सूचित किया जाये। ये पुरातन वस्तुएं संग्रहालयाध्यक्ष संग्रहालय, दिल्ली को उनकी राय के लिये भी दिखाई गई थी। इन प्रयत्नों के बावजूद इन पुरातन वस्तुओं की चोरी के स्थान अथवा अपराधियों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

दिल्ली टेलीविजन पर भोजपुरी फिल्म का दिखाया जाना

***238. कुमारी कमला कुमारी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार दिल्ली टेलीविजन पर कम से कम तीन महीने में एक बार भोजपुरी फिल्म दिखाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जब भी उपयुक्त भोजपुरी फिल्में उपलब्ध होंगी, अन्य प्रादेशिक फिल्मों के साथ साथ उन फिल्मों को भी दिल्ली टेलीविजन पर दिखाया जायेगा।

चण्डीगढ़ में कानून परामर्शी (लीगल रिमेम्ब्रेन्सर) का पद

***239. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला/अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के रूप में कार्य कर रहे हरियाणा/पंजाब की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के एक अधिकारी को चंढीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कानून परामर्शी के पद पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): सामान्यतया निम्नतर न्यायिक सेवा का एक अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है किन्तु यदि उम्मीदवार अपने मूल राज्य में उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया जाता है और उसका कानून-परामर्शी के रूप में बना रहना लोकहित में आवश्यक समझा जाता है तो उसे वह वेतन लेने की अनुमति दे दी जाती है जो वह अपने मूल राज्य में प्राप्त करता। संघ राज्य क्षेत्र के आकार तथा पद कार्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए जिला अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे एक अधिकारी को इस पद पर नियुक्त करना अनिवार्य नहीं समझा गया है।

भारत में सी०आई०ए० की गतिविधियां

***240. श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में विभिन्न राजनैतिक नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों का दमन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस मामले में अमरीका सरकार से कोई बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) से (घ) सरकार ने भारत में सी० आई० ए० की तथाकथित गतिविधियों के बारे में विभिन्न राजनैतिक नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों के सम्बन्ध में समाचार देखे हैं।

सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना एजेन्सियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में लगातार कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

अमरीकी विदेश मंत्री ने वाशिंगटन में भारतीय राजदूत को विश्वास दिलाया है कि यदि अमरीकी अधिकारियों अथवा अमरीकी सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य अमरीकीयों को भारत में राजनैतिक गतिविधियों में लगे हुए पाये जाने का उदाहरण उनके ध्यान में लाया गया तो ऐसे व्यक्तियों को वे 24 घंटों के भीतर भारत से वापस बुला लेंगे।

जम्मू और काश्मीर के स्तर में परिवर्तन

***242. श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार को धमकी दी है कि यदि स्वतंत्र काश्मीर की उनकी मांग स्वीकार न की गई तो जम्मू और काश्मीर में क्रान्ति हो जायेगी ;

(ख) क्या भूतकाल में भी उन्होंने ऐसी धमकी दी थी;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिये सरकार शेख अब्दुल्ला तथा उनके दल के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है; और

(घ) भविष्य में जम्मू और काश्मीर के ढांचे के सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला के साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): (क) और (ख) सरकार को हाल में ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शेख अब्दुल्ला के साथ विचार-विमर्श अभी जारी है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम में संशोधन

***243. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट की भारत-यात्रा के परिणामस्वरूप सरकार का अपने परमाणु कार्यक्रम में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अांतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में डाक सेवाएं

***244. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री अजीत कुमार साहा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में डाक सेवाओं की गम्भीर बिगड़ती हुई स्थिति की उनको जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप वितरित न की गई डाक वस्तुएं भारी मात्रा में जमा हो गई हैं तथा कलकत्ता और दिल्ली के बीच डाक के आने-जाने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हजारों टेलीग्राम डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं और इन टेलीग्रामों को भेजने वाले व्यक्ति मुआवजा पाने के हकदार हैं; और

(घ) स्थिति को पुन: सामान्य बनाने के लिये अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । इस तरह की डाक-वस्तुएं जमा हो गई थीं, जिनकी निकासी अब हो गई है ।

(ख) डाक वस्तुएं इस कारण जमा हो गई थीं कि कर्मचारियों के एक वर्ग ने 'धीरे काम करो' का हथकंडा अपनाया था, गैर हाजिरी बहुत ज्यादा हो गई थी और समयोपरि व्यय के लिये धन सीमित था ।

(ग) कोएक्सियल केबुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से तारीख 5-10-74 और 7-10-74 के बीच डाक से भेजे गये करीब 6,900 तारों और पूजा के त्यौहार के समय 23 तारीख और 25 तारीख के बीच डाक से भेजे गए 4,500 तारों के अलावा लगभग 2500 तार ही डाक से भेजे गए थे (जो कि कलकत्ता और दिल्ली के बीच 5,300 तारों के कुल दैनिक यातायात का 1.9 प्रतिशत है) ।

(घ) **डाक**

कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल ने अनुमोदित सूची में दर्ज लोअर ग्रेड के कर्मचारियों को अस्थायी सार्टरों के तौर पर नियुक्त किया । अंशकालिक सार्टरों को भी नियुक्त किया गया और प्रतिबंधों के साथ समयोपरि ड्यूटी की अनुमति दी गई । सर्किल के काम के लिये अतिरिक्त निधि दी गई । इसके अलावा, कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय से अधिकारियों को भी निगरानी के लिये भेजा गया ।

तार

1. प्रशिक्षण कक्षा में भेजे गए टेलीग्राफिस्टों को अस्थायी तौर पर सर्किटों पर काम करने के लिये लगाया गया ।

2. रविवार और छुट्टियों में भारी गैरहाजिरी से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये उन दिनों में और अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया गया ।

3. बुक किए गए तारों को राष्ट्रीय मार्गों पर शीघ्रता से पारेषित करने के लिये पब्लिक काउंटर की बगल में थोड़े से अतिरिक्त टेलीप्रिन्टर सर्किट लगाये गए । इससे संचरण (सर्कुलेशन) स्थल पर विलंब और भीड़भाड़ कम हो गई ।

4. तार यातायात की मार्ग-व्यवस्था में संशोधन किया गया और कलकत्ता के केन्द्रीय तारघर में ट्रांजिट ट्राफिक को कम करने के लिये जहां-कहीं भी संभव हुआ तारों को सीधे भेजना शुरू किया गया ।

राजधानी में लूटे गए पेट्रोल पम्प

2201. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में राजधानी में कुल कितने पेट्रोल पंपों को लूटा गया;

(ख) इस लूट-पाट में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और कितने अपराधियों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) इनमें से कितने अपराधी स्थानीय दुश्चरित्र वाले व्यक्ति थे और कितने अपराधी अन्तर्राज्य गिरोहों से संबंधित थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गत एक वर्ष अर्थात 1-11-1973 से 31-10-1974 तक के दौरान 13 पेट्रोल पम्प लूटे गये।

(ख) कुल धनराशि 13915.00 रुपये अन्तर्ग्रस्त है और पांच अपराधी पकड़े गये थे।

(ग) पांचों अपराधी स्थानीय बदमाश थे ।

श्री जे० पी० कौशिक का लापता लड़का

2202. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 1974 के स्थानीय हिन्दी दैनिक में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले एक वर्ष में श्री जे० पी० कौशिक के लापता लड़के को ढूंढने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) समाचार 30-10-74 को प्रकाशित हुआ था न कि 30-9-74 को। यह सही नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

(ख) श्रीनिवासपुरी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 402 भारतीय दण्ड संहिता 365 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और उसकी जांच सब-इन्सपेक्टर प्रभारी अधिकारी पुलिस चौकी ओखला द्वारा की गई थी जिसने खोए हुए लड़के तथा अभियुक्तों की पूछताछ तथा तलाश की परन्तु कोई पता नहीं लग सका। उसके बाद जांच का कार्य दक्षिणी दिल्ली जिले के विशेष कर्मचारियों को सौंपा गया था जिन्होंने अनेक संदिग्धों/व्यक्तियों से पूछताछ करने के अतिरिक्त जामियां मिलिया कालेज, जामा मस्जिद क्षेत्र, चूड़ीवालान आदि में गुप्त पूछताछ भी की थी परन्तु लड़के का कोई पता नहीं लग सका। मामले की अब भी विशेष पुलिस कर्मचारी दक्षिणी जिला नई दिल्ली द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। लड़के तथा अभियुक्तों को ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कोयला खान प्राधिकरण द्वारा व्यय का आयोजन

2203. **श्री वेकारिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण को 225 करोड़ रुपये के खर्च के संबन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ;

(ख) इस में से कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) क्या इससे देश में कोयले की कमी दूर हो जायेगी ?

उर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोयला खान प्राधिकरण द्वारा 1974-75 तथा 1975-76 के लिए अग्रिम कार्यवाही के 225 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है ।

(ख) कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की कोई मात्रा नियत नहीं की गई है।

(ग) जी हां।

प्रतिभा-पलायन

2205. **श्री बसन्त साठे** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म वैज्ञानिक, इंजीनियर, नर्स और तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से, पश्चिम एशिया के तेल समृद्ध देशों में जाने के लिए पारपत्र पाने हेतु, प्राप्त आवेदनपत्रों में यकायक बहुत अधिक वृद्धि हुई है और बहुत से वरिष्ठ वैज्ञानिक ईरान तथा अन्य तेल समृद्ध देशों में ऊंचे वेतन वाले पद पाने हेतु प्रवास कर रहे हैं ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की तकनीकी जनशक्ति यूनिट द्वारा रखा हुआ वैज्ञानिक पूल रोजगार के पर्याप्त तथा उपयुक्त अवसरों के अभाव में समाप्त हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कार्यावाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और कुछ समयोपरांत प्रेषित कर दी जाएगी ।

(ख) वर्ष 1958 में वैज्ञानिक पूल प्रारम्भ किया गया था और 31-10-1973 और 31-10-1974 के अनुसार वैज्ञानिक पूल की स्थिति इस प्रकार है :—

	31-10-1973	31-10-1974
प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या	4315	4634
भारत में रोजगार प्राप्त करने के उपरांत छोड़ने वाले व्यक्ति	3842	4138
कार्यरत व्यक्ति	468	480

(ग) योग्य वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों आदि को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार निरन्तर अथक प्रयत्न करती आ रही है । किए गए उपायों की एक सूची साथ संलग्न है ।

विवरण

रोजगार के सुअवसरों को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय :—

(एक) रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है । इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो ।

(दो) भरती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में योग्य प्रत्याशियों के नामों की सिफारिश की जाती है ।

(तीन) सी०एस०आई०आर० प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के मुताबिक उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत विचारार्थ सिफारिश भी करता है ।

(चार) सी०एस०आई०आर०, यू०जी०सी०, आई०सी०एम०आर०, आ०सी०ए० आदि द्वारा अनुसंधान छात्र-वृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

(पांच) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है । इस प्रकार रोजगार के अवसर होते हैं ।

(छै) सी०एस०आई०आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों आदि को अस्थायी रोजगार प्रदान किया जाता है ।

(सात) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को जल्दी रोजगार में नियमित करने के लिए अधिसंख्यक पदों की योजना चल रही है ।

(आठ) वर्ष 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए योजना आयोग ने 45.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया है । इसके अतिरिक्त 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों के लिए "लाखों के लिए रोजगार" एक कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना सौ करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट आवंटन के साथ प्रारम्भ की गई थी । इस कार्यक्रम द्वारा 2.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिला है ।

(नौ) योजना आयोग ने तेइस करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों द्वारा रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग रख दी है । इस राशि के अलावा राज्य सरकारों को अतिरिक्त तेइस करोड़ रुपये की धनराशि इस कार्य के लिए लगानी होगी ।

(दस) वर्ष 1974-75 के दौरान योजना आयोग द्वारा रोजगार के कार्यक्रमों को उन्नत करने के लिए चालीस करोड़ रुपये का एक आवंटन किया गया है ।

(ग्यारह) स्वःउद्योग चलाने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(बारह) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को अपने स्व-उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे नये कार्यों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक भी आवश्यकतानुसार कुल पूंजी प्रदान करते हैं।

(तेरह) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों द्वारा गठित औद्योगिक सहकारी विशिष्ट योजना को सरकरी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस अनुदान की राशि मालिकों द्वारा लगाई गई पूंजी से तीनगुनी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा भी जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वे इस प्रकार हैं :—किराया वास्तनिक मामलों में, कुछ समय के लिए, सेल्टेक्स आदि की छूट देना, चुंगी, बिजली आदि विविध व्यवस्थाएं प्रदान करना।

(चौदह) निजी और सहकारी क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आदि को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के वेतन में चार सौ रुपये तक की राशि में पचास प्रतिशत की सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी और दो सौ पचास रुपये (वेतन) एक वर्ष की अवधि के लिए विज्ञान के स्नातकोत्तरों को रोजगार पर लगनाने के लिए जो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार प्रदान कर सकें, को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(पंद्रह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी वेतनमान और कार्यगत स्थितियां, शैक्षिक क्षेत्र में अपने उच्च योग्यता प्राप्त विद्वानों को आकर्षित करने के लिये कई चरण उठाये गए हैं।

(सोलह) राष्ट्रीय रजिस्टर के व्यक्तिगत "संपर्क" के अन्तर्गत जिन भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का विवरण है उनको संघीय लोकसेवा आयोग और अधिकांश राज्यों लोक सेवा आयोगों ने अपने द्वारा प्रकाशित उन सारे पदों के लिए प्रत्याशी रूप में स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भारत में रिक्त पदों के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से साक्षात्कार हेतु संघीय लोक सेवा आयोग ने प्रबन्ध किया है।

(सत्रह) भारत में अनुसंधान संस्थानों में नियुक्ति के लिए चयन किए गए वैज्ञानिकों और उनके परिवार को जिन्होंने उस संस्थान में कम से कम तीन साल सेवा करने का वचन दिया हो यात्रा भत्ता भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को पर्यटक यातायात

2206. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है परन्तु उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाकर कोई पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गयी है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटक यातायात में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है हालांकि भारत के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग प्राकृतिक छटा पूर्ण स्थलों से भरे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देने हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ताकि वह देश इसके क्षेत्र की यात्रा करें ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) विदेशियों के लिए (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन, विदेशी पर्यटकों को बिना परमिट दार्जलिंग शहर की यात्रा करने और 15 दिन तक ठहरने की अनुमतिने दे का अगस्त, 1974 में निर्णय किया गया था बशर्ते कि वे दार्जिलिंग के लिए बागडोगरा होकर वायुयान से आने जाने की यात्रा करें।

(ख) तथा (ग) चूंकि यह छूट अगस्त, 1974 में ही दी गई थी अतः पर्यटन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता।

विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशी मुद्रा में अवैध रूप से लेनदेन किया जाना

2207. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनियमित रूप से विदेशी मुद्रा के लेने-देने के मामले में अन्तर्ग्रस्त होने के कारण देश के विभिन्न भागों में कितने विदेशी धर्म प्रचारक अब तक गिरफतार किए गए हैं; और

(द) वे भारत में कब से रहते हैं और वे किन-किन देशों के हैं ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) प्रवतन निदेशालय द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के कथित उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें वैयक्तिक विदेशी धर्म प्रचारक अन्तर्ग्रस्त हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों को अमेरिकन बतलाया जाता है। इन में एक को बहुत लम्बे समय से भारत में रहता हुआ तथा दूसरे को सामान्यतया भारत से बाहर रहता हुआ बतलाया जाता है।

Coal Production in M.P. during 1974-75

2208. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) the measures taken to achieve the targets in regard to coal production in Madhya Pradesh during 1974-75; and

(b) whether coal production is likely to increase during the current year as compared to the last years and if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) In order to achieve the target fixed for the year 1974-75 a number of new projects have been started. For better implementation, more delegation of powers have been made. Special action has been taken to remove the constraints in respect of critical items of inputs. Close coordination is being maintained with the power and railway authorities to secure additional power supply and wagons respectively.

(b) Yes, Sir. The production of coal from mines in Madhya Pradesh was about 15.5 million tonnes in 1973-74. It is programmed to raise this production to the level of 18 million tonnes in 1974-75. The production in the first 7 months of the current year has shown an incerase of 17% over the corresponding period of 1973-74.

औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने के लिए उड़ीसा से मिले आवेदन-पत्र

2209. श्री पी० गंगादेव : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 तक उड़ीसा में विभिन्न उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्रदान करने हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ख) इनमें से कितने आवेदन-पत्र निपटा दिये गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य से 1974 में 15 नवम्बर, 1974 तक प्राप्त किए गए औद्योगिक लाइसेन्सों के आवेदनों की कुल संख्या 42 है और इनमें से निपटान किए गए की संख्या 26 है।

तस्करों के टैलीफोन कनेक्शन काट देना

2210. श्री के० एम० मधुकर :

श्री कृष्ण अग्रवाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद किए गए तस्करों तथा उनकी सहायता करने वाले अन्य व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन काटने के बारे में कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) राज्यवार कितने टेलीफोन कनेक्शन काटे गए हैं और किन-किन व्यक्तियों के ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) और (ख) टेलीफोनों को काटने की कार्रवाई सिर्फ भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है। यह अधिनियम टेलीफोन के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर उसे काटने की इजाजत देता है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्द किए गए उपभोक्ताओं के जहां कहीं भी ऐसे अनधिकृत कनेक्शनों का पता चलता है उन्हें काट दिया जाता है।

(ग) इन प्रावधानों के अंतर्गत काटे गये, टेलीफानों की संख्या संकलित की जा रही है।

एल्विन मैटल वर्क्स, हैदराबाद द्वारा स्कूटरों का उत्पादन

2211. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद में 1975 के मध्य तक स्कूटरों का उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ख) स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या होगा;

(ग) क्या इस कम्पनी ने किसी विदेशी कम्पनी के साथ कोई सहयोग समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो वह कम्पनी कौन सी है और किस देश की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): (क) मै० हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स को अगस्त/सितम्बर, 1975 तक स्कूटरों का उत्पादन आरम्भ करने की आशा है।

(ख) 12000 स्कूटरों का प्रारंभिक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य जुलाई, 1976 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। कम्पनी की जुलाई, 1973 तक प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटरों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन प्राप्त करने की आशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूटर रजिस्ट्रेशन पुस्तिका पर स्कूटर टायर

2212. श्री एम० एम० जोजफ : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक छमाही के बाद विक्रेता से स्कूटर रजिस्ट्रेशन पुस्तिका पर उपभोक्ताओं को प्रति स्कूटर एक स्कूटर टायर उपलब्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो टायरों तथा ट्यूबों का क्रमशः खुदरा मूल्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) स्कूटर-टायरों सहित टायरों के वितरण तथा मूल्यों पर केन्द्रीय सरकार का सांविधिक नियंत्रण नहीं है। परन्तु टायरों के वितरण के संबंध में कुछ राज्य सरकारों ने आदेश जारी किये हैं तथा वितरण की अपेक्षित व्यवस्था करने का कार्य राज्य सरकार का है।

उड़ीसा में जिला योजनाओं की क्रियान्विति

2213. श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जिला योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में अभी तक कोई जिला योजना तैयार नहीं की गई है। बहरहाल, गंजम तथा सम्बलपुर जिलों के लिए योजनायें तैयार की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा राज्यों से जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया

2214. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ :

श्री गजाधर माझी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि वे राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने अनुरोध संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों के माध्यम से करें ;

(ख) क्या केन्द्रीय मंत्रालय मुख्य मंत्रियों की अवहेलना करते हुए राज्यों में संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करने हेतु सीधे अनुरोध करते रहे हैं; और

(ग) क्या इस बारे में कुछ मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र से शिकायत की है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान । किन्तु यह ध्यान में आया था कि कभी राज्य सरकार को सामने लाये बिना याचिकाओं, अभ्यावेदनों आदि पर सूचना अथवा टिप्पणी प्राप्त करने के लिए सीधे जिला प्राधिकारियों को पत्र लिखे जाते थे, जो व्यवस्थित नीति के विरुद्ध था । अतः राज्य सरकार के साथ पत्राचार के बारे में अनुदेश केन्द्रीय मंत्रालयों के ध्यान में फिर से लाये गए थे । किन्तु यह कहा गया था कि बहुत आवश्यक मामले में साथ साथ अथवा तुरन्त बाद राज्य सरकार को सूचित करते हुए जिला प्राधिकारियों को सीधे पत्र लिखे जा सकते हैं ।

इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण

2215. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में पंजाब सर्किल में काम कर रहे टेलीफोन आपरेटरों के बीच में से इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के रूप में चुने गये कुछ उम्मीदवारों को, जिनका नियतन गुजरात सर्किल के लिए किया गया था, इस बीच प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन उम्मीदवारों को अनुमानतः कब तक प्रशिक्षण के लिए भेजा जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पंजाब सर्किल में काम कर रहे कुछ टेलीफोन आपरेटरों को 1972 के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के पदों के लिए चुना गया था और उन्हें गुजरात सर्किल के लिए अलाट किया गया था । इन उम्मीदवारों के परीक्षाफल तारीख 4 जून, 1974 को घोषित किए गए थे । इन सभी उम्मीदवारों के संबंध में प्रशिक्षण से पहले की औपचारिकताऐं पूरी करली गई हैं । कुछ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए पहले ही भेजा जा चुका है ।

(ख) बाकी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही भेज दिया जाएगा ।

Investment in Expansion of T.V. during Fifth Plan

2216. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the funds proposed to be invested in expansion of Televison during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the annual expenditure during the last three years?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) about Rs. 80.00 crores.

(b) The capital expenditure incurred on expansion of T.V. during the last three years is as under :-

1971-72	Rs. 236.75 lakhs
1972-73	Rs. 447.68 lakhs
1973-74	Rs. 466.81 lakhs

देश में आयोजित बंद

2217. श्रीमती देशपांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर से नवम्बर, 1974 तक कितने स्थानों पर बंद आयोजित किए गए और इन बंदों को आयोजित करने के क्या कारण थे;

(ख) बंद से पूर्व के दिवसों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) इस बारे में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम तथा भारतीय रक्षा नियमों के अधीन कितने व्यक्तियों को गिरफ-तार किया गया था ?

गृह में मंत्रालय उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बढ़ते हुए मूल्यों, तथाकथित भ्रष्टाचार तथा कुशासन, स्थानीय अस्पताल के लिए एक एक्सरे सयंत्र की मांग और बिहार आन्दोलन के समर्थन में जैसे विभिन्न विवादों पर इस अवधि के दौरान 7 बन्द आयोजित किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा इस बारे में किसी बन्द से पूर्व गिरफ्तारी अथवा आंसुका अथवा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

अण्डमान व निकोबार प्रशासन के अनुसार इस अवधि में श्रम से संबंधित विभिन्न विवादों पर क्षेत्र में एक बन्द आयोजित किया गया था। किन्तु बन्द से पूर्व कोई गिरफ्तारी अथवा इस संबंध में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत रक्षा नियमों के अधीन कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब सरकारों तथा अरुणाचल प्रदेश, चन्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा दमन व दीव, लक्ष्यदीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इस अवधि के दौरान किसी बन्द की सूचना नहीं दी है। अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना अभी आनी है।

तस्करी और काले धन के विरुद्ध अभियान का चलचित्र उद्योग पर प्रभाव

2218. श्री धामनकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र उद्योग के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन क्षेत्रों पर तस्करी और काले धन के विरुद्ध अभियान का तत्काल प्रभाव क्या पड़ा है; और

(ख) गैर-कानूनी रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए चलचित्रों की देश से तस्करी को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) सरकार का यह विश्वास है कि तस्करों तथा काले धन को चलाने वालों के विरुद्ध हाल ही में जो पग उठाये गए हैं उनका फिल्म उद्योग सहित सभी आर्थिक पक्षों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा।

(ख) भारतीय फिल्मों सहित अन्य वस्तुओं की भारत से तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाये गए हैं उनमें कुछ कदम ये हैं :—

सूचना को क्रमबद्ध रूप से एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, उपचारात्मक उपायों को कड़ा बनाना तथा समुद्री तट पर तथा सीमा क्षेत्रों में गश्त को और तेज करना तथा सन्देहयुक्त नौकाओं तथा गाड़ियों को बीच में रोक लेना। तस्करी के अपराधों के लिये सख्त सजा की व्यवस्था करने तथा कानून को और मज़बूत बनाने के लिए कस्टम अधिनियम में हाल ही में अतिरिक्त संशोधन किया गया है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के 'पैटेन्ट' रिलीज किया जाना

2219. श्री डी०पी० जदेजा : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कितने 'पेटेन्ट' रिलीज किए गए; और

(ख) इन वर्षों में वाणिज्यिक संगठनों से रोयल्टी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख)

	1972–73	1973–74
रिलीज किए गए पेटेन्ट	120	126
रोयल्टी पर रिलीज की गई राशि	रु० 17.927 लाख	रु० 12.403 लाख

राज्यों को और केन्द्रीय मंत्रालयों को चल रही तथा नई परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए अनुदेश

2220. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से कहा है कि सभी चालू परियोजनाओं के संबंध में लागत लाभ, पूंजी निवेश और उत्पादन संबंधी आंकड़े बताये जायें ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनको नई परियोजनाओं के बारे में ब्यौरेवार योजनायें भेजने के लिए भी कहा है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित 1975–76 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों का प्रारूप, जिसमें प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित परियोजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण भी शामिल हैं, कर्नाटक सरकार द्वारा अभी विचारार्थ भेजा जाना है।

ओवरा तापीय विद्युत संयंत्र के लिए रूस से मशीनें

2221. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने ओवरा तापीय विद्युत संयंत्र के लिए भारत को पुरानी किस्म की मशीनें भेज दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

लघु उद्योगों की प्रगति

2222. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योगों ने राज्यवार अब तक कितनी प्रगति की है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पहली अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है और लघु उद्योगों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा (नीति अपनाने से पूर्व) 1970 में स्वीकृत की गई, पुनर्वेलन मिलों को राष्ट्रीय लघु उद्योग नगम लिमिटेड के माध्यम से किराया खरीद के आधार पर, मशीनें देना आरम्भ करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) इस समय लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन, सेवा नियोजन, निवेश आदि के बारे में राज्यवार विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हाल ही में की गयी लघु उद्योगों की राष्ट्रीय संगणना से आशा है कि ऊपर कही हुई जानकारी मिलेगी। उद्योग निदेशालय में कई वर्षों से ऐच्छिक आधार पर पंजीयित लघु उद्योग एककों की सख्या यह बताती है कि उनकी संख्या में नीचे दिए अनुसार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राज्यों के नाम	राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीयित एककों की संख्या	
	वर्ष 1965 के अंत तक	वर्ष 1973 के अंत तक
आंध्र प्रदेश	3,965	39,272
आसाम	554	4,012
बिहार	1,077	24,919
गुजरात	5,943	22,789
हरियाणा	*(क)	13428
हिमाचल प्रदेश	*(क)	7,624
जम्मू और काश्मीर	749	2,105
केरल	2,437	15,939
मध्य प्रदेश	3,466	29,375
महाराष्ट्र	21,106	35,762
मणिपुर	—	1,048
मेघालय	—	357
कर्नाटक	4,445	12,447
नागालैंड	—	485
उड़ीसा	1,554	5,258
पंजाब	19,390	35,658
राजस्थान	5,629	18,428
तमिलनाडु	8,819	40,218
उत्तर प्रदेश	11,456	41,203
त्रिपुरा	—	428
पश्चिम बंगाल	9,243	42,293
अरुणाचल प्रदेश	—	45
चंडीगढ़	—	493
दादरा और नागर हवेली	—	182
देहली	4,670	12,026
गोआ	66	1,200
मिजोरम	—	106
पांडिचेरी	196	518
	104,771	408,308

*(क) हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के आंकड़े पंजाब में शामिल कर दिए गए हैं।

(ख) इस्पात मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार रिरोलिंग मिलों के नए एकक बिलेटस तथा रिरोल करने योग्य छीजन (स्क्रेप) की कमी के कारण निरुत्साहित हुए हैं। जब कभी भी इस नीति का पुर्निरीक्षण किया जाएगा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम किराया खरीद के आधार पर मशीनें खरीदने हेतु दिए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार करेगा।

नेपा मिल्ज द्वारा सप्लाई किये गये अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि

2223. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन लैंगवेजिज न्यूजपेपर्स एसोसियेशन ने नेपा मिल्स द्वारा सप्लाई किए गए अखबारी कागज के मूल्य में 66 प्रतिशत की वृद्धि करने के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) ऐसा पता चला है कि इण्डियन लैंगवेजिज न्यूजपेपर्स ऐसोसियेशन ने नेपा अखबारी कागज के मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है। फिर भी ऐसोसियेशन ने यह कहा है कि उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुसार मूल्य में कुछ वृद्धि करना अनिवार्य था।

(ख) अखबारी कागज की उत्पादन लागत की वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए नेपा मिल्स द्वारा उत्पादित अखबारो कागज के विक्रय मूल्य में वृद्धि की गई है।

अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा को दिये गये लाइसेंस

2224. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के लिये उड़ीसा राज्य को अब तक कितने लाइसेन्स दिये गये हैं;

(ख) उन कारखानों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी ; और

(ग) उक्त अवधि में अन्य पूर्वी राज्यों, महाराष्ट्र और पंजाब की तुलना में उड़ीसा राज्य को कितने लाइसेन्स जारी किये गये ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जनवरी से सितम्बर, 1974 की अवधि में उड़ीसा में 7 उद्योग स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये थे।

(ख) ये औद्योगिक लाइसेंस उड़ीसा के मयूरभंज, कोरापुट, कटक गंजम और धनकानल जिलों में उद्योग लगाने के लिये स्वीकार किये गये थे।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र, पंजाब और पूर्वी जिलों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के तुलनात्मक आंकड़े दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	जनवरी से सितम्बर, 1974 की अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
महाराष्ट्र	184
पंजाब	31
पश्चिम बंगाल	68
बिहार	19
उड़ीसा	7

Alleged Irregularities in the delivery and booking of Lambretta Scooter by Ganesh Automobile, Udaipur (Rajasthan)

2225. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to **state :**

(a) whether numerous irregularities and malpractices such as charging excess price and giving delivery in Ajmer are being indulged in by M/s Ganesh Authomobile, District Udaipur, Rajasthan with regard to the delivery and booking of Lambretta scooter; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the reasons why the said Agency was not cancelled under the Scooter Control Act?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : (a) & (b) There was problem for the residents of Udaipur as delivery of Lambretta scooters was not effected to them at Udaipur itself but at Ajmer due to transportation difficulties, involving an additional payment of Rs. 11 as temporary registration fees. It has since been resolved.

पश्चिम बंगाल के लिए 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम

2226. श्री एम० एस० पुरती : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये 1.50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक राज्य में, जिलेवार किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है तथा उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 1973-74 के पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 126140 रोजगार क्षमता वाली विभिन्न स्कीमों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की अधिकतम 15 करोड़ रुपये की राशि बताई गई थी। परन्तु उस वर्ष केन्द्रीय सहायता के रूप में वस्तुतः 7.75 करोड़ रुपये ही प्रदान किये गये।

(ख) सूचना के आधार पर मार्च, 1974 के अन्त तक राज्य सरकार ने 3.88 करोड़ रुपये खर्च कर दिये थे और उन के पास 3.87 करोड़ रुपये की राशि शेष पड़ी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 41,133 व्यक्तियों के लिये रोजगार अवसरों का सर्जन किया गया। तीन प्रमुख श्रेणियों की स्कीमें क्रियान्वित की गई अर्थात, स्वनियोजन स्कीमें, प्रशिक्षण स्कीमें और राज-सहायतायुक्त रोजगार स्कीमें। इन स्कीमों के अन्तर्गत जिलावार आबंटन नहीं किया गया था। अतः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार क्या परिणाम निकले, इससे सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

त्रिपुरा में औद्योगिक 'एस्टेट्स तथा शेड्स'

2227. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार को राज्य में औद्योगिक 'एस्टेटस तथा शेड्स' के लिये 13.16 लाख रुपये मन्जूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थापित किये जा चुके औद्योगिक 'एस्टेट्स तथा शेड्स' के नाम क्या हैं; और

(ग) राज्य के अग्रेतर औद्योगिक, एस्टेट्स तथा शेड्स सम्बन्धी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) त्रिपुरा में औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये चौथी योजना अवधि में किये गये 9.38 लाख रुपये के परिव्यय प्रावधान में से चौथी योजना के अन्त तक 13.16 लाख रुपये के खर्च होने का अनुमान है।

(ख) अरुन्धती नगर तथा उदयपुर स्थित दो औद्योगिक बस्तियों में अभी तक क्रमशः 25 तथा 9 शेड बनाये गये हैं। कुमारघाट स्थित दूसरी औद्योगिक बस्ती निर्माणाधीन है।

(ग) पांचवीं योजनावधि में राज्य सरकार का निम्बक (अगरतला) में एक नई औद्योगिक बस्ती की स्थापना, तथा तेलियामुरा, अम्बासा तथा सन्तिरबाजार की विद्यमान बस्तियों का विस्तार तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का प्रस्ताव है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पांच लाख लोगों के लिए रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम

2228. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच लाख लोगों के लिये रोजगार संबंधी कार्यक्रम हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिये राज्यवार अब तक कितनी राशि मंजर की गई हैं; और

(ख) अब तक किये गये कार्य की और प्राप्त हुए परिणामों की राज्यवार मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को पांच लाख रोजगार कार्यक्रम 1973-74 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि राज्यवार नीचे दी जा रही है :—

राज्य	स्वीकृत राशि
	(लाख रुपये)
1. असम	149.35
2. मनीपुर	30.30
3. मेघालय	20.00
4. नागालैंड	6.20
5. त्रिपुरा	38.00
6. मिजोरम	4.32
7. अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं†

†अरुणाचल प्रदेश ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई स्कीम शुरू नहीं की।

(ख) उपर्युक्त राज्यों में, पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीमों के 3 मुख्य वर्गों को कार्यान्वित किया गया है। ये हैं: (1) अनिवार्य प्रशिक्षण लागत और मूल पूंजी/सीमान्त धन सहायता के लिये आसान शर्तों पर ऋण के रूप में निम्नतम सरकारी सहायता के आधार पर लघु उद्योग, सेवाओं, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में स्वरोजगार स्कीमें ताकि सरकारी क्षेत्र बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को समुचित ढंग से इस काम में लगा कर अधिकतम सम्भव स्तर तक सम्भावित उद्यमी संस्थागत धन जुटा सकें, (2) प्रशिक्षण एवं वृत्ति रोजगार स्कीमों का पांचवीं योजना के पहले वर्ष में शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य बिठाना, और (3) पढ़े-लिखे बेरोजगारों के कतिपय वर्गों के लिये निजी क्षेत्र में इमदादी रोजगार के लिये रोजगार प्रोत्साहन स्कीमें ताकि अधिक उत्पादकता और उत्पादन की अच्छी किस्मों को सुनिश्चित करने के साथ साथ पढ़े लिखे बेरोजगारों को काम करते हुए और संयंत्र में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इससे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकेगी कि वे प्रशिक्षण एककों या अन्यन्त्र काम पर लग सकेंगे।

ताजी सूचना के आधार पर, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1974 के अन्त तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को दी गई राशि, किया गया खर्च, बकाया राशि तथा सर्जित रोजगार राज्यवार नीचे दिये जा रहे हैं :—

क्रम संख्या	राज्य	दी गई राशि 1973-74 में (लाख रुपये)	किया गया खर्च 31-3-74 तक (लाख रुपये)	बकाया राशि 31-3-74 को (लाख रुपये)	सर्जित रोजगार 31-3-74 तक (संख्या)
1.	असम	74.68	57.27	17.41	8,858
2.	मनीपुर	20.88	19.50	1.38	392
3.	मेघालय	5.00	3.99	1.01	622
4.	नागालैंड	5.09	4.98	0.11	522
5.	त्रिपुरा	17.60	18.02	0.42	1,713
6.	मिजोरम	2.92	1.06	1.86	103
7.	अरुणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	—

आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में आग

2229. **श्री वरके जार्ज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1974 को आई० एन० ए० कालोनी, नई दिल्ली में लगी भीषण आग के कारण अनेक दुकानें नष्ट हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो आग से कितनी दुकानें नष्ट हुई तथा इससे कितनी हानि का अनुमान है तथा आग लगने का कारण क्या था; और

(ग) क्या सरकार का आग से प्रभावित व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान।

आई० एन० ए० कालोनी मार्केट, नई दिल्ली में 2 नवम्बर, 1974 के अग्निकाण्ड में 40 दुकानें नष्ट हुई थीं और 26 दुकानें आंशिक रूप से प्रभावित हुई थीं। अग्निकाण्ड का कारण इलैक्ट्रिक शार्ट सर्किट बताया जाता है। अग्निकाण्ड के कारण हुई अनुमानित हानि 6-7 लाख से अधिक नहीं हो सकती। पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त सरकारी अधिकारी

2230. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखा है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के उच्च अधिकारी विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने में अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और कितने अधिकारियों को अब तक सजा दी गई है; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अनुमानतः यहां उस समाचार का हवाला दिया गया है जो 11 अक्तूबर, 1974 के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इन समाचारों का संबंध सैनिक इंजीनियरी सेवा के एक राजपत्रित अधिकारी के मामले से है जिसे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 9-10-74 को दिल्ली में पकड़ा गया था। इस अधिकारी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(1) के कथित उल्लंघन पर 10 अक्तूबर, 1974 को गिरफ्तार किया गया था और उसे बाद में नई दिल्ली के अपर मुख्य जूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(ग) एक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की परिनियम पुस्तक में स्थान दिया गया है जिसमें ऐसे विभिन्न नए उपबन्धों को निगमित किया गया है जिनका उद्देश्य कानून को मजबूत बनाना है। इन में से कुछ उपबन्ध "बीजक के हेर-फेर द्वारा विदेशी मुद्रा की लीकेज के सम्बन्ध में अध्ययन दल" द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं और कुछ अन्य उपबन्ध विधि आयोग द्वारा अपनी 47वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में हैं। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम को भी एक अध्यादेश द्वारा हाल ही में संशोधित किया गया था, जिससे कि विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों सहित, कुछ प्रकार के आर्थिक अपराधों विषयक कार्य-कलापों के लिये निवारक निरोध की व्यवस्था की जा सके। इस संशोधनात्मक अध्यादेश का स्थान लेने के लिये एक स्वतःपूर्ण विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को, जो विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को लागू करने के लिये उत्तरदायी है और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघनों के ऐसे विशिष्ट मामलों पर कार्रवाई करता है जो उनकी नोटिस में आएं, मजबूत बनाया गया है और इसका और अधिक विस्तार किए जाने के लिये कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती हैं और सरकार द्वारा समय समय पर विधायी, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक जैसी कार्यवाहियों की जाती हैं, जिन्हें स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक समझा जाता है।

केरल सरकार को विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता

2231. श्री सी० जनार्दनन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उद्योग मन्त्री के माध्यम से, जो हाल ही में वित्त मंत्री से मिले थे, अपने कुछ विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी सहायता मांगी गई है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्ररहमान अंसारी) : (क) और (ख) केरल में कायर सहकारिताओं की सहायता के प्रश्न पर केरल के उद्योग मन्त्री ने वित्त मन्त्री (जब कि वे औद्योगिक विकास मन्त्री थे) से तथा बाद में उद्योग व नागरिक पूर्ति मन्त्री से चर्चा की थी। 1973-74 वर्ष के लिये इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को 100 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी। 1974-75 वर्ष के केन्द्रीय बजट में इसी योजना के रुपये की और धन राशि का प्रावधान किया गया है। और अधिक सहायता के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

तस्करों की गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ

2232 श्री० एम० कत्तामुतू : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगा है कि तस्करों की गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान तथा अमरीकी गुप्तचर एजेंसी का हाथ है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण में करना चाहते हैं और जहां आवश्यक हो वहां उनको क्षति पहुंचाना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) भारत में ऐसी तस्करी की गतिविधियों में पाकिस्तान तथा सी० आई० ए० के अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

तलवाड़ा में व्यास बांध परियोजना के श्रमिकों की प्रस्तावित छंटनी

2233. श्री सरोज मुखर्जी :
श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि तलवाड़ा स्थित व्यास बांध परियोजना द्वारा इस वर्ष के अन्त तक लगभग 2,200 श्रमिकों की छंटनी की जानी है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि 1037 श्रमिकों को तो पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं और 3,500 अन्य व्यक्तियों को अगले वर्ष के आरम्भ में नौकरी से निकाल दिया जायेगा तथा शेष लगभग 9,000 को थोड़ा थोड़ा करके बेरोजगार कर दिया जाएगा; और

(ग) इन श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 2296 कार्मिकों को छंटनी के नोटिस दिए गए हैं। इनमें से 1552 को व्यास-सतलुज लिंक परियोजना यूनिट-एक, बैरा-सियुल और माही बजाज सागर परियोजनाओं पर वैकल्पिक नियुक्ति के प्रस्ताव किए गए हैं।

(ग) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इन कार्मिकों को अपने कार्यों पर काम में लगाएं। उनके लिये वैकल्पिक नौकरियों का पता लगाने के लिए परियोजना द्वारा एक नियोजन-कक्ष भी खोला गया है। सलाल परियोजना पर शिला-बांध और शाह नहर को विभागीय तौर पर कार्यान्वित करने का निर्णय अभी हाल में लिया गया है, जिससे छंटनी किए गए कुछ कार्मिकों के लिये नौकरी के और मार्ग खुल जाएंगे।

पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के भ्रमण पर प्रतिबंध में छूट

2234. श्री आर० एन० बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के भ्रमण पर प्रतिबन्धों में कुछ छूट देना मंजूर किया जा रहा है;

(ख) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के विकास को अवरुद्ध करने का यह एक मुख्य कारण है; और

(ग) क्या आसाम, पश्चिम बंगाल, और मेघालय सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से वर्तमान प्रतिबन्ध उठाने अथवा उनमें छूट देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहिसन): (क) से (ग) असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में विदेशियों के प्रवेश पर ढील देने के प्रश्न पर तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों के सुझावों पर हाल में विचार किया गया था। यह निर्णय किया गया है कि विदेशी पर्यटकों को 15 दिन तक की अवधि के लिये बिना परमिट के दार्जिलिंग नगर में जाने की अनुमति दी जाये बशर्ते कि वे बागडोगरा होकर वायुयान द्वारा जायें और वापस आएं। विदेशी पर्यटक शिलांग तथा काजीरंगा में भी क्रमशः 15 तथा 7 दिन तक ठहर सकते हैं यदि वे वायुयान द्वारा गोहाटी होकर जायें तथा वापस आएं। यह आशा की जाती है कि इन उपायों से इस क्षेत्र में पर्यटक यातायात सुविधा मिल सकेगी।

दोहरी नागरिकता

2235. श्री टुना उरांव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोग विदेशी तथा भारतीय दोनों नागरिकताओं का लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की दोहरी नागरिकता समाप्त करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहिसन) : (क) और (ख) भारत और विदेश के कानूनों के स्वतः लागू होने के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी दोहरी नागरिकता, अर्थात भारत की नागरिकता और किसी दूसरे देश की नागरिकता हो। ऐसे दोहरे नागरिक की विदेशी नागरिकता की समाप्ति सम्बन्धित विदेशी कानून पर निर्भर होगी। जहां तक भारतीय नागरिकता का सम्बन्ध है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 में यह व्यवस्था है कि कोई भारतीय नागरिक जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घोषणा दर्ज करवाकर भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है और उस घोषणा के दर्ज होने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जायेगी। जहां इस उपबन्ध के अधीन किसी पुरुष की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, वहां उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क बच्चे की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जायेगी। सरकार नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अधीन दोहरे नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणायें दर्ज कर रही है।

ब्रिटिश माइनिंग ईक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का भारत दौरा

2237. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेशन आफ ब्रिटिश माइनिंग ईक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स (ए० बी० एम० ई० एक्स०) द्वारा आयोजित 12 सदस्यीय मिशन ने इस वर्ष के सितम्बर-अक्तूबर में पन्द्रह दिन के लिये भारत का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिशन का क्या उद्देश्य था; और

(ग) उक्त दौरे के पश्चात किये गये प्रबन्धों तथा करारों की रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खनन उद्योग को आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से ब्रिटिश माइनिंग इक्विपमेंट एक्सपोर्टर्स की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था। उक्त दल ने उपकरण, कलपुर्जे आदि सप्लाई करने तथा भारत में उक्त उपकरण और कल-पुर्जों का निर्माण करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था। उक्त दल के साथ समझौता नहीं किया गया था।

पश्चिम बंगाल के बर्धवान जिले में कोयले के अनछुए निक्षेप

2238. श्री कुमार मांझी :
श्री टुना उरांव :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री एन० ई० होरो :
श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री एम० एस० पुरती :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आसनसोल से प्रकाशित 19 अक्तूबर, 1974 के समाचार पत्र में 'नेगलेक्टिड बाकुरे कोल माइन्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर तथा बर्धवान जिले के अनछुए कोयला क्षेत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के उक्त जिले में संभावित कोयले को निकालने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Coal Production in Vishrampur and Chirimiri Coal Mines

2239. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minitser of Energy be pleased to state :

(a) the annual coal production in the Vishrampur and Chirimiri coal mines of Madhya Pradesh from 1970-71 uptil now; and

(b) the reasons for shortfall in coal production in these mines?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बिजली के संकट के कारण कोयले के उत्पादन में कमी

2240. श्री रोबिन सेन :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अप्रैल, 1973 के अन्त में बिजली के भारी संकट के कारण कोयला उद्योग के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अप्रेल, 1973 और अगस्त, 1974 के बीच इस क्षेत्र में उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ग) यद्यपि 1973-74 में कुल कोयले का उत्पादन 1972-73 की अपेक्षा अधिक था, परन्तु बिजली की कमी के कारण किसी हद तक अवश्य ही उत्पादन पर असर पड़ा । 1974-75 में 1973-74 की समान अवधि की अपेक्षा उत्पादन फिर अधिक हुआ । अनुमान है कि 1973-74 में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में 21.70 लाख टन की हानि हुई जबकि 1974-75 की हानि के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) कोयला खानों को बिजली की अवधि सप्लाई के लिये बिजली उत्पादन एजेन्सियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया गया है । बिहार बंगाल क्षेत्र में भी बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है । फलस्वरूप, अब उत्पादन में

बिजली पूर्ति कोई बाधा नहीं है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये डीजल उत्पादक सेट भी स्थापित कर रहा है।

Supply of Cement to Madhya Pradesh

2242. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the names of the Madhya Pradesh districts which are supplied cement from the Satna Cement factory and the names of the districts which get it from the states of Maharashtra and Andhra Pradesh;

(b) whether Madhya Pradesh is not supplied cement from the cement factory running in the State itself but the same is supplied from outside the State whereas the cement of the factories running in Madhya Pradesh is supplied to other States; and

(c) the reasons for such faulty arrangement ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Spplies (Shri B.P. Maurya) : (a) The names of Districts in Madhya Pradesh which received cement under the free sale category from Satna cement factoy in Madhya Pradesh and from Andhra Pradesh during January to September 1974 are given in the attached statement. Cement factories in Maharashtra did not supply any cement to Madhya Pradesh during this period. The factories in Andhra Pradesh have not been given any allocation to despatch cement in free sale category to Madhya Pradesh from October, 1974 onwards. However, where despatches are authorised to "rate contract" or "other than rate contract" parties on the basis of release orders, there is no restriction to Satna factory sending cement to any particular district.

(b) and (c) About 92% of total supplies to Madhya Pradesh during January to September, 1974 were from factories in Madhya Pradesh itself. While efforts are made to the extent possible, to arrange supplies to the districts from the factories located within the State concerned, supplies of cement to some districts are arranged from such factories of other States as are advantageously located from the point of view of freight economy, geographical location, traffic movements over the existing railway system etc.

Statement

Names of the Districts in Madhya Pradesh which were supplied cement from Satna Cement factory and factories in Andhra Pradesh during January to September 1974.

From Satna Cement Factory in Madhya Pradesh :

1. Balaghat
2. Betul
3. Bhopal
4. Bhind
5. Chindwara
6. Chattarpur
7. Dewas
8. Datia
9. Damoh
10. Gwalior
11. Gumia
12. Hoshangabad
13. Indore
14. Jabalpur
15. Khandwa
16. Narshingpur
17. Panna
18. Raison
19. Rewa
20. Shajapur
21. Sagar
22. Sehore
23. Satna
24. Shahdol
25. Tikamgarh
26. Ujjain
27. Vidisha
28. Seoni
29. Sidhi
30. Sargaja
31. Mouna
32. Raipur
33. Rajgarh

From factories in Andhra Pradesh :

1. Chhindwara	6. Indore
2. Dewas	7. Ratlam
3. Guna	8. Shajapur
4. Gwalior	9. Sehore
5. Hoshangabad	10. Ujjain

Production of Coal in Raniganj Coal Mines during September, 1974

2243. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Min'ster of Energy be pleased to state :

(a) whether there had beed considerable shortage in the quantity of coal in the coal mines of Raniganj in September, 1974;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have received any complaint to the effect that the said shortage of coal in the mines was due to irregularities committed by some officers in weighing there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

2244. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में सरकारी अधिकार क्षेत्र में ली गई अधिकांश संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण में विलम्ब किया गया है ;

(ख) क्या कपड़ा मशीनें बनाने वाले निर्धारित समयानुसार उपकरण सप्लाई करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोयले का लाभात्मक प्रयोग

2245. श्री राजदेव सिंह :
श्री बी० मयावन :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परामर्शदाती तथा इंजीनियरिंग संगठनों के अधिकारियों की एक गोष्ठी हुई है जो लघु तथा मध्यस्तर के उद्योगों में ऊष्म ऊर्जा के रूप में कोयले का उपयोग करने के लिये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समाधान का पता लगाने हेतु गत माह होनी थी; और

(ख) यदि हां, तो किये गए विचारों के परिणाम की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, भारतीय रसायन इजीनियर्स संस्थान तथा कोयला विभाग (ऊर्जा मंत्रालय) के संयुक्त तत्वावधान में 29 और 30 अक्तूबर, 1974 को एक गोष्ठी हुई थी जो "लघु तथा मध्यमस्तर के उद्योगों के लिये प्रोड्यूसर गैस जनरेटर्स" विषय पर थी । उद्योगों में ईंधन-तेल के बदले कोयले से तैयार उत्पादक गैस के लाभप्रद उपयोग और प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं तथा वर्तमान उत्पादक

गैस संयंत्रों तथा डिजाइन संबंधी पहलुओं पर विचार किया गया। गोष्ठी की कुछ अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैः—

(i) ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिये कार्यकारी दल गठित करना, जिनमें ईंधन-तेल के बदले उत्पादक गैस का उपयोग किया जा सकता हो, उन उद्योगों में उत्पादक गैस संयंत्र लगाने के लिये कार्यक्रम बनाना तथा उत्पादक गैस संयंत्र के लिये दो अथवा तीन माडलों का मानक तैयार करना।

(ii) एक तकनीकी समिति का गठन जो विशेषतया भारतीय कोयले तथा कोक-चूरे आदि अन्य अतिरिक्त ईंधन के उपयोग के लिये उन्नत किस्म के प्रोड्यूसर यंत्र का विकास कर सके।

(iii) उद्योगों द्वारा अल्पकाल में ही उत्पादक गैस के उपयोग के लिये बाध्यता एवं प्रोत्साहन की एक प्रणाली विकसित की जाये और साथ ही इस प्रक्रिया परिवर्तन के लिये धनराशि की व्यवस्था का भी कोई तरीका निकाला जाये।

(iv) उत्पादक गैस संयंत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिये एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कन्नानूर जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट का तस्करों के साथ संबंध होने का आरोप

2246. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि केरल के कन्नानूर जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट का संबंध तस्करों से है जैसाकि मलयालयम के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान। इस मामले में कुछ प्रैस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई गई है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार द्वारा की गई जांच पड़ताल से अधिकारी की ओर से किसी दुराचरण का पता नहीं चला है।

सेवा निवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश खोसला को सौंपे गये कार्य

2247. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय से न्यायाधीश खोसला की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारत सरकार द्वारा बनाए गये आयोगों और समितियों के संबंध में किन किन कार्यों के लिये नियुक्त किया गया ;

(ख) ऐसे आयोगों और समितियों में कार्य करते हुए उन्हें कुल कितनी परिलब्धियां तथा अन्य लाभ प्राप्त हुए;

(ग) क्या नेताजी जांच आयोग का कार्य करते समय उन्हें किसी अन्य आयोग अथवा समिति का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिये कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ; और

(घ) नेताजी जांच आयोग के कार्य के संबंध में जब न्यायाधीश खोसला कई एशियाई देशों में गये तब उन्हें कितनी अतिरिक्त परिलब्धियां तथा लाभ दिए गये ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) इस संदर्भ में जस्टिस खोसला को सरकारी आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः उपलब्ध सुविधाओं के अलावा कोई अतिरिक्त वेतन तथा लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

कलकत्ता में पाकिस्तानी जासूसी के मामले में अतिरिक्त सैशन जज द्वारा निन्दात्मक अभ्युक्ति

2248. **श्री विक्रम महाजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी जासूसी के मामले में अतिरिक्त सेशन जज अलीपुर, कलकत्ता की निन्दात्मक अभ्युक्ति पर विचार किया है;

(ख) जैसाकि मुखबिर ने बताया है क्या पाकिस्तानी जासूस फोर्ट विलियम में घुस गया था और उसने विस्तार से "अवैध टैंक" की जांच की थी; और

(ग) विदेशी जासूसी तथा इसके जाल को जिसके व्यापक प्रभाव हैं, समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से मामले के विवरणों की प्रतीक्षा है ।

(ग) जासूसी रोकने के लिये सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है । जासूसी में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले अथवा संदिग्ध सभी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड तथा कानून के निरोधात्मक उपबन्धों के अधीन भी उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ।

दिल्ली में 1 नवम्बर, 1974 को लाल किले पर हुई प्रधान मंत्री की सभा में महिलाओं द्वारा नारे लगाये जाना

2249. **श्री मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाल किले पर 1 नवम्बर, 1974 को आयोजित सभा में, जिसमें प्रधान मन्त्री ने भाषण दिया था, श्रोताओं के बीच महिलाओं के कुछ दलों ने नारे लगाये थे;

(ख) क्या पुलिस ने हस्ताक्षेप करके महिला वर्ग से अपने पीछे-पीछे मंच तक चलने और प्रधान मंत्री से साक्षात्कार करने के लिय कहा था; और

(ग) यदि हां, तो घटना के तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) मन्त्री, मंहगाई विरोधी महिला समिति, ने चार या पांच अन्य महिलाओं के साथ 1 नवम्बर, 1974 को लाल किले पर प्रधान मन्त्री द्वारा सम्बोधित एक सभा में मूल्य वृद्धि के विरोध में कुछ नारे लगाये थे । महिला पुलिस के अनुरोध करने पर ये महिलाएं शान्त रहने पर राजी हो गईं ।

Stoppage of Payment for advertisements published in Searchlight and Pradeep and non-release of advertisements to Tribune and Motherland

2250. Shri Madhavrao Scindia :
Shri Jyotirmoy Bosu :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ishwar Chaudhry :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the stoppage of payments for advertisements published in 'The Searchlight' and 'The Pradeep' by the Bihar Government and non-release of advertisement to 'The Tribune' by the Haryana Government and to 'The Motherland' by the Central Government ;

(b) if so, whether arrears amounting to Rs. 10 lakhs are to be paid to 'The Searchlight, and 'The Pradeep' by Bihar Government; and

(c) the comments of the Press Council in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) Government's attention was drawn to the stoppage of payments for advertise-

ments published in the 'Serchlight' and 'Pradeep', and non-release of advertisements to the 'Tribune', by the Haryana Government. In regard to 'The Motherland', the Central Government's advertisements are being released by the D.A.V.P. since February, 1972 when it was approved for use of Central Government's advertisements.

(b) The press Council in their verdict of 12th October, 1974 observed that out of arrears of Rupees 12 lakhs on account of advertisements, Rupees 4 lakhs had been paid by the Bihar Government and Rupees 8 lakhs were outstanding.

(c) Government have noted with satisfaction that the State Government of Bihar consequent to the decision of the Press Council also have withdrawn their orders delisting the 'Searchlight, and 'Pradeep' and resumed advertisements in both the papers.

दामोदर घाटी निगम की पारेषण लाईन में खराबी के कारण हानि

2251. श्री समर मुखर्जी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम की पारेषण लाइन में खराबी हो जाने के कारण कुल कितनी हानि हुई, जिससे पश्चिम बंगाल-बिहार पावर ग्रिड अस्त-व्यस्त हो गया और जिसके परिणामस्वरूप 13 सितम्बर, 1974 को कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती करनी पड़ी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): 13-9-1974 को 4.57 बजे अपराह्न चन्द्रपुरा ताप-विद्युत केन्द्र में एक बस में खराबी उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सभी उत्पादन यूनिटों और बाहर जाने वाली पारेषण लाइनों पर ट्रिपिंग हो गया। 9.30 बजे रात्रि को सामान्य सप्लाई बहाल हो गई थी। खराबी की इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर लोड शैडिंग करनी पड़ी जिससे दामोदर घाटी निगम को राजस्व की कुछ हानि हुई।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खर्च में वृद्धि

2252. श्री बी० मायावन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के खर्च में एक वर्ष में 40 करोड़ रुपये से 50 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितने राज्यों में और कितनी बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया; और

(घ) इस पर होने वाले खर्च को कम करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस पर होने वाले खर्च की धनराशि का आधा भाग देने के लिये राज्य सरकारों को कहा गया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) चालू वर्ष के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वास्ते बजट व्यवस्था 39.22 करोड़ रुपये की है। किन्तु वेतनमानों में संशोधन, महंगाई भत्ते में वृद्धि तथा परिवहन तथा उपकरण के ऊंचे मूल्यों के कारण व्यय के लगभग 50 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) मितव्ययता की आवश्यकता को हमेशा ध्यान में रखा जाता है किन्तु उपरोक्त (क तथा ख) में उल्लिखित कारणों के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर व्यय में कोई कमी करना संभव नहीं हुआ है। 1-4-74 से राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनातगी का व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारों के साथ व्यय का हिस्सा बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1974-75 के दौरान राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तैनातगी

(संख्या कम्पनियों में)

राज्य का नाम	1-4-74	1-5-74	1-6-74	1-7-74	1-8-74	1-9-74	1-10-74	1-11-74
आंध्र प्रदेश	15	17	17	18	18	18	12	12
असम	12	10	10	28	28	23	17	17
बिहार	21	21	24	18	45	45	51	57
गुजरात	33	21	18	18	—	—	—	—
जम्मू तथा काश्मीर	24	24	24	24	24	24	24	24
केरल	11	11	11	11	11	11	6	6
मध्य प्रदेश	—	—	1	3	3	3	3	3
मणिपुर	33	33	33	33	33	30	30	30
मेघालय	3	5	5	5	5	6	6	6
नागालैंड	29	23	23	23	23	23	30	30
उड़ीसा	6	6	6	6	6	—	6	6
तमिलनाडु	4	4	4	4	4	4	4	4
त्रिपुरा	18	12	12	12	12	12	12	12
उत्तर प्रदेश	11	11	11	11	11	11	5	5
पश्चिम बंगाल	30	30	30	30	30	33	33	33

Shortage of 25 paise Envelopes in Indore

2253. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the people of Indore City (Madhy Pradesh) are facing great difficulty as a result of shortage of 25 paise envelopes since August-September, 1974; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken to meet the shortage of these envelopes?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Shortage of embossed envelopes has been reported from Indore City in Madhye Pradesh.

(b) Mainly due to inadequate supply of specified paper required for the manufacture of the envelopes.

Steps have been taken for the production and supply of adequate quantities of paper and to step up the manufacture of the envelopes at Nasik Press.

आकाशवाणी में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्ज की भर्ती

2254. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में लगभग 350 प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्ज हैं जिनमें से 220 प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्ज अधिकांशतया गैर-प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्ज पदों से पदोन्नत करके तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1963 से कोई नियमित तथा बाहर से भर्ती नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) इस समय 341 प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव कार्य कर रहे हैं जिनमें से 222 तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। तदर्थ प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव्वों को ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों के निचले संवर्ग, जिसमें से पदोन्नति की जाती है, में से नियुक्त किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी के प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के संवर्ग में भर्ती के लिए भर्ती नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

कागज तथा अखबारी कागज का उत्पादन

2255. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी प्रकार के कागज तथा अखबारी कागज का, उनका पूरा व्यौरा देते हुए, इस वर्ष अब तक वर्तमान क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन कितना है और गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में कम पूंजी वाले छोटे एककों को अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) कागज और गत्तों (सभी किस्मों को मिलाकर) तथा अखबारी कागज की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 1972, 1973 का वास्तविक उत्पादन और सितम्बर 1974 तक का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वस्तु	विद्यमान अधिष्टापित क्षमता (मी० टन)	उत्पादन		
		1972 मी०टन	1973 मी०टन	1974 (जनवरी सितम्बर) 1974 —9 महीने मी० टन
कागज और गत्ते	9,95,000	8,03,443	7,76,343	5,90,381
अखबारी कागज	75,000**	42,048	43,847	40,547*

**(30,000 मी० टन से बढ़ाकर 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता के विस्तार का कार्यान्वियन हो रहा है)

*वास्तविक उत्पादन।

(ख) और (ग) कागज और गत्ता बनाने के लिए अनेक छोटी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और इनमें से कुछ पिछड़े क्षेत्रों में लगाई जाएगी।

औद्योगिक विकास दर

2256. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 के लिए 3.5 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास का अनुमान लगाया था;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि यह लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है तो विकास दर को अवरुद्ध करने वाले पहलू कौन से हैं और कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। 1974-75 की सम्भावी औद्योगिक विकास दर के संबंध में सरकार द्वारा सरकारी तौर पर कोई अनुमान जारी नहीं किया गया है। किन्तु औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की अगस्त, 1974 में हुई बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह संकेत किया गया कि 1974-75 में विकास की दर देशी स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में कोयला, इस्पात, पिग आइरन, बिजली और अन्य कच्चा माल उपलब्ध होने पर इसे 4 प्रतिशत हो सकती है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सांख्यकी संगटन द्वारा प्रकाशित औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक में 1974-75 के पहले दो महीनों के ही आंकड़े उपलब्ध हैं और इनसे 1973-74 के इन्हीं महीनों के उत्पादन में 2.3% वृद्धि का पता चलता है। और 1974-75 के विकास की वास्तविक दर का अनुमान लगाना समय से बहुत पूर्ण होगा।

समाचार पत्र प्रकाशकों द्वारा अखबारी कागज की चोर बाजारी

2258. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन प्रकाशकों के नाम, पते तथा विवरण क्या हैं जिन पर गत दो वर्षों में अखबारी कागज के अनधिकृत प्रयोग तथा कालाबाजारी के आरोप लगाये गए हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या-क्या विशिष्ट आरोप हैं;

(ग) क्या समाचार-पत्र प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8588/74]**।

पांडीचेरी में टेलीविजन केन्द्र

2260. श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायणन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र से कब तक प्रसारण आरम्भ होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1975-76 के लिए राज्यों के लिए वार्षिक योजना

2261. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग नें वर्ष 1975–76 की वार्षिक योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से बातचीत पूरी हो चुकी है; और

(ग) क्या गुजरात और बिहार राज्यों से भी बातचीत की गई है, और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ उनकी 1975–76 की वार्षिक योजना से संबंधित प्रस्तावों के प्रारूप पर विचार-विमर्श 20 नवम्बर, 1974 से प्रारम्भ हो गया है । बिहार और गुजरात के साथ विचार-विमर्श का कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया गया है:—

	बिहार	गुजरात
वित्तीय संसाधनों पर विचार	13 और 14 दिसम्बर 1974	15 दिसम्बर, 1974
वार्षिक योजना के प्रस्तावों के प्रारूप	20 और 21 दिसंबर, 1974	5 और 6 जनवरी, 1975

इन विचार-विमर्शों के पूरा हो जाने के बाद बिहार और गुजरात सहित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के सम्पूर्ण परिव्यय का अंतिम रूप से निर्धारण इन राज्यों के साथ परामर्श कर अनुमानित कुल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा ।

इलैक्ट्रोनिकी व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम की स्थापना

2262. श्री डी० डी० देसाई :
श्री राजदेव सिंह :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स कलपुर्जे बनाने वाले कारखानों के लिए कच्चे माल के आयात की वर्तमान व्यवस्था के सामने बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई इलैक्ट्रोनिकी व्यापार तथा तकनीकी विकास निगम स्थापित किया है; यदि हां, तो इसके मुख्य-मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त निगम बनाने से विभिन्न कठिनाइयों का किस सीमा तक हल निकल आएगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अंतरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इलैक्ट्रोनिक्स एककों को खास तौर पर जो लघु उद्योग क्षेत्र में है, रुपया अदायगी क्षेत्रों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों के इस्तेमाल करने में और इलैक्ट्रोनिक्स ग्रेड की विशिष्ट सामग्री का जिनकी थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, अवसात करने में कठिनाई हो रही है । ऐसे एककों की सहायता करने के लिए इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के अधीन "इलैक्ट्रोनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम" के नाम से एक सरकारी क्षेत्र निगम हाल ही में गठित किया गया है, जिससे इलैक्ट्रोनिक्स सामग्री, घटक, उपसज्जीकरण, उपस्कर व प्रणालियों की सभी किस्मों में व्यापार प्रक्रिया का संगठन एवं विकास हो सके । यह निगम दुर्लभ सामग्रियों व घटकों की मात्रा यथासंभव मालूम करेगा तथा उन्हें प्राप्त करने और, यदि आवश्यक हुआ तो, उन्हें स्टाक करने का भी प्रबंध करेगा जिससे इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की जरूरतें पूरी हो सकें । इलैक्ट्रोनिक्स मदों के विकास हेतु यह निगम उपयुक्त जानकारी एवं प्रौद्योगिकी को भी अवस्थित करेगा, ताकि विभिन्न स्रोतों से इनके पुनरावर्ती आयात को टाला जा सके । यह आशा है कि इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की आयात जरूरतों का एक अर्थपूर्ण अंश रुपया अदायगी प्रबंधों द्वारा पूर्व योरूपीय देशों से इस भांति पूरा किया जा सकता है ।

Relief work in flood affected Districts of Madhya Pradesh

2263. **Shri Shrikrishan Agrawal :** Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1168 on the 31st July, 1974 regarding relief works in flood affected districts of Madhya Pradesh and state:

(a) whether clarifications sought from Government of Madhya Pradesh about relief work being carried out in 11 additional flood affected districts have since been received; and

(b) if so, the steps taken to undertake relief works in those districts?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of the Information furnished by the Government of Madya Pradesh, it was decided that out of 11 new districts proposed by the State Government, relief works should be started in four additional Districts namely, Bilaspur, Raipur, Durg and Rajnandgaon.

Damage to Post Offices and Telephones in Bihar

2265. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of places where the Post Offices and the Telephones were damaged during the political movement in Bihar from 3rd to 5th October, 1974; and

(b) the extent of the damage so caused?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) Begampur Post Office at Patna & Begusarai Telephone Exchange were set on fire. Besides, damage was caused to Cables/Wires and Posts affecting Telephone lines at serveral points.

(b) The approximate amount of loss, so caused to the Department and assessed so far comes to Rs. 4.63 lakhs.

वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 में विद्युत् के उत्पादन में गिरावट को पूरा करने की योजनाएं

2266. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री बनमाली पटनायक :
श्री वीर भद्र सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में वर्षा ऋतु में कम वर्षा होने के फलस्वरूप पनबिजली परियोजनाओं द्वारा विद्युत के उत्पादन में गिरावट को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं;

(ख) इस समूची कमी के बारे में सरकार के अनुमान क्या हैं; और

(ग) परियोजनाओं को पूरी क्षमता से काम करने में कितना समय लगेगा और वित्तीय वर्ष 1973–74 और 1974–75 में वे उद्योग को हुई हानि को कहां तक पूरा करने में समर्थ होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जल-विद्युत केन्द्रों से कम उत्पादन होने की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) वर्तमान ताप-विद्युत केन्द्रों से उत्पादन को अधिकतम करना।

(2) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करना।

(3) अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों से विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में राहत की व्यवस्था करना।

(4) संधारित्रों आदि की स्थापना द्वारा पारेषण और वितरण में होने वाली विद्युत की हानि को कम करना।

(5) अग्रता प्राप्त उद्योगों तथा अनिवार्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत उपलब्ध करने के उद्देश्य से बिजली की कटौतियों/प्रतिबंधों को युक्तियुक्त बनाना।

(ख) समूचे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में समस्त कमी का अनुमान लगभग 15 प्रतिशत लगाया गया है।

(ग) जल-विद्युत केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता पूर्णतया मानसून पर निर्भर करती है। जहां तक ताप-विद्युत केन्द्रों का संबंध है, इनसे यथासंभव अधिकतम उत्पादन करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस वर्ष में ऊर्जा उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है।

एक करोड़ एवं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई

2267. डा० के० एल० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक करोड़ एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे कौन-कौन से सघन क्षेत्र हैं जिन्हें प्रति व्यक्ति कम से कम किलोवाट प्रति घंटा बिजली की सप्लाई भी नहीं की जा रही ; और

(ख) अगले पांच वर्षों में उक्त क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 10 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले निम्नलिखित राज्यों में विद्युत की प्रति-व्यक्ति खपत 90 यूनिट से कम है :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. केरल
5. मध्य प्रदेश
6. उड़ीसा
7. राजस्थान
8. उत्तर प्रदेश

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में नीचे लिखे अनुसार अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है :—

1. आंध्र प्रदेश	1150 मेगावाट
2. असम	150 मेगावाट
3. बिहार	995 मेगावाट
4 केरल	710 मेगावाट
5. मध्यप्रदेश	840 मेगावाट
6. उड़ीसा	460 मेगावाट
7. राजस्थान	535 मेगावाट
8. उत्तर प्रदेश	2426 मेगावाट

वर्तमान यूनिटों से अधिकतम उत्पादन करने तथा विभिन्न विद्युत प्रणालियों के समन्वित प्रचालन को बढ़ावा देने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। इन उपायों तथा विभिन्न नई स्कीमों के पूर्ण हो जाने से यह प्रत्याशा है कि इन राज्यों में पांचवीं योजना के अन्त तक खपत 90 यूनिट से काफी अधिक बढ़ जाएगी।

Border Dispute between Haryana, Delhi and U.P.

2268. Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken so far regarding the border dispute among Haryana, Delhi and Uttar Pradesh because of river Yamuna, which has been entrusted to him; and

(b) whether for demarcation of permanent border between Uttar Pradesh and Delhi any other basis than Yamuna river is being considered by him; and if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) At the request of the Chief Ministers of Haryana and Uttar Pradesh, the former Home Minister, Shri Uma Shankar Dikshit, agreed to arbitrate in the boundary problem between the two States. Accordingly, discussions with representatives of these Governments and collection of necessary data are in progress with a view to determine the alignment for a fixed boundary. There is no boundary problem between Uttar Pradesh and Delhi. However, the feasibility of replacing by a fixed boundary a part of the existing inter-State boundary between Delhi and U. P., which is defined as the deep-stream of the river Yamuna is being explored.

जेलों में तस्करों के पास धनराशि

2269. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 'ग्रांसुका' (मिसा) के अन्तर्गत पकड़कर यरवदा जेल में रखे गए तस्कर लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा राजस्थान की जेलों में भेज दिए गए हैं;

(ख) क्या 'ग्रांसुका' (मिसा) के अन्तर्गत पकड़े गए व्यक्तियों को अपने पास कोई पैसे रखने का अधिकार नहीं है; और

(ग) क्या लखनऊ जेल में तलाशी लेने पर एक तस्कर के पास 1000 रुपये की राशि पायी गई; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) आरम्भ में यरवदा जेल में रख गए 11 तस्करों में से 4 को बाद में केन्द्रीय जेल, दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था, 5 को केन्द्रीय जेल आगरा तथा 2 को केन्द्रीय जेल जयपुर में स्थानांतरित किया गया था। किसी को भी लखनऊ जेल में स्थानांतरित नहीं किया गया था।

(ख) नजरबन्दों को अपने संबंधियों अथवा मित्रों से निजी धन राशि प्राप्त करने की अनुमति है बशर्ते कि वे उनकी नजरबन्दी के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा बनाये गए नियमों की सीमा के अनुसार हों।

(ग) केन्द्रीय जेल आगरा में स्थानांतरित किए गए नजरबन्दों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमताओं पर नियन्त्रण

2270. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री एच० एन० मुकर्जी:

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन औद्योगिक एककों के कार्यकरण के विनियमन एवं नियंत्रण में कोई कठिनाइयां अनुभव की गई हैं जिनकी अनुज्ञात क्षमता का उल्लेख रुपया मूल्य के रूप में है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या इस अनुभव को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों में उत्पादन क्षमता का उल्लेख रुपया मूल्य के स्थान पर वास्तविक एकक के रूप में करने का निर्णय किया है ;

(ग) कठिनाई को दूर करने के लिए वर्तमान औद्योगिक एककों की उत्पादन क्षमता का वास्तविक एकक के रूप में पुन: उल्लेख करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने उद्योगपतियों ने अपने संयंत्रों की वास्तविक क्षमताओं के डिजाइनों और गत तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के बारे में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (घ) पिछले दिनों कुछ प्रकरणों में उत्पादन का रुपये में मूल्य बताते हुए औद्योगिक लाइसैंस जारी किये गए थे। आज की कीमतों के रूप के संदर्भ में वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता का मूल्य के रूप में बताना पुरानी बात पड़ चुकी है। अतएव, सरकार ने मूल्य के स्थान पर संशोधन करके उत्पादन क्षमता का उल्लेख करना प्रारम्भ कर दिया है। इस संबंध में 22 अक्तूबर, 1974 को जारी की गई एक प्रेस टिप्पणी संलग्न है।

जहां तक उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का संबंध है उनकी संख्या का निर्धारण करना अभी समय पूर्व है।

विवरण

प्रेस नोट

वास्तविक उत्पादन के रूप में औद्योगिक क्षमता का पुनः निर्धारण

सरकार ने नवम्बर, 1972 में अनुदेश जारी किए कि मूल्य के रूप में औद्योगिक क्षमता का उल्लेख करने के बजाय एकक में होने वाले वास्तविक उत्पादन के रूप में क्षमता का निर्धारण प्रारम्भ किया जाए क्योंकि मूल्य में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है । किन्तु विगत दिनों क्षमता का उल्लेख उत्पादन मूल्य के रूप में करते हुए कई औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए थे । उन प्रकरणों में भी जहां उस समय के वास्तविक उत्पादन का निर्धारण करने में कठिनाई अनुभव की जा रही थी और जिनमें भागीदारों ने ऐसा करने के आवेदन पत्र दिए थे, उपर्युक्त अनुदेश जारी होने पर भी कुछ औद्योगिक क्षमताओं का उल्लेख उत्पादन मूल्य के रूप में किया गया था । आज की कीमतों के रूप के संदर्भ में वास्तविक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के अनुसार उनके मूल्य का बताना पुरानी बात पड़ चुकी है । अतएव, सरकार ने उत्पादन मूल्य के स्थान पर संशोधन कर एकक में होने वाले वास्तविक उत्पादन का उल्लेख करना प्रारम्भ किया है । औद्योगिक लाइसेंसधारी उपक्रम के स्वामियों को जिनकी क्षमता को उत्पादन मूल्य में बताया गया है परामर्श दिया जाता है कि वे आवश्यक संशोधन हेतु संबंधित उद्योगों के प्रभार संयुक्त सचिव उद्योग को अपना आवेदन पत्र दें । आवेदन पत्र में वास्तविक उत्पादन क्षमता के समर्थन में पूर्ण प्रमाण होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के उत्पादन में हुई वास्तविक उपलब्धि का उल्लेख होना चाहिए और संबंधित औद्योगिक लाइसेंस की एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि संलग्न करनी चाहिए । इस कार्य के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा) नहीं है, पत्र के रूप में सभी संगत सूचनायें देनी चाहिएं । औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस में औपचारिक संशोधन किया जाएगा । यह सुविधा औद्योगिक लाइसेंस में लिखित उत्पादन मूल्य के बराबर की उत्पादन क्षमता से अधिक बढ़ाने के लिए नहीं है व उन प्रकरणों में भी लागू नहीं होगी जिनमें देशी अथवा आयातित मशीनरी अधिष्ठापित की जानी है ।

भारत सरकार
उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

पत्र संख्या 12(93)/एस०बी०/74 दिनांक 22 अक्तूबर, 1974

प्रतिलिपि व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को भेजी जानी है ।

2. प्रतिलिपि उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा सभी मंत्रालयों को भी भेजी जाती है ।

(सी०वी० राव)
निदेशक

चुनीदा वस्तुओं का उत्पादन और उनका वितरण

2371. श्री भोला मांझी : क्या **उद्योग और नागरकि पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ चुनीदा मूल वस्तुओं का उत्पादन करने और उनका समुचित वितरण करने के लिए उपाय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक मूर्त रूप लेने की संभावना हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं द्वारा कुछ चुनीदा मूलभूत वस्तुओं (उपभोक्ता के हित की) का उत्पादन करने संबंधी कदम उठाने के बारे में कोई आम निर्णय नहीं लिया गया है । अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना और उनका ठीक प्रकार से वितरण करने का सुनिश्चिय करना सरकार की सामान्य नीति है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Incidence of crimes and expenditure on Police in Delhi

2272. **Shri M. C. Daga : Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of cases of crimes in the Union Territory of Delhi during the years 1968 and 1973 separately and the present total expenditure on police as compared to that of 1968; and

(b) the reasons for rapid increase in the crimes and the expenditure on police ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) (i) The total number of cases of crimes during the years 1968 and 1973 were as follows :-

1968—22639
1973—40528

(ii) the total expenditure on police during these years was :-

1968-69—5,55,50,933
1973-74—9,69,87,640

(b) The upward trend in crime is explained by he rapid urbanisation and increase in population. Population of Delhi has been increasing by about two lakhs every year. Apart from the resident population there is also a huge floating population in the city which materially contributes to the law and order problems and also inter-state criminal activities because of the proximity of borders of other states. Much of the normal functioning of the police in regard to the prevention of crime, detection and investigation of cases is also hampered by the heavy commitment of the Delhi Police for the countless demonstrations, processions, etc., especially during the Parliament Session. The increase in the police force as well as its modernisation has been mainly responsible for the increase in expenditure on this force.

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

2273. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को दी जा रही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि करने के अनुदेश जारी कर दिये हैं;

(ख) क्या इन अनुदेशों के अनुसार पूर्ण कालीन रोजगार में लगे विद्यार्थी इन छात्रवृत्तियों के हकदार नहीं होंगे और इन छात्र-वृत्तियों की मंजूरी भी एक ही माता-पिता के दो बच्चों तक के लिए सीमित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या छात्रवृत्तियों की राशि में की गई वृद्धि वर्तमान अत्यधिक मूल्यों को देखते हुए पर्याप्त है और क्या छात्रवृत्तियों की मंजूरी पर उक्त रोक इस योजना के, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देना है, मूल आधारों के विरुद्ध है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) कीमतों में वृद्धि, रिहायशी छात्रवृत्तियों के लिए ऊंचे मूल्यों, छात्राओं की शिक्षा तथा तकनीकी संस्थानों और वित्तीय विशिष्टताओं को ध्यान में रख कर योजना को व्यवस्थित किया गया है । योजना पर पांचवी योजना की अवधि में लगभग 187 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 7 लाख छात्रों से अधिक को लाभ होगा ।

केन्द्रीय बलों को राज्यों में तैनात करना

2274. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री आर० वी० स्वामिनाथन :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल जैसे केन्द्रीय बलों को राज्यों में तैनात करने के कारण कुछ राज्य सरकारों की ओर लगभग 60 करोड़ रु० की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, आंकड़े क्या हैं और इस राशि को वसूल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

(ग) क्या केन्द्रीय बलों को हर बार राज्यों के अनुरोध पर तैनात किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ग) और (घ) आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए केन्द्रीय बलों को तैनातगी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है ।

विवरण

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तैनात करने के कारण राज्य सरकारों की ओर बकाया राशि का विवरण

आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के संबंध में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की तैनातगी के कारण राज्य सरकारों की ओर 31–3–74 को बकाया राशि क्रमशः 40.07 करोड़ रु० और 1.80 करोड़ रु० थी ।

राज्यवार ब्यौरे

राज्य का नाम	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	सीमा सुरक्षा बल
	(बकाया राशि रु०)	(बकाया राशि रु०)
आन्ध्र प्रदेश	7,60,80,188.19	11,85,255.75
बिहार	1,57,23,303.57	25,37,440.08
केरल	3,19,25,735.91	1,87.266.67
असम	6,26,59,367.24	27,00,973.38
पंजाब	1,35,714.30	28,12,753.99
तमिलनाडु	13,97,701.99	3,78,778.99
पश्चिम बंगाल	17,47,62,404.15	41,18,688.99
राजस्थान	7,57,021.24	2,72,502.25
उत्तर प्रदेश	2,67,74,779.21	25,77,884.08
मेघालय	48,47,782.03	1,29,471.42
महाराष्ट्र	6,42,747.41	—
उड़ीसा	10,19,834.16	1,27 303.00
कर्नाटक	32,706.70	—
मध्य प्रदेश	6,640.00	—
गुजरात	39,48,768.30	1,03,263.78
हरियाणा	—	2,01,443.03
मणीपुर	—	6,80,085.47
जोड़	40,07,14,694.40	1,80,13,110.65

छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1-4-74 से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का खर्च राज्य सरकारों के नाम न लिखने का निर्णय किया गया है ।

बकाया राशि को वसूल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिकों के रूप में पदोन्नति

2275. श्री के० मालन्ना : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अवर श्रेणी लिपिक को प्रवरता सूची के अनुसार प्रवर श्रेणी लिपिक अथवा सहायक के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडियेट परीक्षायें, जो कि अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए निर्धारित अर्हता है, पास कर चुके श्रेणीवार के कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होते हैं ?

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के अधीन उच्च श्रेणी लिपिक तथा सहायक के ग्रेडों के कुछ प्रतिशत पदों को क्रमशः अवर श्रेणी लिपिक तथा उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेडों से, यदि वे उपयुक्त पाये जाएं, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरना होता है । इस प्रकार वरिष्ठता सूची के अनुसार किसी अवर श्रेणी लिपिक को उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर और किसी उच्च श्रेणी लिपिक को सहायक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, किन्तु किसी अवर श्रेणी लिपिक को सीधे सहायक के पद पर पदोन्नति नहीं किया जा सकता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । किन्तु चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की है तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा की है और वे 45 वर्ष के नहीं हुए हैं तो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) परीक्षा में अपनी सफलता के आधार पर अवर श्रेणी ग्रेड में 10 प्रतिशत रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं ।

मैसर्स शार्प एज्ज लिमिटेड

2276. श्री एस०एम० बनर्जी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शार्प एज्ज़ लिमिटेड ने, जोकि 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्म है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कारोबार चलाये रखने के लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस बारे में ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अत्यावश्यक वस्तुओं की सरकार द्वारा नियन्त्रित मात्रा की प्रतिशतता

2277. श्री बी०वी० नायक : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार मूल्यों में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की कितनी प्रतिशतता पर सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है; और

(ख) इस समय सरकार द्वारा नियंत्रित अभिकरणों का अत्यावश्यक वस्तुओं की कितनी प्रतिशत मात्रा पर नियन्त्रण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार सर्किल में डाक-तार अधिकारियों पर लगाए गए आरोप

2278. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में कितने डाक तार अधिकारियों के विरुद्ध सम्पत्ति बढ़ाने में भ्रष्ट उपाय अपनाने और शक्ति के दुरपयोग के आरोप लगाए गए हैं;

(ख) सर्किल सतर्कता अधिकारी अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा विशेष पुलिस प्रतिष्ठापन ने जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की और प्रतिवेदन पेश किए हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ग) डाक-तार बोर्ड अथवा बिहार सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल अथवा बिहार सर्किल के जी० एम० टी० द्वारा इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 35 (यह सूचना अक्तूबर, 1973 से सितम्बर, 1974 तक की अवधि की है)।

(ख) और (ग) यह सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

अधिकारी का नाम	की गई कार्रवाई
1. श्री आर० सी० मित्रा मुख्य अधीक्षक, सी०टी०ओ० पथ, पटना।	मुख्य दण्ड के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
2. श्री एम०एल० मिश्र, डाकघर अधीक्षक, धनबाद।	लघु दण्ड के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
3. श्री एल० सिंह, डाकघर अधीक्षक, आरा।	वेतन वृद्धि बिना संचित प्रभाव के 6 महीने के लिए रोक दी गई।
4. श्री सी०एन० शर्मा, वाणिज्य अधिकारी, टेलीफोन, पटना	मुख्य दण्ड के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
5. श्री एम० एम० डे० सहायक इंजीनियर, पटना	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अन्तर्गत जांच हो रही है।
6 श्री आर०ए० सिंह, डाकघर अधीक्षक, भागलपुर	केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से आवश्यक जांच और उचित कार्रवाई के बाद मामला समाप्त कर दिया गया।
7. श्री आर० ए० तिवारी, डाकघर अधीक्षक, आरा, अब कल्याण अधिकारी, पटना।	—वही—
8. श्री आर० शर्मा, डाकघर अधीक्षक, मोतीहारी।	—वही—
9. श्री एस०पी० तिवारी, अधीक्षक डाक भण्डार डिपो, पटना	—वही—
10. श्री जे० सिन्हा, एस०डी०ओ०टी० गया।	—वही—

अधिकारी का नाम	की गई कार्रवाई
11. श्री शिवलाल, एस०डी०ग्रो०टी०, गया।	केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से आवश्यक जांच और उचित कार्रवाई के बाद मामला समाप्त कर दिया गया।
12. श्री एस०एस० रावत, डाकघर अधीक्षक, गया।	—वही—
13. श्री गोविन्द प्रसाद, एस०डी०ग्रो०टी०, जमशेदपुर।	—वही—
14. श्री ग्रार० एस० लाल, अधीक्षक टेलीग्राफ ट्रैफिक, रांची।	—वही—
15. डा० बी० के० सिंह, चिकित्सा अधिकारी, डाक-तार औषधालय, पटना।	—वही—
16. श्री एस०एस० चौबे, एस०डी०ग्रो०पी०, मुजफ्फरपुर।	—वही—
17. श्री बी० एन० प्रसाद, एस०डी०ग्रो०टी०, बेगुसराय।	—वही—
18. श्री बागेश्वरी प्रसाद, सीनियर एस०पी०ग्रो०, छपरा।	—वही—
19. श्री ग्रार० प्रसाद, एस०डी०ग्रो०पी०, पटना।	—वही—

परमाणु रिऐक्टर के विषय में भारत-सीरीयाई वार्ता

2279. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु रिऐक्टर बनाने के लिए हाल ही में भारत-सीरियाई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रोनिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक घरों में 'टेलर' पद्धति

2280. श्री बनमाली पटनायक : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी मुख्य डाकघरों में बचत खातों में 'टेलर' पद्धति लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इससे डाकघरों में सेविंग सुविधायें और खातों की संख्या बढ़ाने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सभी मुख्य डाकघरों में तारीख 1–6–1974 से टेलर पद्धति लागू की जा चुकी है।

(ख) इस पद्धति के लागू होने से पहले यह आवश्यक होता था कि लेन-देन संपन्न होने से पूर्व सभी रकम की निकासी और जमा की जांच एक पर्यवेक्षक और लैंजर क्लर्क करे। टेलर पद्धति लागू हो जाने से 100 रुपये तक निकाली जाने वाली रकम की अदायगी काउंटर क्लर्क खुद कर देता है और जमा की सभी रकम भी पर्यवेक्षक या लैंजर क्लर्क द्वारा जांच किए जाने के बिना ही स्वीकार की जाती है। बकाया राशि का सत्यापन पास बुक के इंदराजों से ही किया जाता है। इससे कांउटर पर लेन-देन काफी तेजी से होता है।

(ग) आशा है कि काउंटर पर शीघ्र सेवा मिलने से और अधिक ग्राहक आकर्षित होंगे। इस प्रकार, इससे छोटी बचत के संग्रह में सहायता मिलेगी।

कागज निर्माताओं/डीलरों द्वारा काफी मात्रा में उपरिधन लिये जाने के बारे में शिकायतें

2281. श्री मधु लिमये : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों में कागज के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को निर्माताओं/डीलरों द्वारा काफी बड़ी मात्रा में उपरिधन लिये जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रति टन लगभग कितना उपरिधन लिया गया;

(घ) क्या उद्योग विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को कहा जाएगा कि इन व्यक्तियों के आयकर का निर्धारण करते समय उपरोक्त बात को भी ध्यान में रखा जाये; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें कर अपवंचन की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) विगत छः महीनों में कागज के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) पिछले दिनों निर्माताओं द्वारा कागज की कीमतों के बढ़ाये जाने के बारे में कुछ सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि अनैतिक व्यक्तियों द्वारा कागज की बिक्री करने में ऊपरी राशि भी ली जाती है। लिए जाने वाली ऊपरी राशि की मात्रा के बारे में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) कागज की कीमतें बढ़ने के उपरांत ऊपरी राशि लेना भी बंद हुआ अतएव कर अपवंचन की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता।

लोअर पेरियार और पेरिन्जा-कुट्टी हाइड्रोइलैक्ट्रिक योजनाओं के बारे में केरल से परियोजना प्रतिवेदन

2282. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने लोअर पेरियार और पेरिन्जा कुट्टी हाइड्रोइलैक्ट्रिक योजनाओं के बारे में अग्रिम परियोजना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि पांचवीं योजना के दौरान इन योजनाओं पर की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रस्तावित परिव्यय अत्यन्त अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालत में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) इस परियोजना पर एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को उपलब्ध कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी० ई० टी० के कार्यालय

2283. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ई० टी० के जिला मुख्यालयों के अलावा अन्य कितने कार्यालय हैं;

(ख) क्या महसाना डी० ई० टी० का कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर गत तीन वर्ष के दौरान दिये गये यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में वर्ष-वार कितनी राशि खर्च हुई; और

(घ) इस यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर खर्च होने वाली राशि को बचाने के उद्देश्य से इस कार्यालय का अन्तरण करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) गुजरात सर्किल में दो ऐसे डिवीजन हैं—महसाना तार इन्जीनियरी डिवीजन और नादिगाड तार इंजीनियरी डिवीजन—जोकि अपने स्थान के मुख्यालयों में नहीं हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान महसाना डिवीजन में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर क्रमशः 10,000 रुपये और 6,000 रुपये खर्च हुआ था । अप्रैल से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि के दौरान यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर करीब 7,000 रुपये खर्च हुए हैं । इन खर्चों में वह खर्च भी शामिल हैं जो डिवीजन के भीतर सामान्य दौरे पर किया गया है ।

(घ) डिवीजन का मुख्यालय प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित होने के कारण यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर आने वाला अतिरिक्त खर्च ऊपर बताये गये खर्च का करीब 10 प्रतिशत है । महसाना में उपयुक्त मकान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि कार्यालयों का वहां शीघ्र स्थानान्तरित किया जा सके ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक निम्न श्रेणी लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

2284. श्री माधुर्य हालदार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उस निम्न श्रेणी लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर ली है जिसने लाखों रुपये कमाये थे; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिलहाल प्रकाशन विभाग के एक लिपिक श्री आर० के० पुरी से सम्बन्धित मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है ।

भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र संगठन (आई०ई०एन०एस०) के प्रधान द्वारा समाचार-पत्र उद्योग की जांच का सुझाव

2285. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ई० एन० एस० (भारतीय तथा पूर्वी समाचार पत्र संगठन) के प्रधान ने किसी तदर्थ कानून बनाये जाने से पूर्व समाचार-पत्र उद्योग की जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्युजपेपर्ज सोसाइटी के सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था संबंधी तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी । इस रिपोर्ट के निकट भविष्य में उपलब्ध होने की उम्मीद है ।

Expenditure on Electronic Telephone Exchange in Delhi

2286. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Commuincations** be pleased to state the amount of expenditure incurred on the first electronic telephone exchange opened in Delhi ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : No Electronic Telephone Exchange has been opened in Delhi for public service. However, a small Experimental Electronic Telephone Exchange is in operation at the Telecommunication Research Centre of the Posts and Telegraphs. The expenditure incurred towards the cost of this Experimental Electronic Exchange is about Rs. 25 lakhs.

पांचवी योजना में विद्युत प्रजनन के लिए परिव्यय

2288. श्री पी० ए० सामीनाथन :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत प्रजनन के लिये निर्धारित परिव्यय की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। पांचवीं योजना के प्रारूप में विद्युत सैक्टर के लिये 6190 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। सामग्री आदि की बढ़ रही कीमतों के कारण परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि और योजनावधि के दौरान होने वाली संभावित लागत-वृद्धि को आधार मान कर, एक मूल्यांकन किया गया है जिससे पता चलता है कि पांचवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विद्युत सैक्टर में आवंटन को पर्याप्त रूप में बढ़ाना होगा। इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया गया है और यह उनके विचाराधीन है।

कोहिमा में व्यापार करने की स्वतन्त्रता के लिए परमिट जारी किये जाना

2279. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-नागा मूलक भारतीय नागरिकों को राजधानी कोहिमा में व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त नागरिकों को वहां व्यापार या व्यवसाय करने के लिये परमिट लेना अनिवार्य है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सभी भारतीय नागरिकों को कोहिमा शहर में व्यापार अथवा व्यवसाय करने के लिये कोहिमा के उप-आयुक्त से परमिट लेने पड़ते हैं। परमिट सामान्यतः उन नागाओं, गैर नागाओं को दिये जाते हैं जो स्थाई रूप से नागालैण्ड में रहते रहे हैं और जिन्होंने फर्म स्थापित की है जिनके राज्य के बाहर मुख्यालय हैं। तथा नागालैण्ड में शाखाएं प्रारम्भ करना चाहते हैं। खोमचे वालों को भी व्यापार अथवा व्यवसाय करने के लिये आवर्तक परमिट दिये जाते हैं।

Welfare Work done by Rajasthan Government for Scheduled Castes/Tribes

2290. Shri Panna Lal Barupal : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the extent of welfare work done or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per orders issued by his Ministry to the Rajasthan Government in respect of upliftment of Harijans during last three years;

(b) whether the funds sanctioned by the Central Government for them are being properly utilised; and

(c) if so, the amount thereof and the items on which the money was spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) A statement showing the scheme-wise allocations made, expenditure incurred and physical targets achieved by the Government of Rajasthan in respect of the schemes for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last three years (1971-72 to 1973-74) is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 8589/74]** The funds sanctioned have been properly utilised.

Supply of Coal for Parichha Thermal Power Scheme in U. P.

2291. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of Energy be pleased to state the year in which Linkage Committee decided to supply coal for the proposed Parichha Thermal Power Scheme near Jhansi (Uttar Pradesh) ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : The project proposals alongwith question of coal linkage for this power station are still under examination.

परमाणु ऊर्जा आयोग में काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या

2292. श्री पी० आर० शिनाय : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु ऊर्जा आयोग में काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी): 1 नवम्बर, 1974 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कुल संख्या 4483 है ।

Facility for Imparting Education to Children of Fazilka in their Mother Tongue

2293. Shri Sher Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any action has so far been taken on the memorandum given to Prime Minister by the Fazilka Tehsil Haryana Sammelan Samiti in which complaint was made against the denial of the facility of imparting education to the children in their mother tounge (Hindi) at primary stage by Punjab Government in accordance with Article 350(A) of the Constitution;

(b) if so, the contents thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) whether the students of this area have the option to have Hindi as the medium of education after primary stage and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) The matter is being considered in consultation with the Government of Punjab.

Shifting of Thermal Power Station proposed to be set up in Kota to Uttar Pradesh

2294. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether the Thermal Power station proposed to be set up in Kota is being shifted to Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad) : (a) No scheme for a thermal station at Kota has been included in the fifth Plan.

(b) Does not arise.

Electrification of Village Dinara, Tehsil Karera in Madhya Pradesh by Rural Electrification Corporation

2295. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of Energy be pleased to state :

(a) whether village Dinara of Karera Tehsil is included in the villages proposed to be electrified by the Government of Madhya Pradesh under the Rural Electrification Programme during the Fifth Plan period; and

(b) if not, the names of the villages in respect of which the Rural Electrification Corporation has decided to accord priority ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

2296. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कुल कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त जिले में क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अब तक राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 155.617 लाख रुपये की ऋण सहायता से ग्राम विद्युतीकरण की तीन स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों की मुख्य मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लिए स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण सहायता (लाख रुपये में)	लाभान्वित होने वाले		
		ग्राम	पम्प सेट	लघु उद्योग
1. भीलवाड़ा जिले में मन्डोले, सहारा और रायपुर	60.50	45	1818	101
2. भीलवाड़ा जिले में कोटरी, जहाजपुर और माडलगढ़	56.14	45	1762	110
3. भीलवाड़ा जिले की सेरवाना तहसील	38.977	59	800	50
कुल	155.617	149	4380	261

कोककर कोयला खानों में उत्पादन

2297. श्री ज्योतिर्मय बसु :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 से वर्ष 1974-75 तक कोककर कोयले का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि या कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोल लि० को अगर कोई हानि हुई है तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोककर कोयला खानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये अगर कोई कार्यवाही की गई या करने का विचार है, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कोककर कोयले का 1971-72 से 1974-75 तक वर्षवार उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टनों में)
1971-72	16.75
1972-73	16.62
1973-74	15.77 (अनन्तिम)
1974-75 (अप्रैल 74 से अगस्त 74 तक)	7.12 (अनन्तिम)

(ख) उपर्युक्त अवधि में उत्पादन कम होने के कारण थे:—राष्ट्रीयकरण के बाद कोककर कोयला खानों को अव्यवस्थित स्थिति, हल्के मानसून के कारण रेत की कमी, वैगन, बिजली तथा विस्फोटकों की कमी ।

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हुई वर्षवार हानि निम्नलिखित है :—

	रुपये
(i) दिसम्बर, 1972 को समाप्त वर्ष	2.57 करोड़
(ii) जनवरी से मार्च, 1973	1.31 करोड़
(iii) 1973-74	10.18 करोड़ (अनन्तिम)

(घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्यों में सुधार हेतु व्यापक अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं।

मध्य प्रदेश में लघु (मिनि) कागज उद्योग

2298. श्री भागीरथ भंवर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश राज्य में लघु (मिनि) कागज उद्योगों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यूनिटों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित होंगे; और

(ग) प्रत्येक यूनिट पर कितनी लागत आयेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना में 'वेज गुड्स स्कीम' को प्राथमिकता

2299. श्री आर०वी० स्वामीनाथन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार वर्ष 1975–76 की वार्षिक योजना में 'वेज गुड्स स्कीम' को प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां । 1975–76 की वार्षिक योजना तैयार करते हुए ऐसी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है जिनसे आम-उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी ।

(ख) ये 1975–76 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे ।

Loss to Central Government Buildings and Central Government Employees due to Bihar Bandh

2300. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Central Government Buildings and Central Government Employees suffered loss in Bihar due to sabotage, arson and other violent activities that took place in the State from 3rd to 5th October, 1974 during Bihar Bandh ;

(b) whether Central Government extended any assistance to compensate the loss suffered by employees; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

बिहार तथा अन्य राज्यों में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के व्यक्तियों को तैनात किया जाना

2301. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1974 से माह-वार बिहार में सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कितने व्यक्ति तैनात किए गए; और

(ख) इस अवधि के दौरान अन्य राज्यों में सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कितने व्यक्ति तैनात किए गए ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) मार्च 1974 से आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए राज्यों में सी०आर०पी० और बी०एस०एफ० की तैनातगी के ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8590/74]।**

उड़ीसा में जल विद्युत परियोजनाओं के जल स्तर के गिरने के कारण बिजली उत्पादन पर प्रभाव

2302. श्री गजाधर मांझी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तीन जलविद्युत परियोजनाओं, हीराकुंड, बालीमेला तथा जलपुर (माचकुंड) से राज्य को बड़ी आशायें थीं, लेकिन उक्त तीन परियोजनाओं के जलाशयों में जल स्तर गिरने के कारण विद्युत जनरेटरों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय म उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जल विद्युत का कम उत्पादन होने के कारण हुई विद्युत की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी निगम प्रणाली से 25 मेगावाट विद्युत तक की सहायता का प्रबंध किया गया है। ताप-विद्युत केन्द्रों से उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के भी प्रयत्न किए जा रहें हैं। चांडिल (बिहार) और जोड़ु (उड़ीसा) में 220 कि०वो० अन्तर्राज्यीय लाइन के चालू हो जाने के बाद उड़ीसा के लिए अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था करना संभव हो सकेगा।

सी० आई० ए० एजेंटों की गतिविधियां

2303. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अप्रैल, 1973 को कलकत्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथाकथित दो सी०आई०ए० एजेंटों तथा अमेरिकन एन्थनी एलन फ्लैचर के मामले में और आगे की गई जांच कार्यवाही का विवरण क्या है;

(ख) क्या इन पर इस बीच अभियोग चलाया गया है तथा इन्हें सजा दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सर्वश्री रिचार्ड विन हार्कास और एन्थोनी एलेन फ्लैचर, दोनों अमरीकी नागरिकों को कलकत्ता बन्दरगाह के पास उनकी सन्देहात्मक गतिविधियों के कारण

26 अप्रैल 1973 को कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच पड़ताल पूरी होने पर इन अभियुक्तों के साथ चार अन्य व्यक्तियों पर चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में 14-3-1974 को सरकारी रहस्य अधिनियम, 1923 के अधीन मुकदमा चलाया गया। अब मामला विचारण के लिए नगर सेसन न्यायालय, कलकत्ता में भेजा गया है और न्यायाधीन है।

नागा जनजाति नेताओं द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 को वापस लेने की मांग

2304. श्री नूरुल हुडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान कोहिमा में हुए 14 संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागा जनजाति नेताओं के सम्मेलन की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने नागालेण्ड में शान्ति की पुनःस्थापना के लिए पूर्व शर्त के रूप में गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 को वापस लेने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भूमिगत नागाओं की पृथकतावादी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने "नागा राष्ट्रीय परिषद" और इसके अधीन अन्य समवर्गी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियों (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन 1 सितम्बर, 1974 से अवैध घोषित कर दिया है। सरकार का विचार है कि भूमिगत नागाओं की राष्ट्र-विरोधी तथा पृथकतावादी गतिविधियों को अनदेखी करके शान्ति बहाल नहीं की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत की राशनिंग का प्रभाव

2305. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन पर विद्युत की राशनिग का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) सरकार पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) वैसे तो विद्युत राशनिंग ने पश्चिम बंगाल में बहुत से उद्योगों, विशेषतया रेलवे वेगन, बनाने वाले, इस्पात की ढलाई करने वाले, ढांचा बनाने वाले तथा अन्य इंजीनियरी उद्योगों पर दुष्प्रभाव डाला है परन्तु इस से सामान्यतया सभी उद्योगों को पूर्वनियोजित रूप में बिजली उपलब्धि में सहायता भी मिली है। बिजली की अधिकतम खपत वाले घंटों में अत्यधिक विद्युत-भार के फलस्वरूप बिजली बन्द हो जाने से उत्पादन में अचानक अवरोध से भी बचा जा सकेगा। डी०वी०सी० सिस्टिम में बिजली की उपलब्धता में सुधार हो जाने से पश्चिम बंगाल, विशेषरूप से कलकत्ता क्षेत्र, की बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है तथा अब अधिकतम क्षमता (सीकिंग कैपेसिटी) का ही विद्युत अभाव है। मौजूदा थर्मल स्टेशनों के विद्युत-उत्पादन को बढ़ा कर, विद्युत-उत्पादन की नई यूनिटों को शीघ्र चालू कर संप्रेषण (ट्रान्समिशन) व वितरण में बिजली की छीजन को कम कर तथा फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को बिजली की व्यवस्था करके बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संथालडीह में हाल ही में चालू की गई 120 मैगावाट की पहली यूनिट के विद्युत उत्पादन में स्थायित्व लाने और कुछ प्रमुख ट्रान्समिशन लाइनों को पूरा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक लाइन संथालडी-हावड़ा लाइन के मार्च 1975 तक पूरा हो जाने की आशा है।

दूसरे देशों में भारतीय इलैक्ट्रोनिक सामान की मांग

2306. श्री एम०वी० कृष्णप्पा : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में भारतीय इलक्ट्रोनिक्स के सामान की बड़ी मांग है और इन सामानों की सप्लाई के लिए बड़े पैमाने पर आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन मदों के बारे में आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु ऐसे मदों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) विश्व बाजार में विभिन्न इलैक्ट्रानिक्स मद्दों की मांग वृद्धि पर है। अर्ध-कण्डक्टर डिवाइसेज, कैपेसिटर्स (प्लास्टिक फिल्म, सिरेमिक, मिका), कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, गेंग कण्डैन्सर्स, स्विच, रेडियो एम्प्लीफायर्स, मापन उपकरण तथा डेटा प्रोसेसिंग उपस्कर के लिए आर्डर प्राप्त किए जा रहे हैं एवं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। 1973–74 में निर्यातों का स्तर लगभग 7.5 करोड़ रुपये रहा तथा 1974–75 में इसके 10 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशा है।

(ग) एवं (घ) बम्बई के निकट सांताक्रूज में सरकार ने अनन्यरूप से इलैक्ट्रोनिक्स मद्दों के निर्यात हेतु एक निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना की है। इस क्षेत्र से निर्यात हाल ही में शुरू कर दिये गए हैं तथा चालू वर्ष में निर्यात मात्रा 1.5 करोड़ रुपये होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, निर्यात आर्डरों के कार्यान्वियन हेतु विशेष सहायता के प्रयोजन से संपूर्ण देश के निर्माणकर्ता यूनिटों को पहचाना जा रहा है।

सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की द्वारा आवास निर्माण

2307. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की के सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिफारिश की है कि सौ वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान का निर्माण तीन सौ बारह सीमेंट की बोरियों और तेरह सौ इक्यानवे किलो इस्पात के स्थान पर एक सौ पिछत्तर बोरी सीमेन्ट और नौ हजार एक सौ किलो इस्पात से किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है, और यदि नहीं, तो इस संबध में सरकार का क्या विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तकनीक को प्रचार में ला दिया गया है। राज्यों के पी०डब्लू०डी०, हाउसिंग बोर्डस, और अन्य निर्माण अभिकरण संस्थान से विवरण प्राप्त कर सकते हैं और जहां संभव हो अपने निर्माण कार्यों में इन्हें अपनाने के लिए विचार कर सकते हैं।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशनों और शिक्षा संस्थाओं के लिए छपाई का कागज प्राप्त करने की योजना

2308. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों और शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में निर्मित छपाई के कागज के 30 प्रतिशत की वसूली करने की सरकारी योजना केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर सरकारी समितियों के बेढंगे कार्यकरण के कारण असफल हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त कागज सुनिश्चित करने के लिए इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) यह योजना केवल लगभग चार महीनों से चल रही है और शैक्षणिक कार्यों के लिए सभी राज्यों को कागज का आवंटन कर दिया गया है। कुछ राज्यों में आवंटियों/उपभोक्ताओं को आवंटित परिमाण में कागज मिल नहीं रहा है। स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और इस समस्या को हल करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में 'बोटेनिकल गार्डन' का सुधार

2309. **श्री एस०एन० सिंह देव**: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के केन्द्र की 'बोटेनिकल गार्डन' के सुधार के संबंध में एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) अब तक योजना के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री टी०ए०पाई) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

वन विकास सम्बन्धी प्रचार

2310. **श्री एस०एन०सिंह देव** : क्या : **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन प्रान्त विकास संबंधी प्रचार के लिए कौन-सा माध्यम प्रयोग किया जाता है ;

(ख) विभिन्न भाषाओं के जिन लघु और माध्यम समाचार साप्ताहिकों को मंत्रालय के प्रकाशन सप्लाई किये जाते हैं उनका भाषावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है और अब तक ग्रामीण समाचारपत्रों में प्रचार करने में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) वन विकास संबंधी प्रचार हेतु जन सम्पर्क के सभी माध्यमों का उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) भारत के अंग्रेजी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के 2500 से ऊपर समाचार-पत्र और पत्रिकायें पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय और उसके 28 प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों से प्रचार सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। उनमें काफी बड़ी संख्या छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं।

Indian Sheep and Goats driven away by Pak Armed Men on Rajasthan Border

2311. Shri Chandu Lal Chandrakar :

Shri D. Deb :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the newspapers report that on the night of 5-6th October, 12 armed Pakistanis took away 1400 sheep and goats from the border area of Rajasthan;

(b) the distance of the place inside the Indian territory from the border where this incident took place and wherefrom these animal were driven to Pakistan;

(c) whether Government of India have made a demand for their return; and

(d) whether Pakistan Government have taken any action against the guilty gersons and have given any assurance to the effect that such incidents would not take place in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (d) According to the information available with the B.S.F. headquarters, 12 Pakistanis including 3 Armed rangers entered about 400 yards inside the Indian territory in Rajasthan Sector on October 5, 1974 and took away 916 sheep, donkeys and goats. The BSF were able to arrange the return of the animals to their rightful owners. An assurance has been given by local Pakistan authorities that such incidents would not occur in future.

दार्जिलिंग जाने के लिए विदेशियों को अनुमति पत्र देना

2312. **श्री समर गुह**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशियों को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र देखने की अनुमति देने के बारे में कोई नई नीति अपनाई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कलकत्ता के समाचार-पत्रों ने इस कार्यवाही की आलोचना की है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दार्जिलिंग क्षेत्र में आने वाले विदेशी पर्यटकों को उसी प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं जिस प्रकार उन्हें काशमीर में दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो दार्जिलिंग तथा काशमीर में आने वाले पर्यटकों के बारे में विभिन्न नीति अपनाने में क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) विदेशियों के लिए (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अधीन विदेशी पर्यटकों को बिना परमिट दार्जिलिंग शहर की यात्रा करने तथा 15 दिन तक वहां ठहरने की अनुमति देने का अगस्त, 1974 में निर्णय किया गया था बशर्ते कि वे दार्जिलिंग आने जाने की यात्रा बागडोगरा हो कर वायुयान से करें।

(ख) एक रिपोर्ट देखी गई है। चूंकि अगस्त, 1974 में ही छूट दी गई थी इसलिए पर्यटन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) दार्जिलिंग का क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और विदेशियों को वहां जाने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता होती है। जम्मू व काश्मीर के कुछ क्षेत्रों में विदेशियों के जाने पर भी प्रतिबंध है। यह प्रश्न कि क्या प्रतिबंध आवश्यक है अथवा नहीं, यदि हैं तो वे कैसे होने चाहिए, सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता है।

तेल की खोज के लिए खुदाई उपकरणों का निर्माण

2313. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए देश में खुदाई उपकरणों का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस हेतु कितनी राशि का नियतन किया गया ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०सी०जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न वस्तुयें जिनसे खुदाई रिगों का निर्माण होता है, सरकारी क्षेत्र के किसी न किसी विद्यमान निर्माण एकक द्वारा जहां निर्माण सुविधायें पहले ही उपलब्ध हैं, निर्मित की जायेंगी। उदाहरणार्थ, रिगों के लिए पावर पैकों का निर्माण भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जायेगा और मड पम्पों का निर्माण भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड द्वारा किया जायेगा क्योंकि ये वस्तुयें उनके निर्माण-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ग्राहक को रिगों का सम्भरण करने से पूर्व विभिन्न वस्तुओं के डिजाइन बनाने और उत्पादन का समन्वय करने और रिगों को जोड़ने तथा परीक्षण करने का दायित्व भी लेगा। परियोजना में कोई भारी पूंजी विनियोजन नहीं होगा।

(ग) डिजाइन तथा समन्वय समूह और पुर्जे जोड़ने तथा परीक्षण करने के लिए भूमि और भवनों के अलावा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अतिरिक्त सुविधायें और विशेष प्रकार के औजार तथा उपकरण भी लगाने होंगे जो केवल मामूली होंगे। इस प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

तीसरे देशों में भारत हंगरी परियोजना

2314. **श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी ने तीसरे देशों में संयुक्त रूप से परियोजनायें आरम्भ करने हेतु समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख) सहमत कार्य वृत में जो नई दिल्ली में 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1974 तक हुई आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिये भारत-हंगरी संयुक्त आयोग की पहली बैठक की समाप्ति पर हुए संलेख का एक हिस्सा है, दो क्षेत्रों का पता लगाया गया था जहां तीसरे देशों में हंगरी तथा भारत के बीच संयुक्त रूप से भाग लेने की सम्भावनायें थीं :—

(1) तीसरे देशों की संचार उपकरणों का संभरण करने के लिए हंगरी और भारत द्वारा संयुक्त रूप से निविदा देने की संभावना विद्यमान थी।

(2) भारत द्वारा हंगरी के सहयोग से बिना जोड़ की ट्यूबों के निर्माण हेतु क्षमता स्थापित करने की अवस्था में बिना जोड़ वाली ट्यूबों की अपनी स्वयं और तीसरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हंगरी इस प्रकार स्थापित क्षमता पर विचार करने को सहमत हो गया है।

शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को अपने अधिकार में लेना

2315. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की जहाजों की मरम्मत करने वाली और बजरे बनाने वाली फर्म, शालीमार वर्क्स लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) और (ख) अधिग्रहण करने का ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को राजसहायता सम्बन्धी रियायत प्रदान करना

2316. **श्री एस०एन० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के सभी पर्वतीय जिलों को राज-सहायता संबंधी रियायत दी जाये जैसा कि अल्मोड़ा जिले को विकास के लिए दी गई है; और

(ख) क्या इस अनुरोध पर विचार किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र में रूसी डिजाइन की मोटर के स्थान पर डी०सी० मिल मोटर का निर्माण

2317. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने भिलाई इस्पात संयंत्र में रूसी डिजाइन की मोटर के स्थान पर डी०सी०मिल मोटर बनाने का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर बनाये जाने वाली मोटर की क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस प्रकार की मीटरें कब तक बनाई जायेंगी तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात को कोयले की सप्लाई

2318. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कोयले की भारी कमी है, जिसके परि णामस्वरूप वहां अधिकांश कारखानें बंद हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) कोयले की कमी के कारण गुजरात राज्य में किसी मिल के बन्द होने की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। कोयला उत्पादक संगठनों द्वारा कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा रेलवे द्वारा राज्य में विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई को बढ़ाने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए राजस्थान से आवेदन पत्र

2319. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न उद्योगों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए नवम्बर, 1974 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों को निपटाया जा चुका है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य से औद्योगिक लाइसेन्स के लिए 1974 की अवधि में 15 नवम्बर, 1974 तक प्राप्त और निर्णीत आवेदनों की संख्या क्रमशः 177 और 106 है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए गोवा से आवेदन पत्र

2320. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के विभिन्न उद्योगों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये नवम्बर, 1974 तक कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय किया जा चुका है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) गोवा से औद्योगिक लाइसेंस के लिये 1974 की अवधि में 15 नवम्बर, 1974 तक प्राप्त और निर्णीत आवेदनों की संख्या क्रमशः 27 और 17 है।

बिहार में नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग

2321. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **ऊर्जा** मंत्री बिहार के नलकूपों और ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परन्तु खर्च न की गई धनराशि का उपयोग के बारे में 14 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा बिहार को ग्राम्य विद्युतीकरण के लिए दिया गया कुल धन अप्रयुक्त पड़ा था परन्तु जिसे पूरे के पूरे को अन्य कार्यों में लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें 5 वर्षों तक की अवधि में पूर्ण की जाने के लिए चरण-बद्ध की जाती हैं। ऋण की राशि स्कीमों के वर्ष-वार चरण-बद्ध कार्यक्रम तथा उनकी वास्तविक प्रगति के अनुसार किस्तों में वितरित की जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा ऋण की राशि के वितरण और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इसके पूर्ण समुपयोजन के बीच समय का कुछ अन्तर रहता है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 30–6–1974 तक, उन्हें 31–3–1973 तक वितरित की गई राशि के 45 प्रतिशत का समुपयोजन किया था। बोर्ड ने किसी और काम के लिए पहले ही प्राप्त की गई राशि खर्च नहीं की है।

कम समुपयोजन होने के मुख्य कारण संगठनात्मक त्रुटियां और खम्भों, कंडक्टरों, ट्रांसफ़ार्मरों, इस्पात सेक्शनों आदि जैसी कुछ आवश्यक निर्माण सामग्रियों की कम सप्लाई रही है।

निगम ने इस बात को सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं कि बिजली बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का निर्धारित ढंग से समुपयोजन कर लिया जाए जबकि और ऋण सहायता स्वीकृत करते समय, निगम पूर्व-स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति और बोर्ड द्वारा इस संबंध में की गई उचित व्यवस्था को भी ध्यान में रख रहा है। ऋण-राशि की पहली किस्त भी 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड अपने ग्राम विद्युतीकरण स्कंध को सुदृढ़ बनाने पर सहमत हो गया है और उसने यह विश्वास दिलाया है कि ग्राम विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित सामग्री समय पर प्राप्त कर ली जाएगी। इससे इस वर्ष के दौरान धनराशि के समुपयोजन में सुधार होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना

2322. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में दो कागज कारखाने स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कागज के दो संयंत्र लगाने के संबंध में केन्द्र को अनेक वैकल्पिक सुझाव भेजे हैं। इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा साधनों की उपलब्धता और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन की संभावनाओ को देखते हुए इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

स्विटजरलैण्ड के सहयोग से घड़ियों के कारखाने की स्थापना करना

2323. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस घड़ी निर्माताओं के फेडरेशन के साथ देश में घड़ियों के कारखाने की स्थापना करने के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में नए टेलीफोन कनैक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

2324. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1973 के बाद दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं और यह मांग पूर्ण रूपेण कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : दिल्ली में अप्रैल, 1973 से नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :—

अपना टेलीफोन योजना	15550
सामान्य	12417
विशेष	4243

देश में एक्सचेंज उपस्कर और भूमिगत केबुलों की आम कमी है। नए टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता तथा भूमिगत केबुलों की व्यवस्था करने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। इस बात के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उपलब्ध सीमित साधनों से यथा संभव अधिक से अधिक टेलीफोनों की मांगे पूरी की जायें। चालू पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान दिल्ली में करीब 77,000 नए कनैक्शन देने का प्रस्ताव है।

1/Lok Sabha/75—11

जासूसी तथा तोड़ फोड़ की गतिविधियों के लिए गिरफ्तारियां

2325. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जासूसी तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए अप्रैल से अक्तूबर, 1974 के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ख) इस संबंध में पाकिस्तान के कितने व्यक्ति पकड़े गए ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जबकि आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सरकारों और अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, लक्षदीप और पांडिचरी संघ राज्य क्षत्रों द्वारा ऐसी गिरफ्तारियां करने की कोई सूचना नहीं है। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

तस्करी के घोटालों में सीमासुरक्षा दल के कर्मचारियों की सांठगांठ होना

2326. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान तस्करी घोटाले में अन्तर्ग्रस्त सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सरकार ने गिरफ्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) बंगला देश को कुछ माल की तस्करी में सहायता करने में तथाकथित अन्तर्ग्रस्त होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के दो कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों की गिरफ्तारियां

2327. **श्री प्रबोद चन्द्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं के कितने जमाखोरों को अब तक राज्यवार गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : कुछ राज्यों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। शेष राज्यों असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली तथा गोवा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रखी जाएगी।

विवरण

7-5-1971 से 31-10-1974 तक की अवधि के दौरान राज्यवार आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए अनिवार्य वस्तुओं के जमाखोरों की संख्या का विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	85
2. बिहार	40
3. हरियाणा	3
4. कर्नाटक	17
5. मध्य प्रदेश	77
6. तमिलनाडु	14

हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, राज्यों तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोराम तथा पांडिचेरी के संबंध में सूचना शून्य है।

मोटर वाहनों के मूल्यों पर नियंत्रण समाप्त करना

2328. श्री प्रबोध चन्द्र :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारों और स्कूटरों पर मूल्य-नियंत्रण को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) कारों पर से कानूनी मूल्य नियंत्रण और स्कूटरों पर से अनौपचारिक मूल्य विनियमन समाप्त करने अथवा उनके लागू करने की कार्यपद्धति में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोका कोला की बोतल भरने वाले संयंत्र

2330. श्री शशि भूषण : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोका कोला की बोतलें भरने वाले कुल संयंत्रों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या लघु क्षेत्र में कोका कोला की बोतल भरने वाले और अधिक संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा उनकी स्थापना कहां की जाएगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी पी० मौर्य) : (क) देश में कोका कोला की बोतल भरने वाले संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) लघु क्षेत्र में कोका कोला की बोतल भरने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में कोका कोला बोतल में भरने वाले एककों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

राज्य		एककों की संख्या		
महाराष्ट्र		3		
उत्तर प्रदेश		3		
तमिलनाडु		2		
गुजरात		2		
पश्चिम बंगाल		1		
आंध्र प्रदेश		1		
उड़ीसा		1		
बिहार		2 (एक अभी चालू नहीं हुआ है)।		
राजस्थान		1		
मध्य प्रदेश		1		
कर्नाटक		1		
आसाम		1		
संघशासित क्षेत्र		3	नई दिल्ली	1
			चण्डीगढ़	1
			गोआ	1
	योग	22		3

गोश्रा में जिला योजनाओं की क्रियान्विति

2331. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में जिला योजनाओं की क्रियान्विति की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : गोआ में जिला योजनायें बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है ।

गोश्रा में छोटे पैमाने के उद्योग

2332. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में गत तीन वर्षों के दौरान छोटे पैमाने के कितने उद्योग रजिस्टर हुए ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : संघ शासित प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार गोआ में पिछले तीन वर्षों में पंजीयित लघु उद्योग की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पंजीयित एककों की संख्या
31-12-71 को	816
31-12-72 को	997
31-12-73 को	1,200

गोश्रा में उद्योगों पर कोयला, ईंधन आदि की कमी का प्रभाव

2333. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, ईंधन, तेल, रेल या डिब्बों की कमी और कच्चे माल तथा तैयार माल की अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं का गोआ में विभिन्न उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में केवल 8-10 गोआ स्थित औद्योगिक एककों के नाम हैं । इनमें से किसी एकक से कोयला, ईंधन, तेल, रेल डिब्बों की कमी तथा परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उत्पादन में कमी होने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

विभिन्न भाषाओं में फिल्मों के लिए चलचित्र वित्त निगम द्वारा मंजूर की गई राशि

2334. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भाषाओं में विभिन्न फिल्मों के लिए वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में और सितम्बर, 1974 तक चलचित्र वित्त निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) उन फिल्मों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए; और

(ग) उन अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का ब्यौरा क्या है, जो इस वर्ष चलचित्र वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त किये बिना ही वैयक्तिक पार्टियों द्वारा बनाई गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है ।

(ख) फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों की संख्या. . . . 27

फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों की संख्या. 9

(ग) वर्ष 1974 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र फीचर फिल्म '27 डाउन' है । तथापि, यह फिल्म फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित है । 1974 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली लघु फिल्मों का व्यौरा 20 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर में लोक सभा में पहले ही दिया जा चुका है । इनमें से कोई भी फिल्म फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित नहीं है ।

विवरण

वर्ष	भाषा	फिल्मों की संख्या	मंजूर की गई कुल राशि
			(रुपए)
1971–72	हिन्दी	8	11,81,000
	तमिल	1	1,50,000
	गुजराती	3	1,75,000
	मराठी	1	20,000
	उड़िया	1	1,50,000
	अंग्रेजी	1	17,000
	कुल :	15	16,93,000
1972–73	हिन्दी	9	11,33,427
	बंगला	3	4,60,500
	मलयालम	3	2,23,782
	गुजराती	2	75,500
	अंग्रेजी	2	30,500
	कुल :	19	19,23,709
1973–74	हिन्दी	9	5,33,300
	बंगला	3	4,76,000
	तमिल	1	1,50,000
	पंजाबी	1	2,50,000
	अंग्रेजी	2	1,39,620
	कुल :	16	15,48,928
1974–75 (30 सितंबर, 1974 तक)	हिन्दी	1	6,200
	बंगला	2	2,75,000
	गुजराती	1	2,00,000
	कन्नड़	1	1,50,000
	मलयालम	1	1,50,000
	अंग्रेजी	2	1,27,500
	कुल :	8	9,08,700

केरल में सिगरेट परियोजना में स्वदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग

2335. **श्री वयालार रवि** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से अपनी प्रस्तावित सिगरेट परियोजना के लिए केवल स्वदेशी तकनीकी जानकारी का उपयोग करने के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तकनीकी जानकारी के लिए भारतीय निर्माता बहुत ज्यादा शुल्क की मांग कर रहे है; और

(ग) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सस्ता विदेशी सहयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है, और यदि हां, तो इस अनुरोध के प्रति सरकार की क्या प्रतक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पूरी तरह से देशी जानकारी से सिगरेट का उत्पादन करने हेतु एक नया एकक स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र दिया था। तदानुसार एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

(ख) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सरकार को बताया कि एक भारतीय सिगरेट निर्माता ने तकनीकी जानकारी देने के लिए अव्यावहारिक शर्तें प्रस्तुत की हैं।

(ग) भारत सरकार ने केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को अन्य भारतीय सिगरेट निर्माता के साथ सहयोग की संभावना का पता लगाने की सलाह दी है। तथा के०रा०औ० विकास निगम अन्य भारतीय सिगरेट निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इसमें सफलता न मिलने पर अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

इड्डिकी परियोजना के लिए केरल द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

2336. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने इड्डिकी परियोजना के तीसरे चरण के लिए वित्तीय संस्थानों से आवश्यक वित्त की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, जिससे उसका कार्य जल्दी शुरू किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इड्डिकी परियोजन के तीसरे चरण के लिए केरल सरकार ने नवम्बर, 1972 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें, इस समय निर्माणाधीन इड्डिकी परियोजना से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 4200 लाख एकक ऊर्जा उत्पादन की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों से इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए खास रूप से अनुरोध नहीं किया है। तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति मिलने पर, इस परियोजना को धन उपलब्ध करने पर विचार किया जायेगा।

केरल में परियोजनायें स्थापित करने में केन्द्रीय सरकार के कारण विलम्ब

2337. **श्री वयालार रवि** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि सिगरेट नायलान, सोडा एश जैसी कुछ उन औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में केन्द्रीय सरकार द्वारा कागजातों पर मंजूरी देने में विलम्ब के कारण कठिनाई आ रही है, जिन के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हे और इस बारे में द्रुत गति से कार्य करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित परियोजनाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

सिगरेट परियोजना :— केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से विदेशी सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले देशी सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय कम्पनियों से पहल करने को कहा गया है।

नाइलौन परियोजना:—एक समिति द्वारा देशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को आंका जा रहा है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

सोडा ऐश परियोजना:—केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम परियोजना के लिए अपेक्षित अमोनिया सप्लाई करने का स्रोत निश्चित नहीं कर सका है। फर्टिलाइजर और कैमिकल ट्रावनकोर लि० और कोल राज्य औद्योगिक विकास निगम के बीच अब यह समझौता हुआ है कि सोडा एश परियोजना को केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम की बजाय एफ०ए० सी०टी०लि० लेगा और कास्टिक सोडा परियोजना को एफ०ए०सी०टी० लि० की बजाय केरल राज्य-औद्योगिक विकास निगम लेगा। इस सम्बन्ध में संशोधित प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

हमीरपुर जिले के कांगू स्थान पर सी० ओ० की स्थापना

2338. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कांगू में मंजूरशुदा सी०ओ० की स्थापना कर दी गई है तथा उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां तो यह किस तिथि को चालू हुआ था; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सम्भवतः किस तिथि तक कार्य करना अरम्भ कर देगा तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) यह सी०ओ० 16–11–1974 को चालू किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमृतसर के निकट तरन-तारन में बाथ गांव में हरिजन कृषि श्रमिकों की हत्या

2339. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर के निकट तरन-तारन में बाथ गांव में 12 सितम्बर, 1974 को जमींदारों और उनके गुण्डों ने तीन हरिजन कृषि श्रमिकों की गोली मार कर हत्या कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की नृशंस हत्याएं करने के लिए इन जमींदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और कृषि श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क)से (ग) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गांव बाथ के प्यारा सिंह मजहबी नामक एक व्यक्ति और उसके भतीजे ज्ञान सिंह जो स्थानीय सरपंच श्री अमरजीत सिंह का नौकर था, के बीच मकान की सम्पत्ति पर विवाद था। आरोप है कि 12 सितम्बर, 1974 को राइफल, बन्दूक, पिस्तौल आदि से लैस अमरजीत सिंह और कुछ अन्य व्यक्ति मजहबी बस्ती में आए और गोली चलाने लगे। तीन व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गए और 15/20 व्यक्तियों को चोटें आई। घायलों में से एक व्यक्ति वी०जे० अस्पताल, अमृतसर में मर गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/148/149/201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन 12 सितम्बर, 1974 को थाना सदर तरन-तारन में एक मामला दर्ज किया गया। सभी अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आरोप पत्र शीघ्र फाइल किया जाना है। हरिजनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए गांव बाथ में एक पुलिस बल नियुक्त कर दिया गया है।

पंजाब में बिजली सप्लाई की नई योजना

2340. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा लुधियाना में बिजली सप्लाई की नई योजना के बारे में कहे गए वक्तव्य के अनुसरण में अग्रेतर कार्यवाही के रूप में हाल ही में उत्तरी गेहूं क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बिजली संबंधी योजना को मुद्रा स्तर पर पूरा करने हेतु उचित तथा नियमित रूप से बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस वर्ष हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्षा के अभाव के कारण धान की खरीफ फसल को गम्भीर संकट पैदा हो गया था। इस संदर्भ में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विद्युत प्रदाय की स्थिति और कृषि-संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं का गंभीरता पूर्वक पुनरवलोकन किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली में बदरपुर ताप-विद्युत केन्द्र से उपलब्ध समस्त विद्युत केवल इन तीनों राज्यों को सप्लाई की जाए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में विद्युत की खपत घटाने और इस प्रकार बचाई गई विद्युत को इन राज्यों को सप्लाई करने के लिए भी उपाय किए गए थे।

औद्योगिक एककों में अनधिकृत क्षमता को नियमित करना

2341. श्री महेन्द्र सिंह गिल :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों में अनधिकृत क्षमता को नियमित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों के बारे में ऐसा निर्णय किया गया है तथा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) लाइसेंस-प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन करने के मामले समय समय पर सरकार के सामने आये हैं। पहल, लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के 45 मामले औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने सरकार को बताए थे जिन्हें लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए सरकार कमीशन को भेज दिया था। कमीशन इस प्रकार की अनियमितताओं और कमियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय भी बताएगा। सरकार ने अनधिकृत क्षमता के सभी मामलों को नियमित करने संबंधी में निर्णय नहीं लिया है।

मध्य उत्तर प्रदेश में शस्त्रास्त्र कारखाने का पता लगाया जाना

2342. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य उत्तर प्रदेश में किसी डाकू की औरत द्वारा संचालित शस्त्रास्त्र कारखाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो वहां से कितनी संख्या में शस्त्रास्त्र जबत किये गये हैं तथा वे किस किस्म के हैं; और

(ग) यह शस्त्रास्त्र कारखाना कब से इतने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Posting of programme executives ASD/SD at Delhi Station of AIR

2343. Shri Rajdeo Singh : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether normally the programme Executives, Assistant Station Directors and Station Directors are posted for two years to difficult stations of the AIR and for five years to other stations;

(b) if so, the number of persons of the above categories in Delhi who are in Delhi for more than five years; and

(c) the reasons for not transferring them from Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) 28.

(c) There is no fix tanure. Personnel is retained or transferred to meet the exigencies of service.

Openinig of P.C.Os in Towns and Villages of Durg District, M.P.

2345. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Communications** be pleased state :

(a) the number of towns and villages in district Durg of Madhya Pradesh which have public call offices and the number of the places for which a demand has been made for opening public call offices; and

(b) the steps taken so far to meet the demand?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) There are four places in District Durg of Madhya Pradesh which have Public Call Offices.

Demand for opening public call offices at six more places has been received.

(b) P. C. Os at two places have been sanctioned. The proposals for the remaining four places were found unremunerative and were dropped.

नागपुर, अकोला और बुल्डाना जिले के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी देना

2346. **श्री वसन्त साठे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, बुल्डाना जिले के ऐसे कितने स्वाधीनता सेनानी हैं जिनको पेंशन दिये जाने के मामलों पर अगस्त, 1974 और उसके पश्चात विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई/रद्द किये गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जिन स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी दी गई है, उनके नाम का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरणों (अनुलग्नक I व II) में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8591/74]**

पांचवीं योजना का पुनरीक्षण

2347. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तथा संसाधनों की स्थिरता को देखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को और अधिक लोचशील बनाने हेतु उसका प्रारूप पुनः तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां तो अन्तिम प्रारूप कब तक उपलब्ध होगा तथा उस पर क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में तालमेल लाने के लिये योजना आयोग कुछ अभ्यास कर रहा है। इन अभ्यासों को पूरा होने में कुछ समय लगेगा। बहरहाल इन अभ्यासों को शीघ्र पूरा करने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जायेंगे।

दिल्ली यातायात पुलिस में कथित भ्रष्टाचार

2348. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1/Lok Sabha/75—12

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली यातायात पुलिस में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यातायात पुलिस की कार्यकुशलता तथा निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिये फिलहाल सुव्यवस्थित उपाय किए हैं। यातायात पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के लिये किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) अराजपत्रित यातायात पुलिस कर्मचारियों को उनके सर्किलों तथा क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिये बार बार स्थानान्तारित किया जाता है कि वे किसी एक स्थान पर अधिक अवधि तक रहने से निहित स्वार्थ सिद्ध न कर सकें ।

(2) यातायात पुलिस के मातहत पुलिस अधिकारियों की कार्यावधि निश्चित की जाती है और उनको सामान्यतः यातायात पुलिस से हर तीन वर्ष बाद स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यातायात शाखा में तैनात करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल अच्छे सेवा रिकार्ड वाले कर्मचारी यातायात शाखा में नियुक्त किये जायें, उनके सेवा रिकार्ड की उचित रूप से जांच की जाती है ।

(3) यातायात विनियमों तथा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की जांच तीन विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की जाती है अर्थात (1) स्थानीय सर्किल व क्षेत्रीय कर्मचारी (2) प्रवर्तन कर्मचारी और (3) पुलिस अधीक्षक यातायात के आदेशों के अधीन यातायात रिजर्व में से भिन्न भिन्न दो जीपों में विशिष्ट गश्तीकर्मचारी भेजे जाते हैं ।

(4) प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की देख रेख में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अचानक जांच की जाती है ।

(5) पुलिस महानिरीक्षक/यातायात पुलिस अधीक्षक ट्रांसपोर्टरों की एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों तथा सड़कों का प्रयोग करने वालों की अन्य प्रतिनिधि निकायों से अक्सर मिलते हैं और उनकी शिकायतों का पता लगाने का प्रयास करते हैं ।

(6) भ्रष्टाचार कम करने की दृष्टि से हेडकान्सटेबलों/कान्सटेबलों द्वारा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की सामान्य जांच बिल्कुल बन्द कर दी गई है यद्यपि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ये शक्तियां उनको दी गई हैं ।

(7) समय समय पर विशेष जांच अभियान आयोजित किए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों, जो विशिष्ट प्रकार के नम्बर प्लेट लगाते हुए पाये जाते हैं, के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 5.55/112 के अधीन चलान किया जाता है ।

(8) दिल्ली पुलिस की यातायात शाखा के सहायक सब इन्सपेक्टर तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी के समय अपना फोटो तथा नाम सीने की बांयी जेब के ऊपर लगाने पड़ते हैं। इससे सड़क का प्रयोग करने वाले शिकायत कर्ताओं को गलती करने वाले अधिकारी के नाम से शिकायत करने की सुविधा होती है ।

सीमेंट का उत्पादन

2349. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है;

(ख) उपलब्ध क्षमता में से कितनी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है और वर्ष 1975 के लिए तैयार किये गये उत्पादन सम्बन्धी प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अगले वर्ष के दौरान गृह निर्माण के लिये नियत धनराशि में वृद्धि की जाएगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) सीमेंट उद्योग की विद्यमान क्षमता 198.60 लाख मी० टन है जिससे सामान्यता, क्षमता के 85 प्रतिशत उपयोग के आधार पर, लगभग 168.00 लाख मी० टन उत्पादन किया जा सकता है। परन्तु बिजली की कटौतियों, कोयला और वैगनों की अप्रर्याप्त उपलब्धि, यांत्रिक रुकावटों आदि के कारण उत्पादन में हुई हानि के फलस्वरूप 1973 में वास्तविक उत्पादन 149.90 लाख मी० टन रहा। इन्हीं कारणों से, 1974 के प्रथम 10 महीनों में उत्पादन 115.30 लाख मी० टन रहा है। अन्य कारणों से क्षमता का उपयोग न होने की अपेक्षा ऊपर बताई गई रुकावटों के कारण उत्पादन में अधिक कमी हुई है। 1975 में लगभग 170 लाख मी० टन उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) उपलब्ध सीमेंट का समान रूप से वितरण करने के लिये, प्रत्येक राज्य के लिये कोटे नियत किये गये हैं। गृह निर्माण के कार्यों के लिए सीमेंट की आवश्यकता राज्य के कोटे के अन्तर्गत आती है। गृह निर्माण के कार्यों के लिये सीमेंट के आबंटन का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा उनको प्राप्त कुल कोटे में से किया जाता है।

वर्ष 1974 के दौरान जम्मू और काश्मीर में गिरफ़्तार पाकिस्तानी जासूसों की संख्या

2350. श्री विश्वनाथ झुझुनवाला :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान काश्मीर तथा अन्य स्थानों पर गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूसों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो राज्यवार इसके आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या इसके द्वारा भारत के लोगों से सहयोग लेने की घटनाओं में वृद्धि होने के परिमाण मिले हैं और यदि हां तो इस अवधि में ऐसे कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनमें से कितने व्यक्ति सरकारी सेवा में हैं तथा कितने व्यक्ति प्रतिरक्षा सेवाओं में हैं ?

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

चलचित्र उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों पर औद्योगिक कानून लागू करना

2351. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र निर्माण को देश में एक उद्योग माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चलचित्र उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों पर औद्योगिक कानून लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ग) क्या इस विषय को औद्योगिक विकास मन्त्रालय को अन्तरित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ फिल्म उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों पर औद्योगिक कानूनों को लागू करने के प्रश्न को शामिल करते हुए एक व्यापक कानून विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उटता।

दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जा रही बिजली की दर में वृद्धि

2352. श्री विश्वनाथ झुझुनवाला : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने औद्योगिक प्रयोजनों के लिये सप्लाई की जा रही बिजली की दरें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि से मूल्यों में कितनी वृद्धि होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) टैरिफ में, जोकि 1971 से लागू हुआ था, लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ग) बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण औद्योगिक उत्पादन की लागत में होने वाली वृद्धि थोड़ी ही होगी ।

Facilities to persons engaged in Cottage Industries

2353. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) the nature of facilities given and the manner in which those are given to the people engaged in cottage industries in the remote rural areas during the last three years; and

(b) the other facilities proposed to be given during the next three years.

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b) The development of Small and Village industries is primarily the concern of the respective State Governments. Mostly, schemes for their development are drawn up and implemented by them, with necessary financial, technical and other types of assistance through their Plan and Non-Plan schemes. In addition, the Khadi and Village Industries Commission encourages the artisans engaged in cottage industries, coming within its purview, to organise into cooperatives and institutions and extends financial assistance to them in the shape of share capital, capital formation loans, grants and loans for improved tools and equipment, construction of godowns, working capital facilities for raw materials, production, processing, marketing etc., managerial assistance, liberal interest rates and other concessions, training in improved tools and techniques of production.

Besides, under the centrally-sponsored Scheme of Rural Industries Projects Programme which covers all districts (excluding towns with more than 15,000 population), facilities provided to people engaged in cottage and small scale industries include development of skill of the existing artisans and new entrants to industry through training on use of improved tools and equipment and application of improved techniques to increase their productive capacity, provision of common facility services to group of artisans and small industrial units, wherever necessary, subsidy on tools and equipment purchased by artisans, subsidy on power wherever necessary and intensive extension services including guidance and assistance relating to technical and economic problems and credit facilities.

The facilities listed above are proposed to be continued in the coming years also.

Special Scheme to raise the standard of living of people living below Poverty Line

2354. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any special scheme has been formulated by Government for raising the standard of living of the people living below poverty level; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The problem of poverty in the country is big and complex and can only be tackled through sustained development of the economy over a period of time. The development strategy adopted for the Fifth Plan has the removal of poverty as one of its basic objectives. The rate and pattern of development in the Fifth Plan period are so conceived as to facilitate the speedy removal of poverty. The whole planning effort, thus, may be regarded as geared to the realisation of this objective. One of the principal instruments of economic policy to be deployed for the purpose is the creation of additional employment opportunities on as a wide a scale as possible.

It is, however, appreciated that there are pockets of poverty which need immediate relief. It is with a view to relieving distress experienced by certain sections and areas in

which poverty is concentrated that a number of special schemes were initiated in the Fourth Plan and have been carried forward and strengthened or integrated with more broad based programmes in the Fifth Plan. These include schemes for drought prone areas, schemes for development of animal husbandry and fishery, schemes for sericulture and schemes for small and marginal farmers which would help in substantially increasing the income levels of 26 million house-holds in rural areas. The Fifth Plan makes a provision of an outlay of Rs. 200 crores for the schemes for small farmers, marginal farmers and agricultural labour. In addition, special provision for the benefit of small and marginal farmers will be built into the programmes for drought prone areas and command area development schemes. The backward classes comprise more than one-fifth of the population living below the poverty line. The major programmes for the development of backward classes in the Fifth Plan consist of post-matric scholarships, hostel facilities for girls, coaching-cum-guidance centres and pre-examintaion centres in the Central sector which will provide tribal youths with better employment opportunities. In the state sector besides incentives in terms of free-ships, book grants, scholarships and stipends, hostel-facilities, etc., programmes for the development of agriculture, animal husbandry, horticulture, small scale industries and vocational training will be undertaken with a view to diversifying the occupations and increasing the incomes of the backward classes. The tribal development projects included in the plan will benefit the poor tribals in the project areas. There is an outlay of Rs. 10 crores for these projects.

While employment or additional employment is certainly the most effective and direct method of ensuring incomes, it must be realised that, by itself, it may not guarantee a minimum level of consumption. It is with a view to ensuring such a minimum level of consumption in terms of education, health, nutrition, drinking water, rural roads etc., that the Fifth Plan provides for the National Programme for Minimum Needs with an outlay of Rs. 2800 crores.

Production in Small Scale Industries

2355. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the percentage of production of the small scale industries to the total industrial production in the country ; and

(b) the nature of assistance given and the manner in which it is given to the persons engaged in small scale industries in the industrial units where large scale and small scale industries function simultaneously?

The Minister of State in the Ministry of Indnstry and Civil Supplies (Shri A. P. Sharma):

(a) According to the annual survey of industries 1968, contribution of small scale units registered as factories (relating to industries under the purview of Small Scale Industries Board) to the total production of registered factories was of the order of 32.2%.

(b) Following are some of the important types of assistance given to small scale units in industries in which both large and small scale units are engaged :—

(*i*) No licence is required by small scale industrialists to set up a unit.

(*ii*) Government have reserved 177 industries for exclusive development in the small scale sector. No further large scale units can be set up for these industries.

(*iii*) 15% price preference is given to the goods manufactured by small scale units under the Government Stores Purchase Programme vis-a-vis similar products manufactured by the large scale units.

(*iv*) Excise relief up to a specific value is also given to certain products in the small scale sector to enable them to compete with the products of the large scale sector.

(*v*) Certain industries in the large scale sector have to fulfil a minimum export obligation while this does not apply to the units in the small scale sector in those industries.

(*vi*) The small scale exporting units have been given preferential treatment in respect of financing of their import licences.

(*vii*) Certain special facilities are given to the small scale units located in the Rural Industries Project Areas in respect of loans and raw materials. Such units are being given loans at a concessionaly rate.

नरेला, दिल्ली के निकट औचन्दी गांव में भूमि सम्बन्धी झगड़ा

2356. **श्री सरजू पांडे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नरेला के निकट औचन्दी गांव में भूमि सम्बन्धी झगड़े के फलस्वरूप 29 सितम्बर, 1974 को एक व्यक्ति मारा गया था तथा 13 अन्य घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान । एक व्यक्ति मारा गया था और 21 व्यक्ति घायल हुए थे न कि 13 ।

(ख) यह घटना औचन्डी गांव में भूमि के एक प्लाट (बाग ब्रह्मानन) पर दो दलों के बीच एक विवाद के कारण हुई थी। भारतीय दण्ड संहिता को धारा 147/148/149/307/323 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 202 दिनांक 29-9-74 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/302/307/324/325 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 203 दिनांक 29-9-74, दो मामले थाना नरेला में दर्ज किये गये थे। पहले मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 202 में रमेशचन्द्र पुत्र अभयराम ब्राह्मण ने रिपोर्ट की थी कि अन्य व्यक्तियों के साथ जब वह बाग में था तो लाठियों से लैस याद राम कुछ व्यक्तियों के साथ वहां आया और उनसे बाग खाली करने को कहा। उनके मना करने पर उन्होंने लाठियों व जेलियों से आक्रमण कर दिया। 9 व्यक्ति जख्मी हुए। 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

दूसरे मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट नं० 203 में चांद पुत्र श्री हुक्मी ने रिपोर्ट की थी कि लाठियों और जेलियों से लैस मोहिन्दी पुत्र शीशू कुछ व्यक्तियों के साथ बाग में आया जहां वह (चान्द) अन्य संबंधियों के साथ था। मोहिन्द्र और अन्य व्यक्तियों ने उनसे कहा कि वे बाग खाली कर दें अन्यथा उन की हत्या कर दी जायेगी। उनके मना करने पर वह दल उन्हें लाठियों और जेलियों से पीटने लगा। परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता और उसके संबंधियों को चोट आई।

उप निरीक्षक किशोरी लाल पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने तुलाराम नामक एक व्यक्ति को बाग के बाहर एक चारपाई पर पड़ा मरा हुआ पाया। 12 अन्य व्यक्ति सड़क के किनारे चिन्ताजनक हालत में पड़े हुए थे। पुलिस ने घायल व्यक्तियों को तुरन्त इर्विन अस्पताल पहुंचा दिया और मामले की जांच-पड़ताल आरम्भ की गई। इस मामले में 13 अभियुक्तयों को गिरफ्तार किया गया था।

पंजाब के डाक-घरों में बचत बैंक खाते की सुविधायें

2357. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में ऐसे कितने डाक-घर चल रहे हैं जिनमें बचत बैंक खाते की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) पड़ोसी राज्यों के ऐसे डाक-घरों की संख्या की तुलना में पंजाब के ऐसे डाक-घरों की संख्या कितनी कम अथवा अधिक है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 3369 ।

(ख) पड़ोसी राज्यों में जिन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

हरियाणा राज्य	2139
हिमाचल प्रदेश राज्य	1720
राजस्थान राज्य	7554
जम्मू व काश्मीर राज्य	818

ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए बिहार कृषि उद्योग निगम को आशय-पत्र

2358. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये बिहार कृषि उद्योग निगम को कोई आशय पत्र जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रकार का है और कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां ।

(ख) जारी किये गये आशय-पत्र में मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज लिमिटेड, पिंजोर से एक उप लाइसेंस के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 10,000 जीटर-2511 (25 अ० श०, ट्रैक्टरों का निर्माण करने हेतु फतवा (जिला पटना) में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

उड़ीसा में बिजली की कटौती का प्रभाव

2359. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रमुख उद्योगों, अर्थात राउरकेला इस्पात संयंत्र और मिग वायुयान इंजन संयंत्र पर बिजली की कटौती का बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों को बिजली की कटौती से बचाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं । मिग वायुयान-इंजन संयंत्र सभी विद्युत कटौतियों से मुक्त है । जहां तक राउरकेला इस्पात संयंत्र का संबंध है, उसके लिये ग्रिड से 40 मेगावाट विद्युत लेने की अनुमति के अलावा, दामोदर घाटी निगम प्रणाली से 25 मेगावाट विद्युत की सहायता का प्रबन्ध किया गया है ।

(ख) तलचर ताप-विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । दामोदर घाटी निगम जैसी पड़ोसी प्रणालियों से भी यथासंभव सहायता दी जा रही है ।

हीराकुंड पन बिजली घर और तालचेर तापीय बिजली उद्योग समूह में बिजली का उत्पादन

2350. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड पन-बिजली घर एवं तालचेर तापीय बिजली उद्योग समूह में उनकी क्षमता के 50 प्रतिशत से कम बिजली पैदा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस वर्ष मानसून की कमी के कारण हीराकुंड जल-विद्युत केन्द्र अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से भी कम विद्युत का उत्पादन कर रहा है ।

जहां तक तलचर ताप-विद्युत केन्द्र का संबंध है, अप्रैल से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में वास्तविक उत्पादन 478 मिलियन यूनिट रहा है । ताप-विद्युत केन्द्रों के लिये वार्षिक आधार पर 6,000 यूनिट प्रति किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यथानुपात आधार पर, अप्रेल से अक्तूबर, 1974 तक के सात महीनों के लिये उत्पादन 873 मिलियन यूनिट होना चाहिए था । इस आधार पर वास्तविक उत्पादन ताप-विद्युत केन्द्रों के लिये निर्धारित लक्ष्य का लगभग 55 प्रतिशत रहा है जोकि 50 प्रतिशत से अधिक है ।

पूर्वी क्षेत्रों में पन बिजली योजनाओं की स्थापना

2361. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार में पन-बिजली सक्षमताओं का लाभ उठाने का है जहां पन-बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिये सर्वोत्तम स्थल उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पन-बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पूर्वी क्षेत्र में इस समय बिहार और दामोदर घाटी निगम प्रणालियों में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। पश्चिम बंगाल में, खासकर कलकत्ता क्षेत्र में शिखरण (पीकिंग) क्षमता की कमी है, परन्तु समग्र रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। इस वर्ष अपवाह क्षेत्रों में मानसून के अभाव के परिणामस्वरूप मचकुंड बलिमेला और हीराकुंड जलाशयों में कम अन्तर्वाह होने के कारण उड़ीसा में विद्युत सप्लाई की स्थिति संकट-पूर्ण है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सुवर्णरेखा नदी, जो छोटा नागपुर पठार के साथ-साथ पूर्व की ओर बहती है, की जल विद्युत शक्यताओं का, इस समय 130 मैगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता का सुवर्णरेखा जल-विद्युत परियोजना के अन्तर्गत विकास किया जा रहा है। ब्राह्मण बेसिन, जो छोटा नागपुर पठार में ही है, में कोइल-कोरा परियोजना के विकास के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है। छोटा नागपुर पठार में जल-विद्युत शक्ति के विकास के लिये और स्थलों का अन्वेषण किया जा रहा है ।

कोयला आदि की कमी के कारण उड़ीसा में उद्योगों पर प्रभाव

2362. **श्री पी० गंगादेव :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, ईंधन तेल, रेल वैगनों और विद्युत की कमी ने तथा कच्चे प्रमाल और तैयार माल के लाने ले जाने के लिये परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं ने उड़ीसा में विभिन्न उद्योगों पर वितरीत प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से उद्योग प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) रिफैक्ट्रियों और पत्थर के पाइपों के निर्माण में लगे उड़ीसा राज्य के कुछ एककों ने कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लाने ले जाने और नियत समय में कोयले की सप्लाई सम्बन्धी सुलभता के विषय में कठिनाइयां बताई हैं ।

(ग) कच्चे माल और तैयार उत्पादों के लाने ले जाने की प्राथमिकता प्रदान करने के लिये इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाया गया था और उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया है ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

2363. **श्री पी० गंगादेव :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगवार तथा जिलेवार कितने उद्योग स्थापित किये गये; और

(ख) इस अवधि में कुल कितनी पूंजी लगाई गई और उनके उत्पादन में कितनी बृद्धि हुई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) और (ख) राज्य उद्योग निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों में पंजीयित लघु उद्योगों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	पंजीयित एककों की संख्या
31-12-1971 को	2,967
31-12-1972 को	2,736
31-12-1973 को	5.258

इन एककों की उद्योगवार और जिलेवार अलग-अलग संख्या तथा इनमें लगाई गई कुल पूंजी एवं उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

एककों की गणना के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही इन पहलुओं पर विश्वसनीय अनुमानित आंकड़े प्राप्त होने की आशा है ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें

2364. **श्री पी० गंगादेव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालायें स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि एक बहु-विषयक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, की स्थापना वर्ष 1964 में पहले ही भुवनेश्वर (उड़ीसा) में की जा चुकी है । क्षेत्रीय प्राकृतिक साधनों के विकास से संबंधित खोजबीन कार्य प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है जिसमें औद्योगिक और कृषि संबंधी मशीनों की अभिकल्पना और विकास कार्य शामिल है । क्षेत्र के लघु, मध्मय और उच्च स्तरीय उद्योगों की स्थापना और विकास के लिये भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला विभिन्न तरीकों से तकनीकी सहायता प्रदान करती है ।

लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक सलाहकार

2365. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सलाहकारों की कमी लघु, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास में बाधक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा): (क) और (ख) लघु उद्योगों के क्षेत्र में आने वाले नये उद्यमियों की बढ़ती हुई संख्या और वर्तमान लघु उद्योगों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता के विचार से, नये और विद्यमान दोनों ही प्रकार के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपयुक्त परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता समझी गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये एक मिश्रित सहायता कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है जिसमें प्रबन्धकीय परामर्श एवं प्रशिक्षण उत्तम तकनीकी सेवाएं एवं सुविधाएं और उत्पादन करने के सभी चरणों पर इकट्ठी सहायता देने की व्यवस्था शामिल है । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर वर्तमान परामर्शदात्री सेवाओं को, जो लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से दी जाती है, शक्त बनाने का प्रस्ताव है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में नये शाखा संस्थान खोलने और गैर-सरकारी परामर्शदात्री अभिकरणों आदि को उपदान देने के लिये निधि की व्यवस्था करने के भी प्रस्ताव हैं ।

पश्चिम बंगाल में रसीदी डाक टिकटों की कथित कमी

2366. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में विशेषकर पश्चिम बंगाल में रसीदी डाक टिकटों की कथित कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी हां । पश्चिम बंगाल सर्किल के कुछ डाकघरों में रसीदी टिकटों की कमी होने के बारे में सूचना मिली है ।

(ख) इस कमी का कारण यह था कि टिकट-नियंत्रक, नासिक ने रेलवे के जरिये जो रसीदी टिकट का कंसाइनमेंट भेजा था वह कलकत्ता में समय पर नहीं मिला । ऐसे कदम उठाये गये थे कि पड़ोसी डाकघरों से रसीदी टिकटों की सप्लाई तेजी से की जाये और इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस, नासिक से भी इनकी सप्लाई हवाई जहाज के जरिये की जाये ।

श्रीनगर में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों का सम्मेलन

2367. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों का सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान से राज्यों के उद्योगों द्वारा पूरा लाभ उठाने के बारे में एक योजना पर उस सम्मेलन में चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) अनुसंधान और विकास की सुविधाओं से अपने क्षेत्रों के कार्यकलापों में राज्यों के उद्योगों द्वारा पूरा लाभ उठाने की बात को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक, जम्मू और काश्मीर के उद्योगपति और राज्य सरकार के प्रतिनिधि 21 से 23 अक्तूबर 1974 तक श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन में मिले थे। वर्तमान राष्ट्रीय साधनों और जन-कौशल, राज्य और उद्योगों की योजना संबंधी हितों के मुख्य क्षेत्रों, राज्य की आवश्यकता के अनुकूल सामर्थता के क्षेत्रों, सी०एस०आई०आर० की सहायता प्रदान कर सकते अथवा न कर सकने वाले एकीकृत और पृथक क्षेत्रों को निश्चित करने के लिये एक सर्वेक्षण भी किया गया था।

एकीकरण किये गये कुछ क्षेत्र इस प्रकार थे :—

(एक) ऊन, चमड़ा, रेशमी नमदे ।

(दो) उत्पादकता, ईंधन ऊर्जा में किफायत ।

(तीन) औषध और एरोमैटिक पौधे, सेफरन ।

(चार) ड्रग्स और फारमैस्यूटिकल्स

(पांच) वन-आधारित उद्योग

(छ) खाद्य पैकेजिंग, मारूम (कुकरमुत्ता)

(सात) खनिज एवं धातु कार्य ।

सम्मेलन में उठाई गई तकनीकी समस्याओं का अनुसरण करने के लिये एक समिति गठित की गई है, जिसमें जम्मू काश्मीर राज्य सरकार के सचिव, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक और जम्मू काश्मीर राज्य के निजी उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विद्युत संयंत्र

2368. श्री वेकारिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण को त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्य की तकनीकी जांच करने के आदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीकी जांच संबंधी प्रतिवेदन कब उपलब्ध कराया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच के लिये न तो कोई आदेश ही दिया गया है और न ही ऐसी कोई शिकायत मिली है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाये गये विद्युत संयंत्र ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में वस्तुओं की कमी के कारण उद्योगों पर प्रभाव

2369. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, ईंधन, तेल, रेल वैगनों और विद्युत की कमी ने तथा कच्चे माल और तैयार माल के लाने ले जाने के लिये परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं ने राजस्थान में विभिन्न उद्योगों पर विपरीत प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कौन कौन से उद्योग प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) राजस्थान में ट्रांसमिशन टावरों, कल और रोलर बेयरिंगों और इलक्ट्रानिकीय संघटकों के निर्माण में लगे कुछ एककों ने कोयले, ईंधन, तेल, रेल वैगनों की कमी और तैयार उत्पादकों की मांग की कमी बताई है। राज्य की एकमात्र उर्वरक बनाने वाले एकक ने विशेषकर रेल हड़ताल के दौरान कोयले की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयां बताई। किन्तु इन कमियों का राज्य में अन्य उद्योगों जैसे एल्यूमिनियम, तांबे, जस्ते और सीसे पर प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) कच्चे माल के नियतन के विषय में औद्योगिक एककों की सहायता की जा रही है ताकि औद्योगिक उत्पादन पर जहां तक हो सके इसका असर न पड़े।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

2370. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान छोटे पैमाने के कुल कितने उद्योग रजिस्टर हुए ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : राज्य उद्योग निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में पंजीयित लघु उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पंजीयित एककों को संख्या
31-12-1971 का	8,970
31-12-1972 को	11,212
31-12-1973 को	18,428

सीमेंट के मूल्य में कमी

2371. श्री गजाधर माझी : क्या उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करों की गिरफ्तारी के उपरान्त सीमेंट के मूल्य में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) सीमेन्ट देश भर में गन्तव्य स्थल तक रेलभाड़ा मुक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समान मूल्य पर किया जाता है। किसी राज्य मे सीमेन्ट की थोक और खुदरा बिक्री पर सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। तस्करों की गिरफ्तारी का इसके मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं है।

किन्तु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से ऊंचे भाव पर सीमेन्ट बेचे जाने वाली कीमतों में पिछले महीनों में गिरावट आने की रिपोर्ट समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है।

Recommendation of Third Pay Commission for Radio and TV Employees

2372. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Third Pay Commission have not been implemented so far in the case of Radio and Television employees;

(b) whether the Pay Commission has submitted its separate report for these employees: and if so, the main feature thereof;

(c) whether the new pay scales will be implemented in the case of these employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharm Bir Sinha) : (a) Recommendations of the Third Pay Commission have been implemented in Radio and Television offices in respect of most categories of posts. Some categories of posts have not yet been notified and in regard to a few other categories final decision has not yet been taken. The Pay Commission, however, made no recommendation in regard to the fee scales of Staff Artists in A.I.R. as this was outside their purview.

(b) The Pay Commission has not submitted a separate report about Staff Artists of A.I.R.

(c) Does not arise.

Request for Setting up of Coal Based Power Houses in Madhya Pradesh

2373. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether in view of the continuing power crisis, the Madhya Pradesh Government have urged upon the Central Government to set-up coal-based power houses; and

(b) if so, the reaction of the Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposals are under consideration.

ईस्ट चम्पारन, बिहार के जिला मजिस्ट्रेट के बंगले का घेराव

2374. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के अंतिम सप्ताह में ईस्ट चम्पारन के जिला मजिस्ट्रेट के बंगले का सैकड़ों लोगों ने घराव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस का भी घेराव किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट की कार के टायरों की हवा निकाल दी गई थी;

(ग) क्या सरकार को तथा अन्य लोगों को गन्दी गालियां दी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा एक दैनिक समाचार-पत्र को विज्ञापन शुल्क न दिया जाना

2375. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के एक दैनिक समाचार पत्र ने यह आभ्यावेदन दिया है कि राज्य सरकार ने उसे विज्ञापन शुल्क का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में हम त्रिपुरा सरकार से सम्पर्क कर रहे हैं।

कोयला खान श्रमिकों में क्षय रोग और फिलेरिया रोग के मामलों में वृद्धि

2376. श्री एम० कतामुतु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खान श्रमिकों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण क्षय रोग और फिलेरिया रोग बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

2377. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य में और वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोयला मूल्यों में संशोधन करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक अन्तर्मन्त्रालय समिति नियुक्त की जा रही है, जो अन्य बातों के साथ-साथ वेतन वृद्धि के कारण उत्पन्न वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी, जिस पर कोयला उद्योग को संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। यह समिति इस पर भी विचार करेगी कि किसी भी मूल्य वृद्धि का सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

2378. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस के बारे में 31 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 3150 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस मामले पर इस बीच कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : सरकार ने इस मामले पर विचार कर के निर्णय किया है कि कायर बोर्ड के कर्मचारियों पर 'पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965' लागू नहीं होता।

सीमेंट और कागज परियोजनाओं में ईरान द्वारा पूंजी निवेश

2379. कुमारी कमला कुमारी : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार सीमेंट और कागज परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए उन्हीं शर्तों पर सहमत हो गई है जिन शर्तों पर उसने कुन्द्रमुख लौह अयस्क परियोजना में पूंजी निवेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) अभी तक ऐसा कोई करार नहीं किया गया है।

वर्ष 1974-75 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

2380. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 950 लाख टन नहीं रखा गया है जबकि वर्ष 1973-74 के लिए लक्ष्य 780 लाख टन था; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और वर्ष 1974-75 के प्रथम छः महीनों में कितना उत्पादन हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पहले बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार 1974-75 में कोयले का उत्पादन 950 लाख टन होना था परन्तु हाल के मूल्यांकन के अनुसार उत्पादन 880 लाख टन होने की आशा है।

(ख) उत्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : 'ओपन कास्ट' खानों तथा भूमिगत यांत्रिक खानों की गहन खुदाई; आवश्यक उपकरणों की समय पर प्राप्ति; परिवहन सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाना और पुनर्गठित करना; इसमें लदान का केन्द्रीकरण शामिल है; बिजली की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना; मौजूदा खानों का विस्तार; लोहा और इस्पात, विस्फोटकों तथा अन्य सामग्री की समुचित पूर्ति की व्यवस्था।

1974-75 के प्रथम 6 महीनों में 405.60 लाख टन उत्पादन हुआ।

पांचवी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

2381. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** :
श्री एन० ई० होरो :
श्री ए० के० एम० इसहाक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1430 लाख टन है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी मार्च में पांचवीं योजना के समाप्त होने वाले प्रथम वर्ष में कोयले का कितना उत्पादन हो जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कोयला उत्पादन लक्ष्य 1350 लाख टन रखा गया है।

(ख) हाल ही में किए गए मूल्यांकन के अनुसार मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में 880 लाख टन उत्पादन होने की आशा है।

कोयला खान क्षेत्रों में कथित भ्रष्टाचार का जारी रहना

2382. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले खान क्षेत्रों में खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार पूर्ववत् जारी हैं ;

(ख) क्या गत तिमाही में कोयला क्षेत्रों में भ्रष्टाचार में और अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस समस्या पर विचार कर रहा है और क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोयला उद्योग में कुछ भ्रष्टाचार तथा कदाचार के बारे में यद्यपि पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पिछली तिमाही में कदाचार में वृद्धि हुई है।

सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों में सुरक्षा तथा सतर्कता का प्रबंध पहले से ही है तथा वास्तविक अनुभव के आधार पर समय-समय पर इन प्रबंधों को मजबूत बनाने के उपाय किए गए हैं तथा जब कभी जरूरी होगा ऐसे उपाय किए जायेंगे ।

तेल में परिवर्तनीय कोयला रिजर्व

2383. श्री यमुना प्रसाद मन्डल :
श्री प्रबोध चन्द्र:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल में परिवर्तनीय कुल कोयला रिजर्व की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) तेल में परिवर्तन योग्य कोयला भंडारों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण

2384. श्री समर गुह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री एम० बी० कृष्णप्पा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में रहने वाले निम्नतम आय वर्ग के लोगों को खाद्य के अलावा अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के बारे में कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कोई वितरण मशीनरी बना ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) मूल्य नियंत्रण तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है; और

(घ) (एक) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में आज तक अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के तुलनात्मक अध्ययन का; और (दो) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को की गयी सप्लाई के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन सरकार मूल्य को नियंत्रित करने के आदेश जारी कर सकती है जिस पर कोई भी आवश्यक वस्तु खरीदी अथवा बेची जाये । इस प्रकार के आदेश का कोई अतिलंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अपराध करने की कोटि में आएगा और परिणामस्वरूप उसके लिए उस अधिनियम के दण्ड उपबन्ध लागू होंगे । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी है कि विभिन्न नियंत्रण आदेशों को

कठोरता से लागू किया जाए । जमाखोरों, मुनाफाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को समाज-विरोधी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से इस अधिनियम में हाल में संशोधन किए गए हैं और इसके दण्ड उपबन्धों को और कठोर बनाया गया है ।

(घ) (i) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8592/74**] ।

(ii) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Tours of Ministers to States

2385. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the Names of Union Ministers who laid foundation stones of big projects during the year 1972-73 and 1973-74 in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh with the names of places; and

(b) the expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Assistance sought by Madhya Pradesh for electrification of Villages during 1973-74

2386. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the State Government of Madhya Pradesh requested the Central Government for financial assistance during 1973-74 for the electrification of maximum number of villages in the State; and

(b) if so, the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The programme of rural electrification is formulated by the State Governments and is executed through their State Electricity Boards. Additive loan assistance is provided by the Rural Electrification Corporation Ltd., a public sector undertakings in the Central Sector, to State Electricity Boards for implementation of their rural electrification schemes.

The Madhya Pradesh State Electricity Board had requested the Corporation for loan assistance for 72 schemes during 1973-74. Out of these and earlier pending schemes, the Corporation had sanctioned 33 schemes during the year. 37 schemes were returned for revision in accordance with the prescribed norms and guidelines and 33 schemes remained pending for the consideration at the end of the year.

The 33 sanctioned schemes involved loan assistance of Rs. 9.08 crores envisaging electrification of 1,442 villages and energisation of 19,712 pumpsets.

आसामी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाना

2387. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बोडो" भाषा में आसामी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनाने संबंधी आन्दोलन में ईसाई अल्पसंख्यकों का हाथ है और वे बड़ी उदारता से उक्त आन्दोलन के लिए धन दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

'कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए योजना निकाय' शीर्षक से छपा समाचार

2388. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक के दिल्ली-संस्करण में 'प्लान बौडी फोर कोल बेस्ड फर्टीलाइजर प्लांट्स' (कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए योजना निकाय) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग से संबंधित संसद सदस्यों की सलाहकार समिति ने अपनी 2–11–1974 की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के कतिपय पहलुओं पर चर्चा की थी। कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के दृष्टिकोण की समिति को बतलाया गया था। तालचर, रामगुंडम और कोरबा में कोयले पर आधारित तीन संयंत्रों को पांचवीं योजना में शामिल किया गया है। दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में, देसी कोयले पर आधारित और अधिक उर्वरक संयंत्र लगाने की संभावनाओं का पता लगाना बहुत आवश्यक होगा। कोयले पर आधारित संयंत्रों को जिनका अब निर्माण हो रहा है, चलाने से जो अनुभव प्राप्त होगा उसको ध्यान में रखते हुए और अधिक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया जाएगा।

तेल उत्पादन के लिए कोयले के हाइड्रोजनीकरण के बारे में परियोजना रिपोर्ट

2389. **श्री समर गुह : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० जे०सी० घोष द्वारा तैयार की गई तेल बनाने हेतु कोयले के हाईड्रोजनीकरण की परियोजना संबंधी प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने उक्त परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन कर लिया है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को स्वर्गीय डा० जे० सी० घोष द्वारा कोयले के निम्न ताप कार्बनीकरण से प्राप्त तारकोल के हाइड्रोजनीकरण से कृत्रिम तेल के उत्पादन करने के बारे में तैयार की गई एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ख) तेल उत्पादन हेतु कोयला हाइड्रोजनीकरण संबंधी परियोजना की मुख्य विशेषताओं का एक विवरण संलग्न है।

सरकार ने कोयले से तेल तैयार करने की टेकनोलाजी पर विचार हेतु हाल में ही एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोयला-आधारित कृत्रिम पैट्रोलियम संयंत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव भेजा है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 लाख टन कृत्रिम पैट्रोलियम तैयार करने की होगी, तथा इसके लिए प्रति वर्ष 150 लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

कृत्रिम तेल की विशेषज्ञ समिति ने परियोजना के प्रथम चरण के विकास हेतु, 20 करोड़ रुपये की निम्नलिखित योजना की सिफारिश की है :—

(क) निम्नलिखित के उत्पादन के लिए 12 लाख टन अकोककर कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण :—

(i) 790,000 टन सोफ्ट कोक;

(ii) 110,000—150,000 टन तारकोल और हल्का तेल;

(iii) 2000 टन तारकोल-एसिड (फेनोल) ।

(ख) निम्न तापीय तारकोल को 2 वस्तुओं के रूप में अलग किया जाएगा :—

(i) सड़क तारकोल—40,000—45,000 टन ;

(ii) मध्यम और हल्का तेल—65,000 से 70,000 (हाईड्रोजनीकरण हेतु) ।

(ग) वाष्प-त्रिया द्वारा हाइड्रोजनीकरण से तारकोल के 95,000—100,000 टन लघु कणों का हाइड्रोजनीकरण, (इसमें निम्नतापीय तारकोल से निर्मित लगभग 65,000 से 70,000 टन मध्यम और हल्के तेल तथा लगभग 30,000 टन प्राकृतिक और क्रेसोट तेल शामिल है, जो समीपवर्ती इस्पात संयंत्रों और कोक भट्टियों के तारकोल के आसवन से प्राप्त किया जाएगा) ।

(घ) हाइड्रोजनीकरण—लगभग 40,000 टन क्रूड बेनजोल का शोधन, जो समीपवर्ती इस्पात संयंत्रों तथा कोक भट्टियों से प्राप्त होगा ।

उपर्युक्त पदार्थ के परिष्करण से निम्नलिखित की प्राप्ति होगी :—

(i) 660,000 टन धुंआ रहित घरेलू ईंधन (लगभग 3/4" आकार), बिक्री के लिये;

(ii) 65,000 टन (1/4"—3/4" आकार का कोक, जिसे घरेलू ईंधन अथवा चारकोल के रूप में बेचा जा सकेगा;)

(iii) इस्पात संयंत्रों में कोक के उत्पादन हेतु मिश्रण के लिए अथवा बिजली घरों में उपयोग हेतु 65,000 टन चारकोल;

120,000—125,000 टन मोटर ईंधन ;

(iv) 2000 टन फिनोल; तथा

(v) 40,000—45,000 टन सड़क तारकोल ।

उड़ीसा में कोयला भंडार बनाने का प्रस्ताव

2390. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कोयला भंडार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर; और

(ग) क्या दक्षिणी भाग को जलमार्ग से कोयला भेजने के लिये पारादीप पत्तन क्षेत्र में एक कोयला भंडार बनाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड ने कुछ राज्यों में राज्य सरकारों के सहयोग से टालें खोलने के लिए कदम उठाये हैं । इन टालों को राज्य सरकार की एजेंसियां चलायेंगी । दक्षिण को कोयला भेजने के लिए प्रदीप पत्तन क्षेत्र में एक कोयला टाल खोलने संबंधी प्रस्ताव के अलावा जो सरकार के विचाराधीन है, उड़ीसा में टाल खोलने का अभी कोई और प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा के पुरी जिले में गांवों का विद्युतीकरण

2391. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अब तक) में उड़ीसा राज्य के पूरी जिले में उप-डिविजनवार कितने गांवों में बिजली लगाई गई ;

(ख) इन तीन वर्षों के लिए पृथक-पृथक क्या लक्ष्य रखे गए थे; और

(ग) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में उड़ीसा के पुरी जिले के खुर्द, नयागढ़ और भुवनेश्वर उप-डिवीजनों में किस-किस गांव में बिजली लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1972–73, 1973–74 और 1974-75 के दौरान (अक्तूबर, 1974 तक) पुरी जिले के चार उप-प्रभागों में निश्चित लक्ष्यों और विद्युतीकृत ग्रामों के ब्यौरे अनुबंध-एक के विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8593/74]** ।

(ग) 1974–75 के दौरान खुर्द, नयागढ़ और भुवनेश्वर उप-प्रभागों में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित ग्रामों के नाम अनुबंध–दो के विवरण में दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 8593/74]** । 1975–76 में विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामों के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दरभंगा के टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें

2392. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान टेलीफोन उपभोक्ता एसोसिएशन, दरभंगा, बिहार द्वारा टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों के बारे में पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । संचार मंत्री का ध्यान दरभंगा, बिहार के टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में वहां की टेलीफोन उपभोक्ताओं की एसोसिएशन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ।

(ख) एसोसिएशन की 20–10–74 को हुई बैठक में दो प्रस्ताव पास किए गए थे । उनमें जो मुख्य मुद्दे उठाए गए थे और जो वास्तविक स्थिति है, उसका उल्लेख नीचे किया गया है :—

(i) स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के संतोषजनक कार्य न करने और ट्रंक कालों के लगाने के संबंध में शिकायत है । विभाग ने हाल ही में दरभंगा–600 लाइनें और लहरियासराय–400 लाइनों के दो आटो एक्सचेंजों के कार्यचालन की जांच की है । यहां की स्थानीय टेलीफोन सेवा देश की दूसरी जगहों पर दी गई टेलीफोन सेवा के समान ही है । जहां तक ट्रंक कालों का प्रश्न है, इस सेवा पर अप्रत्याशित बाढ और नागरिक अशान्ति का असर पड़ा है । तो भी, महत्वपर्ण ट्रंक मार्गों पर औसत विलम्ब बहुत अधिक नहीं है ।

(ii) स्थानीय कालों के बिल ज्यादा आने और उन से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है । पिछले 7 महीनों में विभाग को सिर्फ 18 ऐसे मामलों की सूचना मिली है जिनमें ज्यादा रकम के बिलों के बारे में शिकायत की गयी है । इनमें से 17 मामलों का तुरन्त निपटारा कर दिया गया है । स्थानीय कालों के बिल निर्धारित तारीखों को जारी किए जाने हैं । टेलीफोन पर उचित तौर पर याद दिहानी कराने के बाद ही टेलीफोन काटे जाते हैं ।

आल इंडिया पी० एण्ड टी० कैजूअल एण्ड मस्टर रोल मजदूर यूनियन की मांगें

2393. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल-इंडिया पी०एण्ड०टी० कैजूअल एण्ड मस्टर रोल मजदूर यूनियन, दरभंगा डिवीजन, दरभंगा (बिहार) ने डिवीजन इंजीनियर, टेलीग्राफ्स, दरभंगा को 1 अक्टूबर, 1974 को कुछ मांगें प्रस्तुत की थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) आल इंडिया पी० एण्ड टी० कैजूअल एण्ड मस्टर रोल मजदूर यनियन एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है । तथापि, यह सही है कि इस यूनियन ने अपनी कुछ मांगें, जिनकी सूची विवरण में दी हुई है, दरभंगा के मंडल इंजीनियर तार को पेश की थीं ।

(ख) श्री राम जीत प्रसाद सिंह की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के बारे में जांच की जा रही है। मुआवजे की अदायगी संबंधी एक मामले पर भी कार्रवाई चल रही है।

दरभंगा के मंडल इंजीनियर तार के कार्यालय में लाइनमैनों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों के सृजन करने और उन्हें भरने के लिए तत्संबंधी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

नैमित्तिक मजदूरों के लिये दूसरी मांगें स्वीकार्य नहीं हैं।

विवरण

आल इंडिया पी०एण्ड टी० कैजूअल एण्ड मस्टर रोल मजदूर यूनियन, दरभंगा द्वारा पेश की गई मांगें :—

(1) इन मजदूरों ने तारीख 30-9-74 को 120 दिन तक काम पूरा कर लिया है। इनकी छंटनी न की जाए और इनकी नियुक्ति नियमित कर दी जाए, इन्हें विभाग में नौकरी पर लगाने के लिए रोजगार दफ्तर के साथ किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी किए बगैर विचार किया जाए।

(2) पार्टियों का काम बन्द होने से या किसी दूसरे कारण से जिन मजदूरों की छंटनी पहले ही की जा चुकी है उन्हें डिवीजन में फिर से नियुक्त किया जाए।

(3) नैमित्तिक और मस्टर रोल के कर्मचारियों को रोजाना 8.00 रु० की दर से दैनिक मजदूरी दी जानी चाहिए।

(4) लाइन मैन, चौकीदार, वायरमैन, पियन, स्वीपर और दरभंगा के डाक तार औषधालय में अर्दली नर्स के पदों को तुरन्त भरा जाये।

(5) सहरसा, कटिहार, बेगूसराय और दरभंगा सबडिवीजनों में चतुर्थ श्रेणी के अतिरिक्त पदों के औचित्य के बारे में तार सबडिवीजनल अधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन इन पदों की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है। इन पदों की मंजूरी तुरंत दी जानी चाहिए।

(6) स्व० श्री राम जीत प्रसाद सिंह, मस्टर रोल मजदूर के मामले में, जिनकी मृत्यु मुश्कीपुर में काम करते हुए बिजली का आघात लगने से हुई थी, उनके परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाये। उनकी पत्नी को 10,000 रु० का मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी पत्नी या आश्रित को नियमित नौकरी दी जाए।

(7) मजदूरों को उनके काम के स्थल पर सरकारी दर से गल्ले और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जानी चाहिए।

(8) जिन मजदूरों को हाल ही की बाढ़ से नुकसान पहुंचा है उन्हें 200 रु० की बाढ़ सहायता और 500 रु० की बाढ़ अग्रिम राशि दी जाये।

(9) प्रत्येक नैमित्तिक और मस्टर रोल मजदूर को वर्दी, जूते और छाता सप्लाई किए जायें।

(10) उचित कार्रवाई किये बगैर या स्पष्टीकरण मांगे बिना कोई छंटनी न की जाए।

(11) प्रत्येक मजदूर को निःशुल्क चिकित्सा-सुविधा दी जानी चाहिए; और

(12) मस्टर रोल के मजदूरों की तनख्वाह अवश्य ही हर महीने की पहली तारीख को दी जानी चाहिए।

बिहार में मधुवनी जिले के राजनगर खण्ड के कैशानी गांव में एक हरिजन की हत्या के बारे में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने का आरोप

2394. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुवनी जिले के राजनगर खण्ड के कैशानी गांव में एक हरिजन की हत्या के बारे में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के बारे में एक संसद सदस्य ने गृह मंत्रालय में तत्कालीन राज्य मंत्री को पत्र लिखा था और मंत्री महोदय ने इस बारे में आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सदस्य महोदय ने इस विषय पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री मिर्धा को एक पत्र लिखा था, जिन्होंने उन्हें सूचित किया था कि वे मामले की जांच करेंगे। मामले में बिहार सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

नारियल जटा बोर्ड के कार्यकरण की जांच

2395. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में नारियल जटा बोर्ड के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमितताओं का सरकार को पता लगा है ; और

(ग) बोर्ड की कमियां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकरण

2396. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के कार्यकरण की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर के काम का सतत पर्यवेक्षण सरकार संचार मंत्रालय के माध्यम से करती है। समय-समय पर कम्पनी को उसकी दक्षता, उत्पादन आदि सुधारने के लिए उपयुक्त परामर्श और निदेश दिए जाते हैं। कम्पनी के काम में समग्र रूप से हुए सुधार के कारण, 1972–73 के कुल पण्यावर्त व लाभ के मुकाबिले में, जो कराधान के पूर्व क्रमशः 41.83 करोड़ रुपये और 4.54 करोड़ रुपये था, वर्ष 1973–74 के दौरान बढ़कर 49.83 करोड़ रुपये और 6.69 करोड़ रुपये हो गया।

आकाशवाणी दिल्ली से भोजपुरी गीत

2397. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार आकाशवाणी दिल्ली से कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू करने का है जिसके अन्तर्गत रविवार अथवा किसी अन्य दिन शाम को 8.30 बजे के पश्चात् सप्ताह में एक दिन आधे घंटे तक केवल भोजपुरी गीत प्रसारित किए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : अन्य लोक गीतों सहित भोजपुरी गीत आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं। प्रादेशिक गीतों के लिए अलग चैनल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी, दिल्ली से भोजपुरी भाषा में प्रसारण

2398. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दिल्ली द्वारा भोजपुरी भाषा की उपेक्षा की जा रही है जबकि यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। भोजपुरी गीत आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के कार्यक्रमों में शामिल किए जाते हैं।

बिजली की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना

2399. **श्री एस०एम० बनर्जी :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

श्री धामनकर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की स्थापना करने के बारे में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों और इन क्षेत्रीय ग्रिडों के मध्य पर्याप्त अन्तः संबंधनों से बनेगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रिड, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 220 के०वी० और 400 के०वी० की कई लाइनों के निर्माण द्वारा सुदृढ़ किए जा रहे हैं। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में अन्तरिम लोड प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और पश्चिमी क्षेत्र में भी ऐसे ही प्रबंध किए जा रहे हैं। यह प्रस्ताव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थायी लोड प्रेषण केन्द्रों को कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए।

इस समय भी, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अन्तः संबंध विद्यमान हैं, यद्यपि वे सीमित क्षमताओं के हैं। अब भी एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आम-तौर पर विद्युत का यथासंभव अधिकतम सीमा तक अंतरण किया जा रहा है।

श्री जयप्रकाश नारायण के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत

2400. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1974 में उनकी सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण से भेंट हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस भेंट के दौरान किन विशेष मामलों पर चर्चा हुई थी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) प्रधान मंत्री 1 नवम्बर, 1974 को श्री जयप्रकाश नारायण से मिलीं थीं।

(ख) इस बातचीत का संबंध श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा रखी गई मांगों के विषय में था। प्रधान मंत्री ने श्री जयप्रकाश नारायण को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार और उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों और व्यक्तियों की अपेक्षा इस बात के लिए ज्यादा चिंतित हैं कि भ्रष्टाचार का मुकाबिला किया जाए। और चुनावों में पैसे की शक्ति पर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने बिहार विधान सभा को भंग करना नियम विरुद्ध घोषित किया और बतलाया कि इस प्रकार विधान सभा भंग करने से लोकतंत्र के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती।

गुजरात में जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारी करने वालों का गिरफ्तार किया जाना

2401. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 अक्तूबर, 1974 से 4 नवम्बर, 1974 तक गुजरात में कितने जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच मोहसिन) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से सूचना अभी आनी है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सौराष्ट्र तट से पाकिस्तानी कार्मिकों को पकड़ने के बारे में समाचार

2402. श्री नरेन्द्र सिंह :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो 16 अक्तूबर, 1974 को सौराष्ट्र तट से कुछ पाकिस्तानी कार्मिकों के पकड़े जाने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने उनसे पूछताछ करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 12 पाकिस्तानियों को नौका द्वारा मुसकाट इस आश्वासन पर लाया गया कि उन्हें करांची के पास छोड़ दिया जायेगा किन्तु बताया जाता है कि उन्हें जूनागढ़ जिले में दारी तथा नवगाम ग्रामों के बीच छोड़ दिया गया । वे 16 अक्तूबर, 1974 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए । विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के उपबन्ध तोड़ने के लिए उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और पांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस कांड

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I seek your guidance on an important matter. One of the privilege motions given so far was against the then Home Minister, Shri Umashanker Dixit who is not the Member of this House. I am told that that privilege motion can not be taken up in this House. Kindly give a categorical direction in this matter.

Other Ministers have come and clarified there position. But Shri Dixit has not yet come here to explain his position. Is not the absence of Shri Dixit tantamount to breach of privilge of the House ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने यह महत्वपूर्ण मामला उठाया है । मैं इस बारे में पूर्वोदाहरण के आधार पर विचार करूंगा तथा यथाशीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : हमने एक माननीय सदस्य श्री तुलमोहन राय के विरुद्ध भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है । क्या आप श्री तुलमोहन राय से सभा में वक्तव्य देने के लिए कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मामला भी महत्वपूर्ण है । मैं इस मामले की भी जांच करूंगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आप किस बात की जांच करेंगे । विशेषाधिकार का मामला गृह मंत्री के विरुद्ध है । व्यक्ति बदल सकता है किन्तु गृह मंत्री का पद तो विद्यमान रहता है, इसलिए वह इसका उत्तर दें रहे हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : विशेषाधिकार का मामला व्यक्ति विशेष के विरुद्ध है पद के विरुद्ध नहीं, क्योंकि अपराध व्यक्ति ने किया है । यदि कोई मंत्री बेईमान हो तो उसका दण्ड उसके बाद के मंत्री को नहीं दिया जा सकता ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : विपक्षी दल के इस तर्क के आधार पर न तो श्री उमाशंकर दीक्षित के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया जा सकता है और न श्री रेड्डी के विरुद्ध क्योंकि श्री रेड्डी ने आश्वासन नहीं दिया था और श्री दीक्षित ने यदि आश्वसन का पालन नहीं किया तो वह अब गृह मंत्री नहीं हैं ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : श्री दीक्षित ने गृह मंत्री की हैसियत से आश्वासन दिया था तथा गृह मंत्री ही इस मामले में उत्तर दे रहे हैं । दूसरे, किसी सदस्य और किसी मंत्री को वक्तव्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : संसदीय कार्य मंत्री से ऐसे तर्क की आशा की जा सकती है किन्तु प्रधान मंत्री से ऐसे तक की आशा नहीं की जाती थी **(व्यवधान)**

जब राज्य सभा का कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह इस सदन में मंत्री की हैसियत से आ सकता है । क्या इस का आशय यह है कि वह यहां आकर **यह किस प्रकार का तर्क है ? **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

श्री पीलू मोदी : मेरे कहने का आशय यह है उसे उस सदन के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जहां उसने वक्तव्य दिया है । इसके लिए वही व्यक्ति उत्तरदायी होना चाहिए जिसने वक्तव्य दिया है ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : नियम 222 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री एस०एम बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने सी०बी०आई० की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण दिये . . .

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : यह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट से उद्धरण नहीं दिया ।

श्री एस०एम० बनर्जी : हमारा यही अनुमान था कि वह रिपोर्ट से उद्धृत किया गया है किन्तु मंत्री महोदय ने इससे इनकार कर दिया । मैंने उस दिन भी यही कहा था कि आप उक्त वाक्यों या पैराग्राफों को रिपोर्ट से मिला लें और यदि वे उससे मिलते हैं तो नियम 368 के अन्तर्गत सरकार से उक्त रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का निदेश दिया जाये ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

दूसरा निवेदन यह है कि मैंने कल एक प्रस्ताव दिया है जिसमें यह सुझाव दिया है कि सभा एक समिति नियुक्त करे जिसके आप सभापति हों तथा वह समिति उक्त रिपोर्ट के सभी पहलुओं का अध्ययन करे तथा सभा को यह सिफारिश करे कि रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए अथवा नहीं। महोदय! यदि आप इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि चार-पांच दिन में हमें वह रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी तथा आप हमसे रिपोर्ट सभा पटल पर रखने को कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी प्रस्तावों की जांच करूंगा।

श्री एस०एम० बनर्जी : क्या मैं यह समझूं कि मेरा प्रस्ताव अभी अनिर्णीत है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या विशेषाधिकार प्रस्ताव पर सारे सत्र के दौरान चर्चा होती रहेगी?

अध्यक्ष महोदय : इसे तो समाप्त करना आपका काम है।

श्री श्यामनन्द मिश्र (बेगुसराय) : अगर हम श्री बनर्जी और प्रो० हीरेन मुकर्जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे आपकी और सारे सदन की कठिनाई का समाधान हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : उस स्थिति में यह मामला कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्य मन्त्रणा समिति केवल समय निर्धारित करती है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : विपक्ष के सभी लोग सहमत हैं...

अध्यक्ष महोदय : क्या इस प्रस्ताव को लिया जाए या स्थगित किया जाए और दूसरे प्रस्ताव को लिया जाए। एक समय में दो प्रस्तावों को नहीं लिया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी अपनी राय के मुताबिक श्री बनर्जी और प्रो० मुकर्जी के प्रस्ताव ग्राह्य हैं। इससे समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : पहले जो विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन है, उस पर निर्णय हो जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब तक पहले प्रस्ताव का निपटान नहीं हो जाता, तब तक दूसरा नहीं लिया जा सकता।

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्री बनर्जी के इस प्रस्ताव को किस नियम के अन्तर्गत लिया जा सकता है? क्या इससे पहले का प्रस्ताव समाप्त नहीं हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : हमें उस नियम का पता है।

श्री एच०एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : आपने जो निर्णय दिया था, उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। उसे क्रियान्वित कराने की दृष्टि से ही यह प्रस्ताव लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को निपटाने के बाद हम अन्य प्रस्तावों को लेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आपने यह कहा था कि आपको कुछ कागजात प्राप्त हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुझे इनसे कुछ भी नहीं करना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : फिर सदन को इस बारे में निर्णय करने दो या आप किसी को स्थिति का अध्ययन करने के लिये नामनिर्देशित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री शमीम।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा): मैं बार बार खड़ा हो रहा हूं। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल श्री शमीम को बोलने का अवसर देने का वचन दिया था।

श्री स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न उनके बोलने के अधिकार के बारे में है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री शमीम को बुला चुका हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : **

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ भी कहेंगे, वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कल के कार्यवाही-वृत्तान्त के अनुसार इन व्यक्तियों को व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाने का पहले अवसर दिया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं कल केवल श्री एस० एम० बनर्जी, श्री सेझियान और श्री पी० जी० मावलंकर को सुनूंगा। श्री शमीम का नाम उनमें नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जब मेरे पास कार्यवाही वृत्तान्त आया, तो मैंने उसमें संशोधन कर दिया था।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर): मैं अनेक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो सदस्य जोर से बोल सकते हैं उनको ही बोलने का मौका दिया जाता है। इस लिये भविष्य में सदस्यों को बोलने का किस प्रकार अवसर दिया जाये, इस बारे में आपको निर्णय करना होगा।

कुछ व्यक्तियों की राय के अनुसार इस मामले पर बहस के रूप में दस लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इस घोटाले से सम्बन्धित लाइसेन्सों की कुछ कीमत 28 लाख रुपये है। जनता के इस धन की बरबादी की जिम्मेदारी किस पर है? सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। केन्द्रीय जाच ब्यूरा की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए। अब सरकार मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने का तर्क दे रही है। भिवण्डी जांच आयोग जब जांच कार्य कर रहा था, तब न्यायालय के अधीन मामला विचाराधीन होने का तर्क नहीं दिया गया था। मुझे यह कहते हुए दुख है कि इस मामले को अनिर्णय की स्थिति में रखने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपको सरकार के ऊपर निर्भर रहने की बजाय स्वयं निर्णय करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं पिछले दो साल से वैस्टर्न कोर्ट में रह रहा हूं और वहां सड़ा गला तथा खराब खाना खाने को मिलता है, इस लिये मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें, तो मेरे निवास-स्थान पर आ सकते हैं। आप अपने पिता के साथ उस कोठी में रहते थे। आप तब तक मेरी कोठी में रह सकते हैं, जब तक वैस्टर्न कोर्ट की भोजन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो सकती।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

सदन के समक्ष जो प्रश्न विचाराधीन हैं, वह बहुमत या अल्पमत का प्रश्न नहीं है। यह सारे सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रधान मन्त्री ने कल यह कहा कि सदन में अल्पमत बहुमत को नहीं दबा सकता। यह नहीं भूलना चाहिए कि विरोधी पक्ष देश की बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिक्स मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इन सब बातों का उल्लेख दिये बिना व्यवस्था का प्रश्न उठाइए।

श्री पी० जी० मावलंकर : अगर आप पिछले छः दिन की कार्यवाही का अध्ययन करें और देखें कि क्या क्या कहा गया है तो देखेंगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सर्वथा मेरे औपचित्य के प्रश्न के अनुकूल है। मैं पुनः कह सकता हूं कि यद्यपि इन लोगों की संख्या इस सभा में थोड़ी है परन्तु मैं मतदाताओं की बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी थी परन्तु अब आप भाषण दे रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : कल कांग्रेस के एक सदस्य ने गंभीर टिप्पणी की थी। उन्होंने श्री वाजपेयी के भाषण का उल्लेख किया और तब श्री वाजपेयी ने कहा कि हम तब तक सभा की कार्यवाही आगे नहीं चलने देंगे जब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा-पटल पर न रखा जाये (**व्यवधान**)। मैं इस बात पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मेरे निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रमुख मामलों में दो बातें है। पहली बात यह है कि अध्यक्षपीठ को यह तय करना है कि क्या गत सत्र तथा इस सत्र के आरम्भ में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन क्रियान्वित हुए हैं अथवा नहीं। विधि मंत्री के 3, 4, 5 और 9 तारीख को दिये गये भाषण परस्पर विरोधी हैं। इस पर आप अपना निर्णय दें।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न भाषण न होकर व्यवस्था का प्रश्न ही होना चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरी दूसरी बात यह है कि सरकार ने जानबूझकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर इतनी शीघ्रता से कार्यवाही की है । जब 11 नवम्बर को सत्र आरम्भ होने वाला था और सरकार ने उसी दिन जानबूझकर इस मामले को न्याय निर्णयाधीन बना दिया ताकि सभा को इस पर विचार-विमर्श करने के अवसर से वंचित रखा जाये । अध्यक्षपीठ इस पर अपना स्पष्ट निर्णय दें । मेरा सुझाव है कि अध्यक्षपीठ को सभी दलों के सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए । यदि सरकार सच्ची है तो वह सच्चाई से क्यों डरती है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है । मुझे सभी बातों पर विचार करना होगा । मैंने अभी यह मामला समाप्त कर दिया है । मैं इस पर कभी बाद में अपना निर्णय दूंगा ।

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Deputy-Speaker *in the chair*]

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधि-सूचनाएं

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं श्री ओम मेहता की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 20वां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 467 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 21वां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां० नि० 468 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 22वां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 469 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) 5वां संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 470 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(5) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छटा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 471 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(6) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 472 (ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०8580/74] ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 664 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 नवम्बर 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8581/74]**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8582/74]**।

भारतीय तार (9वां संशोधन) नियम, 1974

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (9वां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1132 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8583/74]**।

काफी (संशोधन) नियम, 1974, टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1974), प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के बारे में सरकारी संकल्प तथा एक विवरण

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1163 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8584/74]**।

(2) टैरिफ अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:-

(एक) (क) रेशम उत्पादन उद्योग को संरक्षण जारी रखने सम्बन्धी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1974)।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित करने वाला दिनांक 23 नवम्बर, 1974 का सरकारी संकल्प संख्या 13(1)-टार/74 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त (एक) (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8585/74]।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और एक विवरण

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 18/47/74-जुडल में प्रकाशित हुये थे।

(दो) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) संशोधन नियम, 1974 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 18/(19)/73-जुडल में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (मतदाताओं का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1974 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 18(19)/73-जुडल में प्रकाशित हुये थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8586/74]।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

महरौली (दिल्ली) में जौनपुर गांव में मजदूरों की झुग्गियों में कथित आगजनी और आग लगाए जाने के फलस्वरूप दो शिशुओं की मृत्यु

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : श्रीमान्, मैं गृह मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"महरौली (दिल्ली) में जौनपुर गांव में मजदूरों की झुग्गियों में कथित आगजनी और आग लगाये जाने के फलस्वरूप दो शिशुओं की मृत्यु"

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): महोदय, दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 25-11-1974 को प्रातः 8-30 बजे बस्सू नामक एक व्यक्ति ने महरौली थाने में रिपोर्ट की कि महरौली के दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर दूर जौनपुर पहाड़ी पर 24-25 नवम्बर, 1974 की लगभग आधी रात को एक श्रमिक कैम्प में 25 झुग्गियां तथा तीन छप्पर जल गये। इस भीषण दुर्घटना में 26 परिवार जिनमें कुल 106 व्यक्ति थे प्रभावित हुए। इसमें दो बच्चे, एक 6 महीने का लड़का था एक एक वर्ष की लड़की जल कर मर गये। पीड़ितों का यह कहना था कि 24-11-74 को लगभग सायंकाल 8 बजे कालूराम नामक ठेकेदार ने उनसे कहा था कि वे दूसरे ठेकेदार वीर चन्द को छोड़े दें, उसकी बजाय मेरा काम करें श्रमिकों ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया क्योंकि वीर चन्द उनको अच्छी मजदूरी देता था। इस पर कालू राम ने उनको धमकी दी कि इसके गम्भीर परिणाम होंगे और वह चला गया। यह कहा जाता है कि वह लगभग आधी रात को लाठियों से लैस लगभग 10 व्यक्तियों के साथ वहां वापस आया और झुग्गियों को आग लगा दी। बताया जाता है कि शिकायत कर्ता बस्सू को अपने 6 माह के लड़के को बचाते हुए लाठी लगी थी। इसके कारण वह झुग्गी के दरवाजे के पास गिर गया। इस प्रकार बस्सू को अपने बच्चे को बचाने से रोक दिया गया जो जल कर मर गया। एक अन्य श्रमिक की एक साल की लड़की भी जल कर मर गई क्योंकि वह जलती झुग्गी में रह गई थी क्योंकि उसके माता पिता को उसके बारे में गलतफहमी थी। बताया जाता है कि अभियुक्तों ने वापस लौटते समय कुछ महिलाओं के चांदी के गहने भी उतार लिये थे।

इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस ने तत्काल थाना महरौली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436/302/147/148/149 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 349 दिनांक 25-11-74 का एक मामला दर्ज किया और वह तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचीं। बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 भी जोड़ दी गई। शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये गये और अपराध दल तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ घटनास्थल पर बुलाये गये। पुलिस अधीक्षक दिल्ली, और सब-डिविजनल पुलिस आफिसर हौज खास भी जांच का निरीक्षण करने के लिये उस स्थान पर गये। अब कालूराम ठेकेदार के बड़े भाई समेत पांच व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये हैं तथा कालूराम और शेष दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे है। शेष दोषियों को अपराधी घोषित करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है और उनकी कुल सम्पति कुर्क कर दी गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) भी घटनास्थल पर गये और राहत उपाय किये। 26 परिवारों में प्रत्येक परिवार को 50 रुपये की धन राशि तथा तीन दिन का राशन भी दिया गया। पीड़ितों के लिये वैकल्पिक अस्थायी आवास का प्रबंध किया गया और उन्हें वीर चन्द ठेकेदार

ने कुछ अग्रिम धन भी दिया । अतिरिक्त राहत उपायों के बारे में दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है । बड़े दुख की बात है कि ऐसी भयानक दुखद घटना हुई है । पुलिस शेष अभियुक्तों को पकड़ने के भरसक प्रयास कर रही है ।

श्री वयालार रवि (चिरयिकील): हम यह नहीं कह सकते कि सरकार ने शीघ्र कार्यवाही नहीं की है । सरकार ने तुरन्त कार्यवाही करके पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं । परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं ।

झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग निर्धन हैं । इन्हें एक स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पर बैठा दिया जाता है । इनके रोजगार सूरक्षित नहीं हैं । इनके लिये कोई उपयुक्त वेतन प्रणाली नहीं है । इन लोगों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है । दस बारह घंटे काम करके भी इनको मिलता क्या है ? ठेकेदार लोग इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में ठेकेदार लोग धनाढ्य हो गये हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत ने लैफ्टीनेंट गर्वनर से तीन बातों की मांग की है । पहली यह कि अपराधी पकड़े जायें और गत कार्य सरकार पूरा कर चुकी है । दूसरी राहत देना के बारे में है । 50 रुपये की राशि जो दी गई है वह अपर्याप्त है । पर्याप्त राहत प्रदान की जानी चाहिए । गृह मन्त्री को बोलना चाहिए कि सरकार इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठा रही है । तीसरी बात रोजगार की सुरक्षा की है । इन गरीब मजदूरों के रोजगार तथा जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए । लोगों का विश्वास हिल गया है सरकार को विश्वास जमाने के लिये कदम उठाने चाहिएं ।

ठेका प्रणाली, किराये के श्रमिक तथा ठेका श्रमिक और दासता पद्धति समाप्त किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? शेष अपराधियों को पकड़ने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर): ठेकेदारों के परमिट रद्द किये जाने चाहिए ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इस छोटी सी चर्चा में बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा करना संभव नहीं है । परन्तु मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि शेष अपराधियों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । ठेकेदार लोग भले ही धनाढ्य हों, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे है । जहां तक राहत देने की बात है मुझे आशा है कि दिल्ली प्रशासन इन लोगों को और सहायता देने के लिये प्रयास करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव जोशी ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : Sir, such incidents in the Capital are really not only a matter of shame but they raise certain points which I would like to place before the hon. Minister.

It has been said that the Contractors have become a new class in this country and they have become moneyed people. But the Question is as to why this poor working class is subject to continuous attrocities. This point needs consideration by the Government. The victims who were terrified by the sudden attacks could not muster courage to report the matter to the police at night. Why it is so ? This will have to be looked into.

It has been said that police patroling has been intensified. It means that patroling was there. But it is not understood as to why such a big incident could not be known.

According to the statement the prime accused is still absconding. If he is not arrested quickly it is really a matter of disgrace for Delhi Police. The prime accused should be arrested immediately and punished severely so that such incidents do not occur in future.

The quantum of relief given to the victims is inadequate. The hon. Home Minister should ensure that adequate relief meausres are undertaken within 24 hours.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मुझे अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति और पकड़ लिया गया है । यह छटा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कालूराम का क्या हुआ ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : उसे भी गिरफ्तार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही की जा रही है । जहां तक पुलिस की जांच का सम्बन्ध है, उपयुक्त साक्ष्य विद्यमान थे इस लिये मामला न्यायालय में भेज दिया गया है ।

इस पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत 58 किलोमीटर क्षेत्र आता है । बहुत से गांव इस में आते हैं । पुलिस की गश्त प्रति दिन होती है परन्तु वे एक ही गांव में प्रत्येक दिन नहीं जा सकते । इस क्षेत्र में 21 तथा 22 तारीख को भी पुलिस की गश्त थी ।

जहां तक राहत देने की बात है 50 रुपये के हिसाब से तो इन्हें दे दिया गया है तथा चावल आदि के रूप में दूसरे प्रकार की राहत सहायता भी इन्हें पहुंचाई गई है। अन्य राहत कार्यों की ओर दिल्ली प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जायेगा।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : Sir, such incidents have become the order of the day. Jhuggi-Jhonpries of the poor people are burnt and the administration is showing its negligence towards the incidents. No harm can be done to these people if the Government makes arrangements for their housing.

May I know whether the workers or the Contractor Shri Vir Chand lodged a complaint with the police before this incident took place, if so, whether any action by the police has been taken so far, if not why ?

There is a provision of license for the contractors and the rules of the licences have to be followed. If there does not exist any such provision may I know whether the Government will enact such a legislation so that workers may not be subjected to harassment by the contractors ?

The Government should make arrangements for permanent housing facilities for these workers. Will the Government arrange for such facilities, if so, in what form ? May I know whether the Government propose to constitute a committee to find out the elements behind such incidents ? The Government should take stern steps to see that there is no recurrence of such incidents in future.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : कालूराम ने रात्रि में 2.30 बजे आकर उन्हें धमकी दी थी। यह घटना आधी रात के समय घटी। पुलिस स्टेशन घटनास्थल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां गोली चलने की घटना हुई और लोग भ्रामक से हो गये। पुलिस स्टेशन दूरी पर होने के कारण लोग वहां नहीं जा सके। मैं सदन को इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि दोषी व्यक्ति चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी।

इस झुग्गी झोंपड़ी कालोनी में पहले कभी कोई कठिनाई नहीं हुई है। कालूराम मजदूरों को कहीं बाहर से लाया था जब बरिचन्द ने उन्हें अधिक वेतन देना स्वीकार किया तो वे उसके पास चले गये। सम्भवतया कालूराम को गुस्सा आया और उसने यह सब कुछ किया। हमें अत्याचारों का समुचित रूप से सामना करना होगा।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर): प्रति दिन हम अखबारों में हरिजनों को कत्ल करने के समाचार पढ़ते हैं। आज देश में हरिजनों को मारने पीटने, उनकी झुग्गियां जलाने के कई समाचार हमें पढ़ने को मिलते हैं। सरकार इन घटनाओं की ओर ध्यान नहीं देती। वास्तविकता तो यह है कि पुलिस भी गुंडों के साथ मिली हुई है। इनकी सहायता से गुंडे कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाते। संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है। सरकार ने इस दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को केवल 50–50 रुपये दिये हैं। यह गरीबों के साथ उपहास नहीं तो और क्या है? सरकार सिर्फ़ मगरमच्छ के आंसू बहाना जानती है। सरकार ने प्रचार विभाग के माध्यम से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : सरकार मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रही है। यह कहना सही नहीं है कि पुलिस गुंडों के साथ है। माननीय सदस्य ऐसा कह कर पुलिस को हतोत्साहित कर रही है। सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिये प्रभावी कार्यवाही कर रही है। हमें उनको इस कार्य में प्रोत्साहन देना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि राहत की राशि पर्याप्त नहीं है परन्तु यह राहत तत्काल मौके पर दी गई थी; और राहत देने पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : झुग्गी झोंपड़ी निवासियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। हम सदस्यों का चुनाव यही लोग करते हैं। आज सुबह उस क्षेत्र से कुछ लोग मेरे पास आये और उन्होंने बताया कि ठेकेदार कालूराम ने उनको धमकी दी कि वे उनके दल में शामिल हो जायें नहीं तो उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या इस आशय को कोई रिपोर्ट महरौली थाने में दर्ज करवाई गई थी? यदि हां, तो क्या निवारक कार्यवाही की गई थी? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन श्रमिकों पर मजूरी अधिनियम, श्रमिक अधिनियम, मुआवजा अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता। ये श्रमिक ठेकेदार की कृपा पर आश्रित हैं।

क्या दो निरीह शिशुओं की हत्या और घरों को जलाने की घटनाओं को देखकर सरकार की आंखें खुली हैं? क्या सरकार उनके बारे में श्रमिक अधिनियम लागू करेगी ?

मुझे यह भी पता है कि श्री कालूराम ने एक सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर रखा है जो अपने प्रभाव से कालूराम को ठेके दिलवाता था। क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

गृह मन्त्री को स्वयं घटनास्थल पर जाना चाहिए और मजदूरों को सान्तवना देनी चाहिए। राहत की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक कर दी जानी चाहिए।

क्या सरकार झुग्गी निवासियों की दशा के बारे में कोई जांच करवायेगी ? बड़े बड़े ठेकेदार ये झुग्गियां 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक बेच देते हैं और इन झुग्गियों में अवैध रूप से देसी शराब बनवाते हैं। क्या सरकार इन सब बातों की जांच करवायेगी ? मन्त्री महोदय को श्रम मन्त्री से परामर्श लेना चाहिए ताकि श्रमिक नियम क्रियान्वित की जा सकें।

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उपराज्यपाल ने इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की। मैं श्री भगत को भी धन्यवाद देता हूं कि वे स्थिति के प्रति जागरुक रहें। मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि श्रमिकों के प्रति न्याय किया जायेगा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्रमिकों ने ठेकेदार कालूराम के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो पुलिस सतर्क हो जाती। फिर भी इस दुर्घटना पर मुझे खेद है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मजदूरों पर श्रमिक नियम लागू होते हैं अथवा नहीं। जहां तक झुग्गियों के सुधार का प्रश्न है इसके बारे में निर्माण और आवास मंत्रालय ने एक योजना बनाई है।

मैं रविवार से पूर्व घटनास्थल पर जाऊंगा और वहां के निवासियों से बातचीत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समिति के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव के बारे में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भाषण देंगे।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : पहली नवम्बर को मूल्य-वृद्धि विरोधी महिला समिति ने लाल किले पर प्रधान मंत्री के भाषण के दौरान प्रदर्शन किया था जिस पर प्रधान मंत्री ने आरोप लगाया था कि यही महिलायें जमाखोरी और चोरबाजारी के लिए उत्तरदायी हैं। वास्तविकता यह है कि यह नौकरी करने वाली महिलायें हैं और प्रधान मंत्री की टिप्पणी के विरुद्ध ये महिलायें प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर धरना देने गईं परन्तु उन्हें निवास स्थान से एक मील दूर ही पुलिस ने रोक दिया (**व्यवधान**)।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

इलायची बोर्ड

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश 1974, (1974 का अध्यादेश संख्या 12) के निरनुमोदन के बारे में सांवधिक संकल्प और रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE SICK TEXTILE 'UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE 1974 (ORDINANCE NO. 12 OF 1974) AND SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

श्री कृष्ण चंद्र हालदर (औसग्राम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक के प्रभारी सदस्य कहां हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक मंत्री के स्थान पर किसी अन्य मंत्री को कार्य करना हो तो मुझे अवश्य सूचित किया जाना चाहिए।

Minister of state in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya) : Sir, I was drinking water in the Lobby and on hearing you I rushed in side. So, I was not at fault.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक के प्रथम वाचन के लिए कितना समय आबंटित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आम चर्चा के लिए 4 घंटे तथा खंडवार चर्चा एवं तृतीय वाचन के लिए 2 घंटे रखे गए हैं।

श्री पी० एस० मेहता (भावनगर) : यह विधेयक श्रमिक-विरोधी है। इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को पुनर्गठित करने तथा पुन:स्थापित करने के लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपड़ा मिलों के संबंध में मालिकों के अधिकार, नाम और हितों का अधिग्रहण तथा हस्तान्तरण करने हेतु उपबन्ध करना है ताकि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों तथा धागों के उत्पादन को बढ़ाकर तथा उचित मूल्य पर उनका वितरण करके आम जनता के हितों का ध्यान रखा जा सके।

सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के मूल कारणों पर ध्यान नहीं दिया है। और वह पूंजीवादियों पर बहुत अधिक जोर दे रही है। विधेयक के अध्याय 2 के खंड 5 उपखंड (2)(क) में जो व्यवस्था की गई है वह श्रमिकों के हित में नहीं है।

सदन को याद होगा कि वर्ष 1968 में मिल मालिकों ने वित्तीय संकट का बहाना लेकर अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिए थे और मिलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया था। सरकार को औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत मिलों को अपने हाथ में लेने के लिए विवश किया गया। जांच समितियां नियुक्त की गई और उनकी सिफारिशों के अनुरूप सरकार ने इन मिलों को अपने हाथ में ले लिया।

मजूरों को मजूरी नहीं दी गई उन्हें बोनस नहीं दिया गया तथा प्रबन्धकों द्वारा उन्हें अन्य इसी प्रकार की अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अध्यादेश तथा विधेयक दोनों में ही इन सुविधाओं के लिए अपेक्षित व्यवस्था नहीं की गई है।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह अनिवार्य है कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा की जाए, उन्हें अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध करवाई जायें। अत: इस दृष्टि से इस विधेयक में संशोधन करना अपेक्षित ही है।

102 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तथा उन्हें 39,18,13,000 रुपया दिया जा रहा है। पैरा 2 के अनुसार उन्हें 2,000 रुपया प्रति मास देना पड़ेगा तथा पैरा 3 के अनुसार उन्हें 13,06,000 रुपया प्रतिमाह देना पड़ेगा। अत: मालिकों को जहां इतना अधिक मुआवजा दिया जा रहा है, वहां श्रमिकों को उनके श्रम के लिए उचित सुविधायें आदि देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। विधेयक में श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित व्यवस्था की जानी चाहिए।

जहां तक कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों का संबंध है, 7000 श्रमिक केवल अहमदाबाद में ही बेरोजगार हो गये हैं। क्या ऐसा करने से उत्पादन में वृद्धि हो पायेगी ? जहां तक नियंत्रित कपड़े की बिक्री का प्रश्न है, उसके उचित वितरण के लिए भी सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि वह शहरों तथा ग्रामीण—दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जा सके।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as the nationalisation of 103 Textile Mills is concerned, I must express my gratitude to the mill owners who reduced their mills to such a deplorable condition that our Government thought of nationalising the same. The mills are being nationalised because today they are not in a position to be run and their owners have sucked every possible profit out of them. Out of the 103 mills which have been nationalised, there is not even a single mill which is without its sister concern. The earnings of one mill have been invested into the other. These mill owners are always at the back and call of the Government—whenever there are elections. That is why Government is always considerate towards them. But my submission is that clause 5 should continue in the Bill to protect the interests of workers.

Under the provisions of the Companies Act, no mill owner can split up the earnings and profits of his mill according to his discretion. There are certain restrictions on him. Had the Government machinery been properly vigilant, the provident fund of the workers would have been paid by the mill owners. Now our main point of concentration should be whether we can nationalise the whole of textile industry or not ? We must have a look on our short-comings and after pluging up the same we should strengthen our management for the complete nationalisation of textile industry. We should take a policy decision in this matter.

We must think how much variation we want between raw cotton and finished goods ? Today cotton is sold at the rate of rupees 2 to 4 per kg. but finished goods are sold at the rate of 2000 rupees. This is not justified and proper attention should be given to this aspect also. The profit of mill owners should be fixed.

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोग्रा) : कुछ मिलों का प्रबन्ध कार्य पहले ही सरकार के हाथों में था तथा उनके बारे में अध्यादेश लाने की विशेष जल्दी नहीं थी । उस दिन मंत्री महोदय ने कारण बताते हुए कहा कि कुछ न्यायालयों के आदेशों के फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण कार्य में कुछ रुकावटें आईं । इसीलिये उन्हें अध्यादेश जारी करना पड़ा । हमें कुछ भी कार्य करते समय न्यायालयों के साथ अनावश्यक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए ।

रुग्ण कपड़ा मिलों के सरकार के हाथों में लिए जाने के बारे में चर्चा के समय, हमने अभ्रक खानों के राष्ट्रीयकरण की आवाज सुनी । चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात पहले ही उठाई जा चुकी है । अतः मैं इस सन्दर्भ में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपने सीमित संसाधनों का उपयोग इसी प्रकार के ढर्रे ढांचे आदि खरीदने में ही लगाना चाहती है ? रुग्ण कपड़ा मिलों की रुग्णता का कारण सरकार ने बताया कि ऐसा कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप हुआ है । अब जब यह मिलें सरकार के हाथ में हैं, तो उसमें इस प्रकार की शिकायत नहीं रहनी चाहिए ।

विधेयक के अनेक पहलू ऐसे हैं जहां कथनी तथा करनी में अन्तर लगता है । सरकार सामान्यतः जनता को नियंत्रित मूल्यों पर कपड़ा देने के लिए कटिबद्ध है । अब सरकार द्वारा चलाई जा रही रुग्ण कपड़ा मिलों की उपलब्धि क्या है ? अब जबकि उत्पादन 5830 लाख मीटर टन से बढ़कर 8060 लाख मीटर टन हो गया है, नियंत्रित कपड़े के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि नहीं हो पायी है । सरकार द्वारा प्रबन्धकों को 39 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है परन्तु खेद की बात यह है कि श्रमिकों, जिनके परिश्रम के फलस्वरूप यह मिलें खड़ी हुई हैं, के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । यह बहुत असहनीय है ।

संसद एक ऐसी संस्था है जो सरकारी खर्चे की मंजूरी देती है । हम यह जानना चाहते हैं कि 39 करोड़ रुपये किस प्रकार बने । सरकार स्वयं यह बात मानती है कि मिलों में लगी हुई मशीनें सदियों पुरानी हैं । फिर इतना अधिक मुआवजा किस आधार पर दिया जा रहा है, सरकार ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है ।

हमें मालूम है कि हमारे कपड़ा उद्योग में दो वर्ष कार्य ठीक ढंग से चला परन्तु अब स्थिति फिर बदल रही है । स्टाक में वृद्धि होती जा रही है और रुई के मूल्य कम हो रहे हैं । भारत जैसे गरीब देश के लिए कपड़े की 3,000 किस्में बनाना भला कहां तक उचित है । स्टेपल काटन का आयात, निर्यात के नाम पर किया जा रहा है परन्तु वास्तव में कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत भाग का निर्यात भी नहीं किया जा रहा है । केवल 14 प्रतिशत कपड़ा ही नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जा रहा है । मिलों का आधुनिकीकरण करते समय सरकार ने उन पर 46 करोड़ रुपया व्यय किया है परन्तु इसके बदले में व्यर्थ जा रही हमारी जनशक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है । आज हमारे देश में

लोगों की अपनी आजीविका कमाने के लिए मजूरी की आवश्यकता है अतः इस ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अब जब रुग्ण कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण का कार्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, तो जहां कहीं भी रुग्णता के संकेत मिले, सरकार को तुरन्त उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। सरकार ने जिन 103 कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है, उनका शीघ्र ही आधुनिकीकरण कर दिना जाना चाहिए अन्यथा कुछ वर्षों के बाद उनकी स्थिति और खराब हो जायेगी।

आज हमारे देश में 60 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी बनाई जा रही है। इसमें से 30 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी का निर्यात कर दिया जाता है। हमें अपने देश की कपड़ा उद्योग से संबद्ध मशीनरी की आवश्यकता को देश में बनी मशीनरी से ही पूरा करना चाहिए। हमारे ही देश में 120 करोड़ रुपये की मशीनरी का उत्पादन किया जा सकता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि देश में काटन का आयात भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देश में बढ़िया किस्म के लम्बे रेशे वाले काटन का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार को काटन के मूल्य निर्धारित करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि काटन उत्पादकों को उत्पादन का उचित लाभ मिल सके।

हम भारत में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ उप-निगमों की स्थापना भी की जा रही है। मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में छः कपड़ा मिलें हैं तथा कम से कम एक उपनिगम हैदराबाद में भी स्थापित किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बैंकों को गारंटी आदि देकर या प्रत्यक्ष रूप में उनमें 6 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई है। अतः यह राशि उन्हें लौटा दी जानी चाहिए। मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि श्रमिकों का उपदान, उनकी भविष्य निधि तथा वेतन आदि का भुगतान पहले किया जाना चाहिए तथा उसके उपरान्त यदि कुछ धनराशि बचे, तभी वह मिल मालिकों को दी जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि एक प्रकार से यह रुग्ण उपक्रमों को नया जीवन देने का ही प्रयास है। सरकार को राष्ट्रीयकृत मिलों का प्रबन्ध-कार्य तथा कार्यकरण इस ढंग से चलाना चाहिए कि वह अन्य कपड़ों उपक्रमों के लिए एक नमूना सिद्ध हो।

सब से पहला प्रश्न मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि उसे अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ा। 24 सितम्बर, 1974 को अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। जब कोई रुकावट ही नहीं थी तो सरकार ने अध्यादेश क्यों जारी किया ? क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि इन संकटग्रस्त मिलों की समस्याएं क्या हैं और जब तक संकटग्रस्तता के कारणों का पता नहीं लगाया जाता, तब तक इन मिलों को अपने अधिकार में लेने और लाभदायक रूप से चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। अतः इस दृष्टि से यह विधेयक अपूर्ण है क्योंकि यह समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचता।

मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप बताइए कि क्या इन संकटग्रस्त मिलों के मालिक या प्रबंध निदेशक के पास कोई रोजगार नहीं। क्या वह बेरोजगार हो गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन संकटग्रस्त मिलों के मालिक कोई 'संकट' में नहीं है। वह ऐशो-आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। आप उनके खाने पीने व रहने के ढंग को देखिए। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, अपितु वह अपेक्षाकृत अधिक खर्च कर रहे हैं। अगर वह खुद कठिनाई में होते, तो वह इन सब विलासिताओं पर कैसे व्यय कर सकते थे। उनका अपने लिए और मानदंड है और अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कुछ और। उपक्रम संकटग्रस्त कैसे हुए, इसका स्पष्ट उत्तर है—श्रमिकों का सहयोग न देना तथा लाभ का अनुसंधान आदि में उपयोग न किया जाना। जब तक हम इन सब पहलुओं पर विचार नहीं करते, तो इस विधेयक से कुछ नहीं होने वाला है।

सरकार का संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लेने का अच्छा उद्देश्य है। किन्तु यह राष्ट्रीयकरण पूरा राष्ट्रीयकरण न होकर आंशिक राष्ट्रीयकरण है। केवल संकटग्रस्त मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है किन्तु क्या सरकार इन संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लेकर उनका आधुनिकीकरण करेगी, उनमें नई मशीनरी लगायेगी ? क्या औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनायेगी और क्या श्रमिकों को लाभ में भागीदार बनाया जाएगा ? श्रमिकों को लाभ में भागीदार बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें प्रबन्ध में भी स्थान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके विधेयक में इस प्रकार का भी कुछ प्रावधान है ?

जहां तक मिल मालिकों को मुआवजा देने का प्रश्न है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। किन्तु मुआवजे के रूप में मिल मालिकों को बड़ी राशि देने और श्रमिकों को कुछ भी न देने का मैं विरोध करता हूं। यह अन्यायापूर्ण अनैतिक और आपत्तिजनक है। इस देश के श्रमिक इसे कभी बरदाश्त नहीं करेंगे। विशेषकर मेरे शहर अहमदाबाद में श्रमिकों को यह बात कदापि सहन नहीं होगी। मुआवजा देने की समस्या पर विचार करते समय हमें श्रमिकों को उनकी देय राशि, मजूरी, बोनस उपदान आदि को भुगतान के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए। इन्हें इसका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का संबंध है, यह कार्य सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ तथा नैतिक उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिए। अन्यथा राष्ट्रीयकरणा का कोई लाभ नहीं होगा।

क्या सरकार ने कोई समान कपड़ा नीति बनाई है। मेरे विचार में कोई भी ऐसी तर्कसंगत नीति नहीं बनाई गई जोकि समाजिक न्याय के सिद्धांतों और आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

इस विधेयक की पहली सूची में पृष्ठ संख्या 22 पर मद संख्या 34 में, चमुंडामात, असरवा रोड अहमदाबाद पर स्थित एक फाइन निटिंग मिल का उल्लेख है। उसको भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है जबकि मेरी जानकारी के अनुसार न तो यह उपक्रम संकटग्रस्त है और न ही यह कपड़ा मिल है। यह तो एक होजरी एकक है। सरकार ने इसे अपने अधिकार में क्यों लिया है? इस मामले की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मिलें संकटग्रस्त नहीं हैं, अर्थात् लाभ कमा रही हैं, उनकी स्थिति क्या है। गत दो महीनों में अहदाबाद में 7000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि कई मिलों में तीसरी शिफ्ट समाप्त कर दी गई है। अहमदाबाद की 66 वर्तमान मिलों ने पिछले दो-चार सालों में करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है। क्या इस लाभ में कर्मचारियों को कुछ हिस्सा दिया गया है? क्या कर्मचारियों का कुछ भाग्य सुधरा है? कर्मचारियों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकार को उन्हें तीसरी शिफ्ट खोलने के लिए मजबर करना चाहिए ताकि मजदूर अपने काम पर वापिस लौट सकें।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तरपूर्व): हाल ही में इस सभा ने राष्ट्रीयकरण पर अनेकों विधान पारित किए हैं और सदन के दोनों पक्षों ने उनका स्वागत किया है। इस विधान में केवल अनुसूची दो को ही जिसमें कर्मचारियों के हकों का प्रश्न निहित है, आलोचना नहीं की जा रही। अनुसूची एक के अनुसार संकटग्रस्त मिलों के मालिकों को दी जाने वाली राशि पर हमें कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो इस बात की चिंता है कि मजदूरों के दावों को अनदेखा किया जा रहा है। पहले के राष्ट्रीयकरण संबंधी कानूनों में उनको बकाया राशि सबसे पहले दी जाती थी। परन्तु अब यह पहली बार है कि सरकार अपने दायित्व से पीछे हटी है। यह एक गंभीर बात है। सरकार अपने इस तरीके के प्रति होने वाले विरोध पर ध्यान देकर मजदूरों की बकाया राशि का दायित्व संभाले। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए वचनों का पालन किया जाए। मैं बम्बई क्षेत्र का हूं और बम्बई एक बड़ा टैक्सटाईल केन्द्र है। तब यह कपड़ा मिलों के अधिग्रहण का विधान नहीं बना था। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सरकार ने कुछ विधान बनाए। उनमें से 1963 का विधान, 1972 का औद्योगिक अधिनियम इत्यादि आते हैं और अब यह 1974 का उपाय हमारे समक्ष है। केन्द्र सरकार से भी पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया। श्रमिकों को आश्वासन दिए गए। वचनों के आधार पर वचन दिए गए और श्रमिकों ने महाराष्ट्र सरकार को सहयोग दिया। जब इन बंद मिलों को चालू किया जाना था, तो उनके महंगाई भत्ते में कटौती की गई चूंकि श्रमिकों को वचन महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार उन वचनों को पूरा करेगी? राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के अधीन श्रमिकों के दायित्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महाराष्ट्र सरकार अन्य किसी राज्य की अपेक्षा सबसे अधिक मिलें चला रही है। 103 मिलों में से 6 वास्तव में इस राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिकार में नहीं हैं। 97 मिलों में से जो कि सरकार के अधिकार में प्रबंध हेतु हैं किन्तु केवल 33–34 मिलें ही वास्तव में उनके पास हैं। 59–60 मिलों का नियंत्रण 7 राज्य कपड़ा निगमों द्वारा किया जा रहा है जिसमें महाराष्ट्र सरकार का अन्य सभी राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक मिलों से संबंध हैं। महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम 21 मिलें चला रहा है। इस निगम ने 25 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपये लगाये हुए हैं। महाराष्ट्र कपड़ा निगम की राशि न केवल 1972 के प्रबंध विधान के बाद लगायी गई है। उससे पहले भी मिलों को बंद होने से बचाने के लिए उत्पादन तथा रोजगार बनाये रखने के लिए करोड़ों रुपये की राशि लगाई गई थी। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगायी गई राशि की सुरक्षा की जायेगी।

महाराष्ट्र विधान सभा ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि इन मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हस्तांतरित न किया जाए। क्योंकि महाराष्ट्र कपड़ा निगम ने इनको लाभ-प्रद मिलों की स्थिति में लाया है। अब राष्ट्रीय कपड़ा निगम बिना पहले धन लगाये इससे लाभ उठाना चाहेगा। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जाएगा। यह धारा 11 के अधीन किया जा सकता है और इसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जब आप संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो आप देश के लोगों को यह आशा न दें कि आपने राष्ट्रीय कपड़ा नीति को स्पष्ट कर दिया है। आपने राष्ट्रीय कपड़ा नीति को व्यापक और समेकित ढंग से स्पष्ट नहीं किया है। इस नीति को विशेष ढंग से स्पष्ट किए बिना चाहे वह निर्यात, स्टैंडर्ड कपड़े, पर्याप्त सप्लाई के बारे में हो, यह उपाय इसमें उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और देश के एक प्रमुख उद्योग के साथ इसका सम्बंध है। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की नीति इस बारे में अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। देश में कपड़ा

[**श्री इस्हाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambhali *in the Chair*]

उद्योग में आज इस प्रकार की स्थिति है कि यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आज सारा कपड़ा उद्योग रुग्णावस्था में ही नहीं अपितु इसने अपनी मांगें मनवाने के लिए गुण्डागर्दी के तरीके अपनाये हैं। हम पर मन्दी की स्थिति लादी गई है। पिछले 2–3 वर्षों में अत्याधिक लाभ कमाये गए। इस स्थिति में सरकार को सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

गत कुछ वर्षों में सरकार ने रुग्ण मिलों को अपने अधिकार में लिया। राष्ट्रीय कपड़ा निगम का गठन किया गया और अब इन मिलों का उत्तरदायित्व इस निगम को सौंपा जा रहा है। परन्तु इस बारे में समझ न आने वाली बात यह है कि इस निगम को औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन क्यों रखा गया है? लगभग 1 वर्ष पूर्व यह निगम निदेश व्यापार अथवा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन था। मैं इस बात के इतिहास की ओर नहीं जाना चाहता। परन्तु इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि सारा कपड़ा उद्योग एक ही मंत्रालय के अधीन होना चाहिए। कपड़ा उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। कपड़ा नीति का निर्धारण उक्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। परन्तु इन रुग्ण कपड़ा मिलों का नियंत्रण उस निगम को सौंपा गया है, जो औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन है।

कपड़ा उद्योग में आज बनावटी मन्दी है। अहमदाबाद में कई मिलों ने तीसरी पारी ही नहीं बन्द कर दी है, अपितु अनेकों ने दूसरी पारी भी बन्द करना प्रारम्भ कर दिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो रुग्ण मिलें है जो प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात अच्छी चल रही थीं। परन्तु गत दो तीन मास में उनमें ही नहीं अन्य मिलों में भी स्टाक जमा हो गया है। यह सभी मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा राज्य कपड़ा निगमों द्वारा चलाई जा रही हैं। इनके समक्ष संकट उपस्थित है। प्रबन्ध ग्रहण की गई मिलों में जबरन छुट्टी की जा रही है अथवा की जायेगी और शीघ्र ही छंटनी भी प्रारंभ हो जाएगी। इसी कारण मेरी मांग है कि एकीकृत कपड़ा नीति होनो चाहिए। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सम्पूर्ण कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। परन्तु यदि इस प्रकार के अपूर्ण उपाय ही किये जाते रहे, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

जहां तक प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व अवधि के लिए श्रमिकों के दावों की बात है, मेरा विचार है कि सरकार ने सदन में दिए गए विभिन्न विचारों पर गंभीरता से विचार किया है। जिन सदस्यों का संबंध श्रमिक आन्दोलनों से रहा है वह मानते हैं कि प्रबन्धग्रहण अवधि से पूर्व के बारे में श्रमिकों के दावों का उत्तरदायित्व सरकार को स्वीकार करना चाहिए। श्रमिकों के दावों की राशि को मिल मालिकों को अदा की जा रही क्षतिपूर्ति में से काट लिया जाये। यह संसद की सर्वसम्मत मांग है। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो सारे देश एवं सारे विश्व को यह स्पष्ट हो जायेगा। कि सरकार इस संसद की मामूली सी चिन्ता भी नहीं करती। यह सरकार के सन्मुख एक चुनौती है। इसके आधार पर ही सरकार के 'गरीबी हटाओ', समाजवाद आदि के नारों की परीक्षा होगी। अतः सरकार को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूं। मैंने इस बारे में पूर्व सूचना भी दी थी। अतः मुझे अवसर दिया जाए।

Mr. Chairman : Your name has been received through Parliamentary Notice office, whereas it should have come through your Party whip, as you belong to a Party. This is not good. You should approach through your Party whip. However, I would try to accommodate you if there is some time left.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : When the sick mills were taken over, the matter relating to dues of workers was referred to the Attorney General of India. He gave his clear opinion that it will be the liability of the National Textile Corporation to pay gratuity and pension with regard to the employees transferred to the Corporation after the taking over of the management by the Central Government. But this thing is missing from this Bill. Are we going to wash out the rights and liabilities of the workers ? It is not fair. These should be protected. In fact the labour of 1,65,000 workers should also be nationalized alongwith the nationalization of 103 sick Mills.

Owners of 103 mills are being given a compensation of Rs. 49 crores. What for this amount is being given. They have already much from these Mills. Hence they should not be paid any compensation. The Government needs lot of funds for running, maintaining and rehabilitation of these Mills. Hence this payment of Rs. 49 crores to those who have brought these mills to 'sick' position is not good. In the present circumstances of the country, this payment should not be made.

1,65,000 workers are looking towards Government for a fair treatment. They should not be deprived of their dues. Their rights and liabilities should instead be given preference.

Shri Ishwar Choudhary (Gaya) : The taking over of sick mills is a good thing though it is a belated step. Government should pay attention towards Management also. Workers and Harijans are being deprived of jobs. Common people are not getting cloth at fair prices. The Government should pay its attention towards these aspects. It should ensure that there is proper distribution of cloth, people get jobs and then there is no politics in the management. There was a Textile Mill in Gaya which was closed for a long time. The Government has now appointed a custodian for this Mill. This custodian was previously working as a custodian in Kalyanji Mill at Indore. He had mis-appropriated large amounts of provident funds of workers. This custodian has not so far re-instated the Harijans in the Mill. Local people have not been given even 5% jobs. Recruitment is not made through Employment Exchange. There are about 4,000 weavers in my area who operate Handlooms and Powerlooms. There is no arrangement for providing them yarn.

This custodian is also using a number of under hand methods to acquire personal gains. Government objectives can not be achieved in these pays. Enquiry should be held about his appointment and good people should be appointed in the Managing Committee. Such things should be avoided in other 103 sick mills.

So far as payment of compensation is concerned, it should be made. Mill owners have not become poor due to this take over. Provident Funds dues should be deducted from this amount of compensation and paid to workers.

Shri H.K.L. Bhagat (East Delhi) : I welcome the Bill which seeks to nationalise 103 textile mills because it will provide employment to 1,65,000 workers. This is a step in the right direction.

Country is passing through grave economic crisis. Even in this difficult situation, textile magnates are deliberately closing down mills because their earlier heavy profits have been somewhat reduced. This deliberate closure of mills is doing great harm to the country. Take over of such mills is no solution to the problem. The Government should take suitable action against such mill owners who deliberately close down their mills. The Government

must pay a serious thought to this matter and take necessary steps to check this tendency to close down mills.

Government will be doing great injustice to the workers if it does not take responsibility for payment of pre-take over dues of workers. The interests of the workers should be kept in mind and their pre-take over dues paid.

Government has also taken over Ayodhya Textile Mill. The management of this mill is functioning in an arbitrary manner. Certain workers have been dismissed without serving any charge sheet or notice to them. A representation has been given to the Ministry by the workers. Delhi Administration, which holds 49 per cent shares in the mill is also sympathetic to the cause of the workers but the management is not caring for the views of even Delhi Administration which is indeed a serious matter. The Hon. Minister should look into the matter and help the workers.

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा का समय बढ़ाने का अनुरोध करूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं । कल लाईसेंस घोटाले पर कोई चर्चा नहीं होगी । कल दिन को 12 बजे के बाद हम इस विधेयक पर आगामी चर्चा कर सकते है ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं, बशर्ते कि मंत्री को बोलने के लिए कुछ समय दिया जाए ताकि कल भी सामान्य चर्चा चल सके ।

श्री एस०एम० बनर्जी : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि सरकार इसके द्वारा 103 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है । सरकार को बिना कोई देरी किए सभी कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए । इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद के समय के हितों को तो सरकार ने रक्षित किया है, लेकिन उसे राष्ट्रीयकरण से पूर्व के कर्मचारियों के हितों को संरक्षण देना चाहिए ।

इस विधेयक में 'उपदान' और पेंशन की परिभाषायें दी गई हैं लेकिन इसमें भविष्य निधि को छोड़ दिया गया हैं । भविष्य निधि का संरक्षण भी किया जाना चाहिए ।

कपूर मिल और यू० विक्टोरिया मिलें, जो कानपुर में सरकार के नियंत्रण में है, के कर्मचारियों को भी राष्ट्रीयकरण से पूर्व के वेतन नहीं मिले । इन मिलों के काम की उचित जांच की जानी चाहिए । दी लक्ष्मीरतन काटन मिल ने भविष्य निधि कोष की राशि अदा नहीं की । इस मिल का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । कर्मचारियों का पैसा भी सब से पहले दिया जाना चाहिए । बाकि सब अदायगियां बाद में होनी चाहियें ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम भी स्थापित किया जाना चाहिए, जिसकी अनेक शाखायें होनी चाहियें । एक शाखा कानपुर में भी होनी चाहिए क्योंकि वहां 11 मिले हैं ।

प्रबन्ध के लिए भी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाना चाहिए । यह नीचे से ऊपर तक सभी स्तरों पर होना चाहिये । जब तक उत्पादन और वितरण के साधनों में कर्मचारियों का सहयोग नहीं होगा, इन मिलों में उन्हीं तकनीकी लोगों को लगाया जाना चाहिए जिन्हें इस काम का कुछ ज्ञान हो । कभी कभी राजनीतिज्ञों को इन मिलों का प्रभारी नियुक्त किया जाता है । जो मिलों के बारे में जानकारी रखते हैं, उन्हें ही इसमें नियुक्त किया जाना चाहिए ।

कर्मचारियों को इनके पिछले वेतन का भी भुगतान किया जाना चाहिए । इनकी सेवाओं को भी इस विधेयक द्वारा रक्षित किया जाना चाहिए । भविष्य निधि के बारे में अनेक मिल मालिकों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए । राष्ट्रीयकरण का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी अपनी मजूरी से वंचित रहे । कर्मचारियों की मजूरी, भविष्य निधि आदि आदि रक्षित होनी चाहिए । सरकार तथा मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए । कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए !

इस विधेयक के अन्तर्गत कर्मचारियों के हितों को चोट पहुंचायी गयी है । हम कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ते ही रहेंगे ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I welcome the Bill as it will protect the interests of workers and help in augmenting production. Mill owners cared very little for the interests of workers with the result that production went down. The Government should set up

National Textile Corporation. Taking over of mills by the Government yeilded good results and there had been definite improvement in the functioning of the mills. There was also increase in the production and more employment opportunities were created. Also there was increase in the cloth export.

Mills should be moderanised with a view to increase the production and there should be cordial relations between the management and workers. No strikes should be there. Production of cloth should be increased and its distribution made proper. Nationalised mills should achieve these objectives.

Special attention should be paid towards export of cloth so that valuable foreign exchange could be earned. There should be exhibition of controlled cloth among the people so that they could recognise various varieties of cloth which will help the people in getting right type of cloth at fixed price.

श्री धामनकर (भिवन्डी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी तथा कपड़े की वितरण प्रणाली में सुधार होगा । देश के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिलेगा । विधेयक के उद्देश्य प्रशंसनीय हैं लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने में अनेक कठिनाइयां हैं क्योंकि कई बार ये मिलें पूंजी-पतियों को सौंपी जाती हैं । बेनामी के कार्यकलाप के कारण ही कुछ राष्ट्रीयकृत मिलें रुग्ण हुई हैं ।

मेरा संबंध ऐसे क्षेत्र से है जहां पर हैंडलूम तथा पावर लूम दोनों ही स्थित हैं और उन्हें सरकार को प्रिमियम देना पड़ता है । इसे रोका जाना चाहिए अन्यथा ये मिलें भी संकटग्रस्त हो जायेंगी ।

क्या सूती मिलों के राष्ट्रीयकरण से पावरलूमों और हैंडलूमों के विकेंद्रीयकृत क्षेत्रों की इकाइयों को कोई सहायता मिलेगी । मेरा निवेदन है कि इन विकेन्द्रीयकृत पावरलूमों तथा हैंडलूमों को धागा सप्लाई करने का कुछ उत्तरदायित्व इन राष्ट्रीयकृत मिलों को सौंपा जाए ।

महाराष्ट्र में कुछ मिलों का 1959 में राष्ट्रीयकरण किया गया था क्योंकि उनका दिवाला निकल गया था तथा वहां पर हजारों व्यक्ति बेकार हो गये थे । राज्य सरकार ने उन में 4 करोड़ रुपये व्यय किए तथा अब वह सुचारू रूप से चल रही हैं तथा उनमें हानि के स्थान पर लाभ हो रहा है । उन मिलों के मजदूरों को महंगाई भत्ता आदि देने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जिन मिलों का दिवाला निकलने के कारण कर्मचारियों की छंटनी की गई थी तथा राष्ट्रीयकरण के बाद जिन्हें वापस किया गया था उनकी सेवा में व्यवधान डाल दिया गया था । सेवा के उस व्यवधान को समाप्त किया जाना चाहिए । महाराष्ट्र सरकार ने 15.73 लाख रुपए व्यय किए तथा केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 88.9 लाख रुपए संकटग्रस्त मिलों के संचालन के लिए दिए थे । इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम अन्य राज्यों में सहायक संस्थाए स्थापित करेगा । परन्तु जिन राज्यों में यह कार्य पहले ही हो रहा है उनमें इसकी आवश्यकता नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : खाद्य और कपड़ा जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं । खाद्य पर चर्चा हो चुकी है ।

सौभाग्य से हमारे देश में शीतकाल केवल 3 मास का ही होता है । मन्त्री महोदय उन महीनों में अर्द्धनग्न लोगों की जो दशा होती हैं उससे परिचित हैं । इस विधेयक का उद्देश्य कपड़े के उत्पादन एवं समान वितरण की व्यवस्था करना है । देश भर की गरीब जनता मारकीन का बहुत उपयोग करती है अतएव सरकार को उसका उत्पादन बढ़ाना चाहिए ।

स्टैंडर्ड कपड़े के उत्पादन के बारे में स्थिति यह है कि मिल मालिक जुर्माना देते रहते हैं और स्टैंडर्ड कपड़े के स्थान पर दूसरे कपड़े का निर्माण करते रहते हैं । मेरा सुझाव है कि मारकीन का उत्पादन बढ़ाया जाए ।

इतने व्यापक विधेयक पर अधिक समय दिया जाना चाहिए था । इसे प्रवर समिति को इन आदेशों के साथ, कि रिपोर्ट एक सप्ताह में दी जाए सौंपा जाना चाहिए था । पता नहीं 103 मिलों के सरकारीकरण के बाद भी उन्हें संकटग्रस्त क्यों कहा जा रहा है ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतापुजा) : एक ओर तो मिलों के राष्ट्रीयकरण पर प्रशंसा व्यक्त की है दूसरी ओर इस बारे में सब ओर से तीव्र भावनायें व्यक्त की गई हैं । सदस्यों द्वारा एकमत से व्यक्त विचारों को देखते हुए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

प्रस्तुत विधेयक के संबंध में मैं समझता हूं कि सरकार ने औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के माध्यम से धीरे धीरे देश की प्रगति आरम्भ कर दी है और अब 1974 में 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

मार्च, 1971 में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों की संख्या 31 थी, 1972 में 47 और 1974 में 103 हो गई। इस प्रकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम का नियंत्रण कपड़ा उद्योग के कुल तकलों के 16 प्रतिशत पर, लूमों के 22 प्रतिशत पर और कुल श्रमिकों की 16 प्रतिशत शक्ति पर हो गया है परन्तु खेद है कि इस पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

विधेयक के खण्ड 5(1) और 5(2) की भाषा में विरोध है और यह मेरी समझ में नहीं आया है।

ये मिलें और इनके कर्मचारी कितने ही सालों से सरकारी नियंत्रण में है परन्तु इनके कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में सरकारीकरण का लाभ ही क्या है? मैं उस दृष्टिकोण की भी आलोचना करता हूं जिसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व मिलमालिकों को धन लौटाने में तो इतनी चिन्ता दिखाई जाए परन्तु गरीब श्रमिकों को देय राशि की कोई चिन्ता ही न हो। श्री मौर्य को सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए इस विधेयक में उचित संशोधन करने चाहियें।

तथापि प्रगतिवादी विधान के रूप में इसका स्वागत है।

Smt. Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : I would give my point in short and request the hon. Minister to pay adequate attention towards them.

First of all Government should come out with a clear policy to take over all essential commodities.

Secondly, Government should ensure labour participation in the management of all mills taken over by Government.

Thirdly, Government should accept liability alongwith assets of a mill.

Fourthly, I also feel that workers dues should be the first charge with Government.

Lastly, incidents such as those cited by Shri Bhagat should be avoided and matters should be set right in Ayodhya Textile Mill as soon as possible.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : Sir, I support the Six Textile Undertaking Nationalisation Bill now before the House. But I would request to incorporate the sentiments which you have towards labour, in the Bill I also feel that labour's dues should be paid to them out of the compensation which is to be paid to the owners.

The case of Cotton and Jute Mill, Gaya district was also referred to the hon. Minister and I am happy to say that 80 per cent of the retrenched labour has been reinstated and the remaining ones are also being taken back. I may also point out that there are wide prospects for its expansion and the proposal sent by C.E.O. in this regard should be approved early.

In the end I would request that action should be taken against the officer on Special Duty or complaints sent to the Textile Corporation in writing and permanent power line should be provided to this mill to curtail unnecessary expenditure.

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। खेद है कि कपड़ा उद्योग इस समय श्रमिकों पर नियंत्रण करके उनके हितों का दमन करके, सट्टेबाजी और अन्य भ्रष्ट तरीके अपना कर जनता को लूट रहा है। यह उद्योग कार्य-पारियां घटाकर सरकार को डरा रहा है और जैसा कि श्री मावलंकर ने कहा है मंदी की स्थिति नहीं है कपास बाजार में खूब पहुंच रही है।

इस उद्योग में घाटे का कोई प्रश्न नहीं है। 1961—71 की अवधि में निर्यात केवल 695 करोड़ रुपये का हुआ जबकि उसे 417 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता दी गई और सरकार को 1,343 करोड़ के आयात लाइसेंस देने पड़े . . .

सभापति महोदय : 5.40 पर हमें आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करनी है अतः आप केवल एक मिनट ही और लें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सरकार की नीति के अनुसार कपड़ा उद्योग का सुधार किया जाना चाहिए। यह विधेयक श्रमिकों के हितों के प्रतिकूल है। श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

हाल ही में त्रिवेन्द्रम में भविष्य निधि आयुक्तों की एक बैठक हुई थी। उन्होंने मांग की है कि रुग्ण मिलों में, जिन्हें राष्ट्रीयकृत किये जाने का प्रस्ताव है, कर्मचारियों की जमा भविष्य निधि तुरन्त जमा कराई जाए।

मोटे कपड़े का उत्पादन कम कर दिया गया है और मिलों ने इस बारे में अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है। सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए जिससे वे मोटे कपड़े के पूरे कोटे का उत्पादन करें।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं 103 रुग्ण मिलों के राष्ट्रीकरण सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार इन रुग्ण मिलों को बहुत अधिक मूल्य दे रही है। इन मिलों की मरम्मत करने तथा इन्हें फिर से चालू करने में बहुत रुपया लगेगा।

इन मिलों का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया था तथा उसका आधार क्या था? क्या उन्होंने ऐसा केवल बही खाते देखकर ही किया था?

हमें इन रुग्ण मिलों के लिये 103 जनरल मैनेजर और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने हैं। मैं इस बारे में यह सुझाव दूंगा कि सरकार को बेरोजगार इन्जीनियर को रोजगार देने और उन्हें उचित प्रशिक्षण देने के लिये कदम उठाने चाहिएं। मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रबन्ध में तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

कम्पनियों और श्रमिकों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होने चाहियें और श्रमिकों को उनकी बकाया राशि दी जानी चाहिये। इन मिलों के मालिकों को तब तक एक पैसा भी नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि कर्मचारियों और सरकार को उनकी बकाया राशि नहीं मिल जाती।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य): चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

---

*रेलवे हड़ताल के बारे में भूतपूर्व राष्ट्रपति का वक्तव्य

FORMER PRESIDENT'S STATEMENT ON RAILWAY STRIKE

श्री समर गुह (कन्टाई): रेलवे मन्त्री ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री गिरि को यह आश्वासन दिया था कि तोड़फोड़ अथवा हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लेने वाले कर्मचारियों को छोड़कर रेल हड़ताल में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा में किसी व्यवधान को वापिस ले लिया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। श्री गिरि ने रेलवे कर्मचारियों के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था "कि रेलवे मन्त्री श्री मिश्र ने मेरी सलाह मान ली थी लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया"। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जब भी अवसर मिलेगा वह बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को फिर से सेवा में लेने तथा उनकी सेवा में पड़े व्यवधान को समाप्त करने की मांग करेंगे। एक अन्य वक्तव्य में उन्होंने सरकार से हड़ताल और गैर हड़ताली कर्मचारियों में भेद न करने का अनुरोध किया था। उन्होंने रेलवे के कार्य में शीघ्र सामान्य स्थिति लाने का भी अनुरोध किया था।

पता नहीं रेलवे मन्त्री राष्ट्रपति की सलाह को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। रेलवे मन्त्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि रेल हड़ताल के बिना शर्त समाप्त होने पर सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के मामले में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाई है।

आज रेल हड़ताल को समाप्त हुए छः महीने से अधिक हो गये हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री महोदय की टालने की नीति अभी भी जारी है। रेलवे कर्मचारियों में अभी भी तनाव बना हुआ है और रेलवे के कार्य में सामान्य स्थिति नहीं आई है। रेल मन्त्री ने अपने इस आश्वासन का पालन नहीं किया है कि तोड़-फोड़ अथवा हिंसात्मक कार्यवाही में भाग

---

*आधे घंटे की चर्चा
Half an Hour Discussion.

लेने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सब रेलवे कर्मचारियों को सेवा में व्यवधान आये बिना सेवा में ले लिया जायेगा। प्रधान मन्त्री ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि सरकार रेलवे कर्मचारियों के बारे में सभा में दिये गये आश्वासनों का पालन करेगी। मेरे प्रश्न के उत्तर में रेलवे मन्त्री ने यह बताया था कि 7690 स्थायी कर्मचारियों को वापस लिया गया है और लगभग 12,000 नैमितिक श्रमिकों को भी काम पर वापिस लिया गया है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया है कि कितने स्थायी तथा अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को अभी तक वापिस नहीं लिया गया है।

सरकार ने जोनल मैनेजरों तथा निम्न स्तरीय रेल अधिकारियों को अधिकार दिये हैं। ये अधिकारी समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। वे कुछ कर्मचारियों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। उनमें बदले की भावना व्याप्त है।

कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और गुजरात उच्च न्यायालयों ने स्थायी अथवा नैमितिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी, मुअत्तली और उन्हें सेवा से मुक्त करने को गैर कानूनी करार दिया है। फिर भी ऐसे मामलों को वापिस नहीं लिया गया है।

22 नवम्बर को मैनेजरों और रेलवे बोर्ड की मन्त्री महोदय से बैठक हुई थी। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि मन्त्री महोदय ने इसमें बताया था कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस नहीं लिया जायेगा जिनका हिंसा तथा तोड़-फोड़ के कार्यों में हाथ था और रेलवे में जिनके बने रहने से वहां अनशासन पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है तथा रेलवे के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों शर्तें बड़ी खतरनाक हैं। जोनल मैनेजर तथा निम्न-स्तरीय अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इन अधिकारों के बारे में प्रकाशित समाचार सच हैं।

आल इन्डिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव ने बताया है कि न तो केन्द्रीय स्तर पर और न ही जोनल अथवा अन्य स्तर पर रेल मन्त्रालय ने किसी प्रकार की बातचीत की है और न ही कोई संदेश भेजा है। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य स्थिति कैसे कायम की जा सकती है?

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ता रहेगा। लेकिन सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढा रही है। वेतनमानों में अभी संशोधन भी करना है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है।

सरकार यह बताये कि (एक) अभी भी बर्खास्त, निकाले गये अथवा मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है (दो) विध्वंसक अथवा हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लेने वाले कर्मचारियों के अलावा कितने कर्मचारियों के मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं (तीन) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें रेलवे कर्मचारियों को उनके क्वार्टर नहीं लौटाये गये हैं। (चार) कितने मामलों में आल इन्डिया रेलवे मैन फैडरेशन के नेताओं का स्थानान्तरण किया गया और कितनी संख्या में स्थानान्तरण किया गया। क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों से वार्ता आरम्भ करेगी? सरकार अपने आश्वासनों का कब तक पालन करेगी?

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): क्या सरकार भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री गिरि और रेलवे मन्त्री के बीच अनेक बार हुई वार्ता के बारे में संक्षिप्त रूप से बतायेगी? मन्त्री महोदय ने राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर को दिये गये वक्तव्य का खंडन नहीं किया है। यदि उन्होंने राष्ट्रपति की सलाह को स्वीकार किया है तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है। क्या मन्त्री महोदय वास्तव में कर्मचारियों की सब समस्याओं को ध्यानपूर्वक हल करने में रुचि रखते हैं? श्री गिरि ने कहा है कि "कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उनकी सेवा में व्यवधान भी नहीं आना चाहिए।" क्या श्री मिश्र इस बात से सहमत हैं। श्री बूटा सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि समस्या को हल करने के तीन उपाय हैं। सरकार सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाये। सेवा में व्यवधान को समाप्त करे और उक्त कार्य शीघ्रता से करे। रेलवे हड़ताल का कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा; कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया; कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और कितने कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान आया? रेलवे हड़ताल के बहाने कुछ ऐसे कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया था जिनके साथ वरिष्ठ अधिकारियों के लिये व्यवहार करना कठिन अथवा असुविधाजनक था। मैं इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने रेलवे हड़ताल के बहाने कर्मचारियों को सेवा से निकाला था।

श्री कुरेशी भी बार बार यह कहते रहे हैं कि हिंसात्मक और विध्वंसक कार्यवाही में भाग लेने वाले कर्मचारियों को पुन: सेवा में नहीं लिया जायेगा। कितने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमे चलाये गये थे और क्या उनके विरुद्ध दोष सिद्ध हुए और यदि नहीं, तो उन्हें निर्दोष माना जाना चाहिये और उन्हें बहाल किया जाना चाहिए।

क्या संसद में और संसद के बाहर दिये गये आश्वासनों के पूरा करने में रेलवे बोर्ड के वरिष्ट अधिकारी मन्त्री महोदय के रास्ते में आ रहे हैं ?

क्या श्री कुरेशी द्वारा अहमदाबाद में एक सम्मेलन में कर्मचारियों के बारे में दिये गये आश्वासनों को श्री मिश्र क्रियान्वित करेंगे।

कर्मचारियों को बहाल करने में सरकार को कितना समय लगेगा। रेलवे राष्ट्रीय संगठन है। यदि सरकार यह चाहती हैं कि इसके कर्मचारी संतोषजनक ढंग से और जिम्मेवारी से काम करें तो उनके मामलों को लटकाए नहीं रखना चाहिए। उनके मामलों पर यथासम्भव मित्रतापूर्ण और सम्मानीय समझौता किया जाना चाहिए ।

Shri K. M. Madhukar (Kasaria) : Our country is passing through a critical juncture. There is great dissatisfaction amongst the people due to wrong policies of the Government. The reactionaries are taking advantage of this position. The Government should try to get the confidence of the working class to fight against the reactionaries.

The Government has committed several mistakes with regard to Railway strike. The Government has mercilessly pressed the railway employees. The Government should solve the problems of its employees as early as possible.

I want to know the results of the discussions held between the Government and the Secretary General of All India Trade Union Congress, Shri Dange.

Although the Government has assured to solve the problems of the railway employees amicably, yet it appears that the Government is not fulfilling its promises. Revengeful attitude is being adopted against the railway employees. The Government should look into this matter.

I want to know whether the Government has fixed some date by which all the problems of the railway employees will be solved so that the abnormal situation between the Government and railway employees may be dealt with.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): जब रेलवे मन्त्री राष्ट्रपति श्री गिरि की सलाह मानने को तैयार हो गये थे तो इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? श्री गिरि श्रमिकों के नेता रहे हैं। उन्हें श्रमिकों, रेलवे कर्मचारियों और गरीबों की कठिनाइयों की पूरा जानकारी है।

अभी भी यदि श्री गिरि की सलाह स्वीकार कर ली जाती है और बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाता है और कर्मचारियों की सेवा में आये व्यवधान को माफ कर दिया जाता है, तो बहुत देरी नहीं होगी।

श्री गिरि ने सरकार के रवैये पर चिन्ता प्रकट की है और इसे अन्याय पूर्ण अथवा अनुचित बताया है। उन्होंने कर्मचारियों को परेशान न करने तथा उनकी सेवा में व्यवधान न डालने की सलाह दी है। उनका कहना है कि ऐसा किए जाने पर ही वे पूर्ण शक्ति और ईमानदारी से काम करेंगे ?

मेरा सुझाव है कि सरकार श्री वी० वी० गिरि की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करे। रेल कर्मचारियों ने हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी है तथा मेरा सुझाव है कि हड़ताली कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को समाप्त किये जाने की कार्यवाही को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये।

रेल मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र): महोदय ! सबसे पहले मैं अपने उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा जो मैंने सभा में 20 अगस्त, 1974 को कहे थे। मैंने कहा था कि जब 19 तारीख को सभा में रेल कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न उठाया गया था उसके बाद मैं राष्ट्रपति के प्रेस सैक्रेटरी से मिला था तथा उनके पी० जी० आई० के सम्वाददाता द्वारा पूछे गये प्रश्न पर राष्ट्रपति के उत्तर का पाठ प्राप्त किया था। मैंने यह भी कहा था कि मैंने राष्ट्रपति को विश्वास दिलाया है कि रेल कर्मचारियों के मामलों पर अनुकुल रूप से विचार किया जायेगा। मैंने उस आश्वासन का पालन किया है तथा 12,000 कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य मेरे वक्तव्य का गलत अर्थ न लगायें। श्री गिरि राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक नेता हैं। केवल 10-15 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें काम पर नहीं लिया जा सका। कुछ ने इस बात की अपील ही नहीं की।

मैं अप्रल के महीने से ही यह बात कहता रहा हूं कि जिन कर्मचारियों के विरुद्ध तंग किये जाने और हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने के आरोप हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। शेष कर्मचारियों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा तथा उनके मामले पर अनुकूल विचार किया जायेगा।

हाल ही में विस्तृत आदेश भेजे गये हैं, मैंने जनरल मैनेजरों के साथ बैठक भी की है। हम कर्मचारियों का सहयोग चाहते हैं तथा सामान्य कर्मचारी हमारे साथ सहयोग करने को तत्पर हैं किन्तु कुछ संगठन उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुल 19883 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनमें से 19,879 कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया है। लगभग 19000 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था तथा केवल 4 व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें आंसुका के अधीन गिरफ्तार किया गया था, अब शेष सभी को काम पर वापस ले लिया गया है। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों अथवा पुलिस में कार्यवाही चल रही है उनकी संख्या 5700 है। रेलवे विभाग जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को समाप्त करना चाहता है उनकी संख्या लगभग 3350 है।

जिन कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया है उनकी संख्या 16,749 है तथा जिन कर्मचारियों ने कोई अपील नहीं की उनकी संख्या 2500 है। शेष कर्मचारियों ने अपील की है तथा उनकी अपील पर अनुकूल रूप से विचार किया जायेगा। हम किसी भी कर्मचारी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। मैं उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूं। किन्तु जिन लोगों ने देश की अर्थ व्यवस्था को हानि पहुंचाई है उनके साथ कड़ाई बरतनी ही पड़ेगी।

लगभग 21,000 नैमित्तिक श्रमिकों को सेवामुक्त किया गया था जिनमें से लगभग 12,000 को पुनः काम पर ले लिया गया है। 5.91 लाख कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाला गया था जिसमें से 3.78 लाख कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान समाप्त कर दिया गया है। निलम्बन के मामलों की संख्या लगभग 10,500 थी जिनमें से लगभग 9,700 कर्मचारियों को काम पर ले लिया गया है।

जहां तक श्री डांगे के साथ मेरी मुलाकात का सम्बन्ध है वह मुझ से कल मिलने वाले थे किन्तु वह आ नहीं सके। ए० आई० आर० एफ० की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि अमुक-अमुक स्थान पर कर्मचारियों को व्यर्थ तंग किया गया है। इस बारे में मैंने सदस्य (कर्मचारी वर्ग) से कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार तंग किया गया है तो उसके साथ पूरा न्याय किया जाये।

श्री मावलंकर ने पूछा है कि मैं राष्ट्रपति से कितनी बार मिला हूं। मुझे सही सही याद नहीं है कि मैं उनसे कितनी बार मिला हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम श्री वी० वी० गिरि के सुझाव का यथासम्भव अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनके इस सुझाव से सहमत हैं कि हड़ताली और गैर हड़ताली जैसी दो श्रेणियां नहीं होनी चाहियें। यह भावना यथाशीघ्र समाप्त होनी चाहिए तथा सभी कर्मचारियों को समान सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि रेल सम्पत्ति सभी की सम्पत्ति है।

यह भी कहा गया है कि रेलवे बोर्ड मन्त्री के कार्य में बाधा डाल रहा है। यह धारणा मिथ्या है। रेलवे बोर्ड हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहा है। जनरल मैनेजरों की बैठक में रेलवे बोर्ड का रवैया बहुत अच्छा रहा है।

निर्धारित समय के बारे में श्री बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि कर्मचारियों की अपील पर 6 सप्ताह की अवधि में निर्णय कर लिया जायेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस सम्बन्ध में इससे अधिक समय न लिया जाये। किन्तु मुझे खेद है कि कुछ संगठन इस मामले को राजनीतिक स्वरूप देना चाहते हैं। श्री जार्ज फर्नाडीज ने बिहार आन्दोलन के बारे में यूनियनों को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है "कि कोई रेल कर्मचारी बिहार में चल रहे आन्दोलन के मुख्य उद्देश्यों से असहमत नहीं हो सकता। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने शत्रुतापूर्ण तथा हिंसात्मक तरीका अपना लिया है जिसका अनुभव हमें हाल की रेल कर्मचारियों की हड़ताल से हो गया है।" मुझे यह परिपत्र ए० आई० आर० एफ० की एक यूनिट से प्राप्त हुआ है। आप चाहें तो मैं इसे कल सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय द्वारा उद्धरण देना सही है किन्तु उसके पश्चात् वह ऐसे व्यक्ति की आलोचना भी कर रहे हैं जो यहां उत्तर नहीं दे सकता। क्या यह उपयुक्त है?

Shri Ramavatar Shastri : The circular issued by the chairman of A.I.R.F., Shri George Fernandes has been contradicted by South Eastern Railwaymen's Union, a units of the same organisation saying that he has no right to issue such circular.

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे ज्ञात है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यदि सभा की कार्यवाही अधिक समय तक चलाई जानी है तो इसके लिए सभा की पहले अनुमति ली जानी चाहिए ।

Mr. Chairman : The hon. Member is a senior member of this House and he must be aware of the procedure of the House that so long as the presiding officer is in the chair the House cannot be adjourned. How is adjourned by the Chair. Shri Mavalankar has expressed his views. It was not a point of order.

Shri K. M. Madhukar : The hon. Minister has said... (*Interruptions*)

श्री एल० एन० मिश्र : श्री गुहा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार को न्यायोचित तथा अनुकूल रवैया अपनाना चाहिए । इस बात से हमारा कोई मतभेद नहीं है । मैं इस बात के लिये भी तैयार हूं कि यदि अपीलों के निपटान के लिए अधिकारियों की संख्या कम है तो उसे बढ़ाया जाये । साथ ही मैं कर्मचारियों से भी अपील करता हूं कि उत्साह से कार्य करें तथा तुरन्त काम पर वापस जायें ।

श्री समर गुह : क्या मन्त्री महोदय अपीलों के निपटान का कार्य अपने किसी सहयोगी को सौंपेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में एक नया परिपत्र जारी किया जायेगा जिसमें सभी कर्मचारियों की अपील की व्यवस्था का पता लग जाये ? क्या अपीलों का निपटान करने वाले अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जायेगी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिपत्र की सत्यता क्या है कि यह जारी भी किया गया है । इसके अतिरिक्त इसमें यह कहां कहा गया है कि तोड़ फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाही कीजिये । अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि रेल अधिकारियों ने कांग्रेस और सी० पी० आई० के प्रदर्शन के लिये पटना को विशेष गाड़ियां चलाने में दोहरी नीति अपनाई है क्योंकि जे० पी० के समर्थकों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई (**व्यवधान**) किसी भी पार्टी के अनुयायियों के लिये बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मन्त्री महोदय ने कहा है कि चार व्यक्तियों को मांसुका के अधीन दण्ड दिया गया है (**व्यवधान**)

Shri L. N. Mishra : Now, I only want to say that I will try to increase the number of officers dealing with the appeals and to see that the employees are taken back in service.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 28 नवम्बर, 1974/7 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjonrned till Eleven of the clock on Thursday, November 28, 1974/Agrahayana 7, 1896 (Saka).

MGIPNLK—1/Lok Sabha/75—10-4-75—200 Copies.